अगोपनीय

मामला सं. एडी(एमटीआर)-02/2025

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

अंतिम जांच परिणाम

बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों" के आयातों के संबंध में मध्यावधि समीक्षा जांच।

जूट उत्पादों की चित्रात्मक प्रस्तुति

अगोपनीय

फा.सं. 7/11/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 25 जून, 2026

अंतिम जांच परिणाम
(मामला सं.-एडी (एमटीआर)-02/2024)

विषय: बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों" के आयातों के संबंध में मध्यावधि समीक्षा जांच।

फा.सं. 7/11/2024-डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन("आईजेएमए") और एपी मेस्टा ट्विन मिल्स एसोसिएशन ("एजेएमए") (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "आवेदक एसोसिएशन" भी कहा गया है) ने बांग्लादेश और नेपाल (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जूट उत्पादों (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता की जांच के लिए मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के लिए घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन-पत्र दायर किया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि शुल्क में वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत कच्चे माल की लागत में तदनरूपी परिवर्तन के बिना कम हो गई है; और विदेशी उत्पादक अपनी

अगोपनीय

क्षमता से अधिक मात्रा में निर्यात कर रहे हैं, जो अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित सामान भेजे जाने की स्थिति दर्शाते हैं।

2. विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच 21 अक्टूबर 2015 की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/19/2015-डीजीएडी दिनांक 20 अक्टूबर 2016 द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की, जिसे सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी 2017 द्वारा लागू किया गया था, जैसा कि सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 3 अप्रैल 2017 द्वारा संशोधित किया गया था।

3. प्राधिकारी ने "जूट सेकिंग बैग" जोकि बांग्लादेश से "जूट सेकिंग बैग" का अंतिम चरण का उत्पाद है, के आयात के संबंध में 20 मार्च,2018 को एक प्रवंचनारोधी जांच शुरू की। अधिसूचना सं. 7/3/2018-डीजीएडी, दिनांक 19 मार्च 2019 द्वारा, प्राधिकारी ने सेकिंग बैग पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश की, और ये सिफारिशें सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 18 जून 2019 द्वारा लागू की गई थी।

4. इसके बाद, 28 जून 2021 को एक निर्णायक समीक्षा शुरू की गई और अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 7/9/2021-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2022 द्वारा, प्राधिकारी ने शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता पाई। केंद्र सरकार ने अधिसूचना सं. 33/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 30 दिसंबर 2022 जारी की, जिसमें पांच साल की और अवधि के लिए शुल्क लगाया जाना जारी रखा।

5. वर्तमान मध्यावधि समीक्षा नियमावली के नियम 23(1क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार शुरू की गई थी। प्राधिकारी को किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या परिस्थितियों में परिवर्तन से मौजूदा पाटनरोधी शुल्क में संशोधन की आवश्यकता है।

6. प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के मद्देनज़र और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/11/2024-डीजीटीआर दिनांक 30 जून 2025 द्वारा मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की।

अगोपनीय

ख. <u>प्रक्रिया</u>

7. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

7.1 जांच की शुरुआत

i. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में मध्यावधि समीक्षा जांच शुरु करते हुए, अधिसूचना संख्या 7/11/2024-डीजीटीआर दिनांक 30 जून 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ii. प्राधिकारी ने प्रश्नावली के साथ-साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावास, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, उद्योग एसोसिएशनों और आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पते के अनुसार घरेलू उद्योग को भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचार दें।

7.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं को आवेदनर-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

7.3 उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजी।

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक	क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक
बंगलादेश			
1	अफ़ज़ल फाइबर	2	अलीजन जूट मिल्स
3	अलीना जूट मिल्स	4	अमीन जूट मिल्स
5	एंड इम्पैक्स	6	आशा जूट इंडस्ट्रीज
7	अज़ीज़ फ़ाइबर्स	8	बगदाद ढाका
9	बोगरा जूट मिल्स	10	दौलतपुर जूट
11	डेल्टा जूट मिल्स	12	ग्लोरी जूट लिमिटेड

अगोपनीय

13	गोल्डन जूट मिल्स	14	हसन जूट मिल्स
15	हज़रत शाह चंद्रपुरी	16	जमन जूट मिल्स
17	जनता जूट मिल्स	18	जातिओ जूट मिल्स
19	जेसोन जूट इंडस्ट्रीज	20	जोबैदा करीम जूट
21	जॉय जूल मिल्स	22	जूट टेक्सटाइल
23	कर्णफुली जूट	24	केरानीगंज जूट फाइबर
25	खालिशपुर जूट	26	लक्ष्मण जूट मिल्स
27	एम.एम. जूट फाइबर	28	मौना जूट मिल्स
29	एन. अब्दुल मलिक	30	नबरुन जूट मिल्स
31	नाटोर जूट मिल्स	32	नवाहाटा जूट मिल्स
33	नॉर्दन जूट मार्केटिंग	34	नोवापारा जूट मिल्स
35	पार्टेक्स जूट मिल्स	36	प्लैटिनम जुबिली
37	पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज	38	प्राइड जूट मिल्स
39	पुराबी ट्रेडिंग	40	आर.एम. जूट डाइवर्सिफिकेशन
41	रबेयू जूट मिल्स	42	राजबाड़ी जूट मिल्स
43	रानू एग्रो इंडस्ट्रीज	44	रिलायंस जूट मिल्स
45	रोमन जूट मिल्स	46	रूपाली बांग्ला
47	एस जूट इंडस्ट्रीज	48	सागर जूट स्पिनर्स
49	शाह इस्माइल गाजी	50	शिडलो टेक्सटाइल
51	सोनाली अंश इंडस्ट्रीज	52	स्टार जूट मिल्स
53	द क्रिसेंट जूट	54	उत्तरा जूट फाइबर
नेपाल			
1	अंबिका	2	ट्रांस ट्रेड सर्विस
3	असाही ओवरसीज ट्रेडर्स	4	जनरल ओवरसीज एजेंसी
5	अशोक ट्रेडिंग कंसर्न	6	घोराश्यार एंटरप्राइजेज
7	अटलांटिक ट्रेडिंग कंसर्न	8	गोलछा आर्गेनाइजेशन
9	बीके इंटरनेशनल	10	ग्रीनटेक्स एंटरप्राइजेज
11	बाबा एंटरप्राइजेज	12	गुप्ता एंटरप्राइजेज
13	बालाजू एंटरप्राइजेज	14	हिम इंटरनेशनल (प्रा.) लिमिटेड
15	भूदेव खाद्य उद्योग	16	इंद्रा ट्रेड कंसर्न
17	बिजाया एंटरप्राइजेज	18	जलनेक्स एंटरप्राइजेज

अगोपनीय

19	संगम इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज	20	बिनिट एंटरप्राइजेज
21	खाटू इंटरनेशनल	22	ब्राइटर इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि.
23	लक्ष्मी कंसर्न	24	छगन मल ट्रेडर्स
25	मदन लाल चिरंजीबी लाल च्यांगल ट्रेड लिंक	26	महेश ओवरसीज एंटरप्राइजेज
27	डायमंड नेपाल एंटरप्राइजेज	28	नेपाल यूनाइटेड कंपनी (प्रा.) लि.
29	डिगो इंटरनेशनल (प्रा.) लि.	30	न्यू ट्रेड सेंटर
31	डुगर ब्रदर्स एंड संस	32	पबन ओवरसीज कंसर्न
33	डुगर आर्गेनाइजेशन	34	आर एंड आर एंटरप्राइजेज
35	एक्सपोर्टएक्स ट्रेडिंग	36	राजश्री एंटरप्राइजेज
37	गौरव इम्पेक्स		

ii. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए या कोई अनुरोध किए:

क्र.सं.	**उत्पादक/निर्यातक**	**क्र.सं.**	**उत्पादक/निर्यातक**
बंगलादेश			
1	अफिल जूट वीविंग मिल्स लिमिटेड।	2	अफ़ज़ल फाइबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज
3	अह्यान जूट मिल्स लिमिटेड	4	अलीजन जूट मिल्स लिमिटेड
5	अलीना जूट मिल्स लिमिटेड	6	ए.एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
7	अर्नू जूट मिल्स लिमिटेड	8	आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
9	बोगरा जूट मिल्स लिमिटेड	10	बोनान्ज़ा जूट कंपोजिट एंड डाइवर्स फैक्ट्री लि.
11	चुआडांगा जूट मिल	12	इकोट्रेड इंटरनेशनल
13	गोल्डन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	14	हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
15	हसन जूट मिल्स लिमिटेड	16	हासेम जूट इंडस्ट्रीज लि.
17	हज़रत शाह चंद्रपुरी जूट मिल्स लिमिटेड।	18	जमुना जूट इंडस्ट्रीज लि.
19	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	20	लवली जूट मिल्स लिमिटेड

अगोपनीय

21	मिर्जा जूट मिल्स लिमिटेड	22	मौना जूट मिल्स लिमिटेड
23	नाटोर जूट मिल्स	24	नवाहाटा जूट मिल्स लिमिटेड
25	ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड	26	पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज
27	रहमान जूट मिल्स (प्रा.) लिमिटेड	28	रहमान जूट स्पिनर्स (प्रा) लि.
29	राजबाड़ी जूट मिल्स लिमिटेड	30	रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लि.
31	रोमन जूट मिल्स लिमिटेड	32	सदात जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
33	सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लि.	34	सलीम एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
35	सिडलॉ टेक्सटाइल्स (बांग्लादेश) लि.	36	सोनाली अंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
37	सुपर जूट मिल्स लिमिटेड	38	वहाब जूट मिल्स लि.
नेपाल			
39	अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लि.	40	बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
41	श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	42	श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड
43	स्वस्तिक जूट मिल्स (प्रा.) लि.		

iii. संबद्ध देशों से उत्तरदाता निर्यातकों/उत्पादकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने 2 जनवरी 2026 की अधिसूचना द्वारा बांग्लादेश के उत्पादकों के नमूने का प्रस्ताव किया। हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद, प्राधिकारी ने 10 फरवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित नमूने को अधिसूचित किया। नमूना स्तरीकृत नमूना पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया था और इसमें भारत को निर्यात की विभिन्न मात्रा वाले उत्पादक शामिल थे।

क. आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ख. ए. एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ग. नवाहटा जूट मिल्स लिमिटेड
घ. रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लि.
ड. सुपर जूट मिल्स लिमिटेड
च. बोनान्ज़ा जूट कंपोजिट
छ. लवली जूट मिल्स लिमिटेड
ज. नाटोर जूट मिल्स

झ. पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज

ञ. सलीम एग्रो इंडस्ट्रीज लि

7.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

i. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों,प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों को प्रश्नावलियां भेजी गई थी:

क्र.सं.	**आयातक/प्रयोक्ता**	**क्र.सं.**	**आयातक/प्रयोक्ता**
1	अहमद एक्सपोर्ट्स	2	अलामीन एंटरप्राइज
3	आशिम कर एंड इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	4	बी.जी उद्योग
5	बंगाल जूट एंड बैग कंपनी	6	भगतरा जूट इंडस्ट्रीज प्रा .लि.
7	बिरला कारपोरेशन लिमिटेड	8	चामुंडी एक्सप्लोसिव्स प्रा .लि
9	चिरंजीलाल गौरीशंकर एंड कंपनी	10	क्लिफ्टन बिजनेस प्रा .लि
11	जी.एन कमर्शियल कंपनी	12	गाबा ओवरसीज प्रा .लि
13	ज्ञानीराम अग्रवाल एंड कंपनी	14	इंडस्ट्रियल एसोसिएट्स
15	इंडस्ट्रियल एसोसिएट्स जूट प्रा . लि	16	जे.जे. पटेल एंड बर्दर्स
17	जेके संस एंड कंपनी	18	जेके सन्स जूट कंपनी प्रा .लि
19	के.एल. जूट प्रोडक्ट्स प्रा .लि	20	नैप इंटरनेशनल
21	कॉस्मिक हाईटेक मोटर्स प्रा .लि	22	मोहन जूट लिमिटेड
23	नवीन इंटरनेशनल	24	पैसिफिक जूट लिमिटेड
25	प्रिवी एक्सपोर्ट्स प्रा .लि	26	आर. हरिलाल एंड कंपनी (कलकत्ता)
27	रामसरन एंड संस	28	रोमी एंटरप्राइजेज
29	सर्वमंगला प्रतिष्ठान	30	सत्यम इम्पैक्स
31	सत्येंद्र पैकेजिंग प्रा .लि	32	एसडीजे इंटरनेशनल
33	श्रीजोनी इम्पैक्स	34	तुहिन कांज एंड कंपनी
35	उन्नति ओवरसीज	36	वीर इंटरनेशनल
37	विश्वत्मा कमर्शियल प्रा .लि	38	यूकॉन ओवरसीज प्रा .लि

39	एस्के इंटरनेशनल	40	गोल्डन फ्लोर
41	ग्रोवर इंटरनेशनल	42	राधा कृष्ण
43	रग्स क्रिएशन	44	नव दुर्गा
45	कैलाश चंद		

ii. वर्तमान जांच में किसी भी आयातक/प्रयोक्ता द्वारा कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है।

7.5 जांच की अवधि (पीओआई) और क्षति की अवधि

i. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2024 से मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल होगी। चूंकि वर्तमान समीक्षा जांच परिवर्तित परिस्थितियों पर आधारित है, इसलिए पिछली की गई समीक्षा जांच की जांचावधि, अर्थात 2020-2021 के साथ भी तुलना की जाएगी।

7.6 आगे की प्रक्रिया

i. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली भेजी है। निम्नलिखित पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

क्र.सं.	**पक्षकार**	**क्र.सं.**	**पक्षकार**
1	डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज	2	अफिल जूट वीविंग मिल्स लिमिटेड
3	अफ़ज़ल फाइबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज	4	अहयान जूट मिल्स लिमिटेड
5	अलीजन जूट मिल्स लिमिटेड	6	अलीना जूट मिल्स लिमिटेड
7	अरिहंत मल्टी-फाइबर लि.	8	आशा जूट इंडस्ट्रीज
9	बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	10	बोगरा जूट मिल्स लिमिटेड
11	बोनान्ज़ा जूट कंपोजिट एंड डाइवर्स फैक्ट्री लिमिटेड	12	चुआडांगा जूट मिल

13	इकोट्रेड इंटरनेशनल	14	गोल्डन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
15	हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	16	हसन जूट मिल्स लिमिटेड
17	हासेम जूट इंडस्ट्रीज लि.	18	हज़रत शाह चंद्रपुरी जूट मिल्स लिमिटेड
19	जमुना जूट इंडस्ट्रीज लि.	20	जनता जूट मिल्स लिमिटेड
21	मिर्जा जूट मिल्स लिमिटेड	22	मौना जूट मिल्स लिमिटेड
23	नाटोर जूट मिल्स	24	नवाहाटा जूट मिल्स लिमिटेड
25	ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड	26	पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज
27	रहमान जूट मिल्स (प्रा.) लिमिटेड	28	रहमान जूट स्पिनर्स (प्रा.) लिमिटेड
29	राजबाड़ी जूट मिल्स लिमिटेड	30	रोमन जूट मिल्स लिमिटेड
31	सदात जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	32	सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लि.
33	सलीम एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	34	सलीम एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
35	श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	36	श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड
37	सिडलॉ टेक्सटाइल्स (बांग्लादेश) लि.	38	सोनाली अंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
39	सुपर जूट मिल्स लिमिटेड	40	स्वास्तिक जूट मिल्स (प्रा.) लि.
41	वहाब जूट मिल्स लि.		

ii. जांच के दौरान नेपाल सरकार और बांग्लादेश सरकार द्वारा लिखित आवेदन भी दायर किए गए हैं।

iii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए। सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचार व्यक्त करें। अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकारी ने 1 सितंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से पीसीएन पद्धति को अधिसूचित की।

iv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी

आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

v. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।

vi. डीजी सिस्टम्स से पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण और जांच की अवधि प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्ति हो गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा के परिकलन और लेन-देनों की उचित जांच के बाद उसके विश्लेषण तथा निर्यातकों द्वारा दायर उत्तरों की तुलना और समाधान के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

vii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 5 मार्च 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।

viii. प्राधिकारी ने जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया, जो यथासंभव सीमा तक वर्तमान अंतिम जांच परिणामों का आधार बनता है और डेस्क सत्यापन के माध्यम से संगत मानी गई, व्यावहारिक और आवश्यक सीमा तक सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।

ix. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध सामानों की ईष्टम उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

x. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, साक्ष्यों के साथ समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में उचित रूप से विचार किया गया है।

xi. प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण सभी हितबद्ध पक्षकारों को 17जून, 2026 को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच संगत सीमा तक की है। जो कोई अनुरोध पूर्व अनुरोध की पुनरावृत्ति मात्र से और जिनकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, उन्हें संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

xii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने पहुंच से इनकार कर दिया है, या अन्यथा वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणियां दर्ज की हैं।

xiii. इन अंतिम जांच परिणामों में ***हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xiiv. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 85.43 रु. है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में जूट यार्न/ट्विन, हेसियन फैब्रिक, सेकिंग बैग और सेकिंग क्लाथ शामिल हैं। तथापि, प्रवंचनारोधी जांच के अनुसरण में, पाटनरोधी शुल्क केवल बांग्लादेश से सेंकिंग क्लाथ के आयातों पर बढ़ाया गया था, न कि नेपाल पर। इसके लिए उत्पाद क्षेत्र को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

ii. निर्णायक समीक्षा में अधिसूचित पीसीएन पद्धति को वर्तमान मामले में भी अपनाया जाना चाहिए।

iii. जूट यार्न/ट्विन, सेकिंग बैग और हेसियन फैब्रिक के लिए पीसीएन को अपनाया जाना चाहिए।

iv. नेपाल से निर्यात किए गए जूट ट्विन में निर्णायक समीक्षा में माने गए ग्रेड की तुलना में अलग-अलग विशेषताएं और अंतिम प्रयोग हैं। इन जूट ट्विन का प्रयोग सेकिंग क्लाथ, सेकिंग बैग या हेसियन क्लाथ बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग जूट के बैग के मुंह को सिलने के लिए किया जाता है। नेपाल से जूट ट्विन को शामिल करने के लिए "अन्य" के रूप में एक अतिरिक्त पीसीएन जोड़ा जाना चाहिए।

v. पीसीएन को उत्पाद प्रकार अर्थात, सीआरएम/सीआरटी, हेसियन, सैकिंग और फैब्रिक; यार्न प्रकार; यार्न काउंट और फैब्रिक टाइप के लिए अपनाया जाना चाहिए।

vi. जूट यार्न/ट्विन और विभिन्न आकारों की विभिन्न काउंट्स से बने सैकिंग बैग के लिए अलग-अलग पीसीएन की आवश्यकता होती है। काउंट और आकार में इस तरह के अंतर के परिणामस्वरूप लागत और कीमतों में अंतर आता है। घरेलू उद्योग काउंट्स और साइज के आधार पर विभिन्न ग्रेड में सेकिंग बैग भी बेचता है।

vii. सेकिंग बैग के लिए पीसीएन रैप काउंट, वेफ्ट काउंट, बैग का आकार, बैग का वजन और सामान्य पैकिंग क्षमता के आधार पर अपनाया जाना चाहिए।

viii. रैप और वेफ्ट के लिए काउंट और वजन में अंतर के आधार पर हेसियन फैब्रिक के लिए अलग-अलग पीसीएन की आवश्यकता होती है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चूंकि उत्पाद क्षेत्र के संबंध में इस अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है, इसलिए पहले की जांच में अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर विचार किया जाना चाहिए।

ii. मैसर्स अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ में माननीय सेस्टैट ने माना है कि तीन अलग-अलग उत्पाद प्रकार - यार्न, फैब्रिक और बैग को एक उत्पाद माने जाने चाहिए थे।

III. जूट यार्न, हेसियन फैब्रिक और सेकिंग उत्पाद के लिए उत्पादन प्रक्रिया अलग-अलग है, जिसमें कच्चे माल और उत्पादन की लागत में अंतर है। तदनुसार, विदेशी उत्पादकों को तीन उत्पाद प्रकारों के लिए अलग-अलग आंकड़े प्रदान करने के लिए कहा जाना चाहिए।

IV. जबकि मूल जांच में कोई पीसीएन नहीं अपनाया गया था, निर्णायक समीक्षा में अधिसूचित पीसीएन को समीक्षा में भी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

V. सीआरएम/सीआरटी, हेसियन, सैकिंग और फैब्रिक पर आधारित पीसीएन अपूर्ण है क्योंकि घरेलू उद्योग की उत्पाद मात्रा व्यापक है और इसमें सीबी और सीआरएक्स भी शामिल हैं।

VI. यार्न टाइप, फैब्रिक टाइप, रैप काउंट, वेफ्ट काउंट, बैग का आकार, बैग के वजन और पैकिंग क्षमता के आधार पर पीसीएन आवश्यक नहीं है क्योंकि लागत और कीमत अंतर दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

VII. यार्न काउंट के आधार पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किए गए पीसीएन सभी यार्न काउंटों को उचित रूप से शामिल नहीं करते हैं।

VIII. इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि नेपाल से जूट का ट्विन एक अलग उत्पाद है। उक्त अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए जैसा कि पहले निर्णायक समीक्षा में किया गया था।

IX. जांच की योजना से ही यह स्पष्ट है कि जब नेपाल से आयात किया गया था, तो सेकिंग क्लाथ विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं था

X. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र पिछली निर्णायक समीक्षा जांच में निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"6. वर्तमान जांच बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों" के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में एक निर्णायक समीक्षा जांच है। इसलिए, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद भी बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पाद" हैं। मूल जांच में परिभाषित जांच के तहत उत्पाद निम्नानुसार है।

"26. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद जूट उत्पाद हैं, जिनमें जूट यार्न/ट्विन (कई मोड वाला/केबल और एकल), हेसियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग शामिल हैं। जांच की शुरुआत के समय, वर्गीकरण 1975 के अधिनियम के अध्याय 53 और 63 के तहत माना गया था और बाद में सीमा शुल्क शीर्ष 5307, 5310 और 6305 के तहत उप-वर्गीकृत किया गया था। यह उल्लेख किया गया था कि उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। तथापि, बाद में नेपाल से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर किए गए आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि यार्न/ट्विन का निर्यात भी उत्पाद के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा सीमा शुल्क शीर्ष संख्या 5607 के तहत किया गया है, जिसमें ट्विन, कॉर्डेज, रस्सियां और केबल शामिल हैं, चाहे वे प्लाईटेड हों या ब्रेडेड हों और चाहे वे रबर और प्लास्टिक से युक्त, कोटेड, कवर्ड या शीथ न हों।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जूट एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल फाइबर है, जो पौधों की आंतरिक छाल से आता है। जूट के व्यापक उपयोगों में पैकेजिंग, जियोटेक्सटाइल, पौधों की जड़ की सुरक्षा, कपड़े, बैग, रैपिंग, बूट और जूते की लाइनिंग, फ्यूज यार्न, एप्रन, कैनाल और मोटर लाइनिंग, रस्सियां, स्ट्रिंग्स, अपहॉलस्ट्री की नींव, पर्दे और साज-सज्जा के कपड़े आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जूट को महीन यार्न और कपड़े के उत्पादन के लिए ऊन के साथ भी मिलाया जा सकता है।

28. बैट्स के रूप में कच्चे जूट को जूट मिलों में जूट यार्न/ट्विन, हेसियन फैब्रिक, सेकिंग बैग जैसे उत्पादों और अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए संसाधित किया जाता है। जूट की विनिर्माण प्रक्रिया में एक बैच के लिए जूट का चयन, पीसिंग अप, नरम और चिकनाई, कंडीशनिंग या पाइलिंग, ब्रेकर कार्डिंग, फिनिशर कार्डिंग, पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग, तीसरी ड्राइंग और कताई जैसे विभिन्न चरण शामिल हैं।

7. संबद्ध सामान सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 53 और 63 के तहत वर्गीकृत हैं और उन्हें सीमा शुल्क शीर्ष 53101013, 63051040, 53101012 5307 1010 और 53072000 के तहत उप-वर्गीकृत किया गया है। हालाँकि, उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं

है। इसके अतिरिक्त, यह एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में था।

9. यह भी नोट किया जाता है कि मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी होने के बाद, प्राधिकारी ने एक प्रवंचनारोधी जांच की। 19 मार्च 2019 के अपने अंतिम जांच परिणाम के माध्यम से प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि बांग्लादेश से जूट सेकिंग क्लाथ के निर्यात के माध्यम से जूट सेकिंग के बैग पर लगाए गए शुल्कों की प्रवंचना की रहा थी और परिणामस्वरूप बांग्लादेश से आयातित जूट सेकिंग क्लाथ पर सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क भी बढ़ा दिया गया था।"

11. अत: विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र की पुष्टि निम्नानुसार की गई है।

> *जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल और सिंगल), हेसियन फैब्रिक्स और जूट सेकिंग बैग से युक्त "जूट उत्पाद"।"*

12. यह भी नोट किया जाता है कि मूल जांच के बाद, प्राधिकारी ने प्रवंचनारोधी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 7/3/2018-डीजीएडी, दिनांक 19 मार्च 2019 के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि बांग्लादेश से सैकिंग क्लाथ के निर्यात के माध्यम से सेकिंग बैग को की प्रवंचना की जा रही थी। अत:, बांग्लादेश से आयातित सेकिंग क्लाथ्स को भी सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 18 जून 2019 को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है। प्राधिकारी द्वारा जहां भी उचित पाया गया है, वहां सेकिंग क्लाथ संबंधी सूचना पर वर्तमान जांच में विचार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि सेकिंग बैग पर शुल्क सेकिंग क्लाथ तक बढ़ा दिया गया है और सेकिंग क्लाथ पर शुल्क सेकिंग बैग की अवधि तक रहता है।

13. प्राधिकारी ने उत्पाद क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं। पीसीएन के क्षेत्र पर विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की विस्तार से जांच की गई थी। प्राधिकारी को तीन उत्पाद प्रकारों - सैकिंग क्लॉथ, सैकिंग बैग और हेसियन फैब्रिक के लिए पीसीएन पद्धति को अपनाने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई औचित्य नहीं मिला। अन्य हितबद्ध पक्षकार पहचान किए गए मापदंडों के आधार पर ऐसे उत्पाद प्रकारों के भीतर उत्पादन की लागत में कोई महत्वपूर्ण अंतर दिखाने में विफल रहे हैं। परिणामस्वरूप, इन उत्पादों प्रकारों के लिए कोई पीसीएन

पद्धति नहीं अपनाई गई, जैसा कि संबद्ध सामानों पर पिछली जांचों में प्राधिकारी की सतत परिपाटी रही है।

14. जहां तक जूट यार्न/ट्विन का संबंध है, पीसीएन पद्धति दिनांक 1 सितंबर 2025 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की गई थी।

यार्न का प्रकार	यार्न के प्रकार के लिए पहला अंक	यार्न का वजन	यार्न के वजन के लिए दूसरा अंक
सेकिंग	1	14 एलबीएस तक	क
		14 एलबीएस से अधिक और 20 एलबीएस तक	ख
		20 एलबीएस से अधिक और 24 एलबीएस तक	ग
		24 एलबीएस से अधिक और 28 एलबीएस तक	घ
		28 एलबीएस से अधिक	ड.
हेसियन	2	8 एलबीएस तक	क
		8 एलबीएस से अधिक और 12 एलबीएस तक	ख
		12 एलबीएस से अधिक और 16 एलबीएस तक	ग
		16 एलबीएस से अधिक और 20 एलबीएस तक	घ
		20 एलबीएस से अधिक और 24 एलबीएस तक	ड.
		24 एलबीएस से अधिक और 28 एलबीएस तक	च
सीबी	3	8 एलबीएस तक	क
		8 एलबीएस से अधिक और 12 एलबीएस तक	ख
		12 एलबीएस से अधिक और 16 एलबीएस तक	ग

अगोपनीय

		16 एलबीएस से अधिक और 20 एलबीएस तक	घ
		20 एलबीएस से अधिक और 24 एलबीएस तक	ड.
		24 एलबीएस से अधिक और 28 एलबीएस तक	च
सीआरटी/सीआरएक्स	4	8 एलबीएस तक	क
		8 एलबीएस से अधिक और 12 एलबीएस तक	ख
		12 एलबीएस से अधिक और 16 एलबीएस तक	ग
		16 एलबीएस से अधिक और 20 एलबीएस तक	घ
		20 एलबीएस से अधिक और 24 एलबीएस तक	ड.
		24 एलबीएस से अधिक और 28 एलबीएस तक	च
सीआरएम	5	8 एलबीएस तक	क
		8 एलबीएस से अधिक और 12 एलबीएस तक	ख
		12 एलबीएस से अधिक और 16 एलबीएस तक	ग
		16 एलबीएस से अधिक और 20 एलबीएस तक	घ
		20 एलबीएस से अधिक और 24 एलबीएस तक	ड.
		24 एलबीएस से अधिक और 28 एलबीएस तक	च

15. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि नेपाल से आने वाले ट्विन के लिए एक अलग पीसीएन बनाया जाना चाहिए, पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना नहीं दी है कि नेपाल से आने वाले जूट ट्विन से अलग-अलग विशेषताओं वाला एक अलग उत्पाद

प्रकार बनता है। इसके अतिरिक्त, निर्णायक समीक्षा में भी तर्क की जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया।

> *"167. नेपाल के निर्यातकों ने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा निर्यात किए गए यार्न के लिए पीसीएन को उचित रूप से तैयार नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों द्वारा उत्पादित यार्न का प्रयोग सेकिंग बैग के मुंह को सिलने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों ने स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग भी उन उत्पादों का प्रयोग करता है और उसी यार्न को बेचता है जिसका प्रयोग सेकिंग बैग के मुंह को सिलने के लिए किया जाता है। अत:, निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना/दस्तावेजों के आधार पर, प्राधिकारी ने नेपाल से निर्यातकों द्वारा उत्पादित जूट यार्न को संगत पीसीएन श्रेणी में रखा है।"*

16. किसी भी मामले में, हितबद्ध पक्षकारों ने जूट ट्विन की लागत में सेकिंग, हेसियन, सीबी, सीआरटी/सीआरएक्स और सीआरएम की तुलना में कोई अंतर नहीं दिखाया है। लागत और कीमतों में अंतर के किसी भी साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी को इस तर्क में कोई औचित्य नहीं मिलता कि ट्विन पर अलग से विचार किया जाना चाहिए।

17. संबद्ध सामानों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 53 और 63 के तहत वर्गीकृत किया गया है और उन्हें सीमा शुल्क शीर्ष 53101013, 63051040, 53101012 5307 1010 और 53072000 के तहत उप-वर्गीकृत किया गया है। तथापि, उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद का उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इसके मद्देनज़र, आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित उत्पाद को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु माना जाता है।

अगोपनीय

घ. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. समर्थकों ने व्यापार सूचना 13/2018 के अनुपालन में सूचना प्रदान नहीं की है।
ii. यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि आवेदक घरेलू उत्पादकों की समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का कम से कम 25% हिस्सा रखते हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

20. घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आईजेएमए और एपी मेस्टा ट्विन मिल्स एसोसिएशन ने 8 आवेदक घरेलू उत्पादकों के साथ आवेदन-पत्र दायर किया था।
ii. जांच शुरुआत से पहले उत्पाद के 11 उत्पादकों द्वारा आवेदन-पत्र का समर्थन किया गया था।
iii. आवेदक घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देशों के संबद्ध उत्पाद के निर्यातकों/आयातकों से संबद्ध नहीं हैं।
iv. भले ही समीक्षा में आधार की अपेक्षा लागू नहीं होती है, फिर भी आवेदन-पत्र नियम 5 (3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

> *"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

अगोपनीय

22. यह आवेदन-पत्र भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक एसोसिएशनों के निम्नलिखित सदस्यों ने घरेलू उत्पादकों के रूप में भाग लिया है और अपेक्षित सूचना दायर की है:

i. बोवरेह जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
ii. कैलेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
iii. चेवियोट कंपनी लिमिटेड
iv. ग्लोस्टर लिमिटेड
v. हुगली इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
vi. लुडलो जूट एंड स्पेशलिटीज लिमिटेड
vii. नैहाटी जूट मिल्स कं. लिमिटेड
viii. नीलम जूट कंपनी लिमिटेड

23. आवेदन-पत्र दायर करने के बाद, प्राधिकारी को निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों से समर्थन पत्र प्राप्त हुए:

i. अंबिका जूट मिल्स
ii. एंग्लो इंडिया जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
iii. बल्ली जूट कंपनी लिमिटेड
iv. बिरला कारपोरेशन लिमिटेड
v. बज बज कंपनी लिमिटेड
vi. कलकत्ता जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
vii. जगतदल जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
viii. कमरहट्टी कंपनी लिमिटेड
ix. महादेव जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
x. दि हुगली मिल्स कंपनी लिमिटेड
xi. विजई श्री प्राइवेट लिमिटेड

24. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि व्यापार सूचना 13/2018 के संदर्भ में संगत सूचना दायर नहीं करने के कारण समर्थकों द्वारा दायर समर्थन-पत्रों को नजरअंदाज किया जा सकता है। तथापि, व्यापार सूचना 4/2021 दिनांक 16 जून 2021 और प्राधिकारी की सतत परिपाटी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा दिए गए समर्थन पर विचार किया है। आवेदक घरेलू उत्पादकों और समर्थकों के उत्पादन को नीचे संक्षेप में दर्शाया किया गया है।

क्र.सं.	**विवरण**	**इकाई**	**मात्रा (एमटी)**	**उत्पादन में हिस्सा**
	आवेदक घरेलू उत्पादक			
1	बोवरेह जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
2	कैलेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एमटी	***	***
3	चेवियोट कंपनी लिमिटेड	एमटी	***	***
4	ग्लोस्टर लिमिटेड	एमटी	***	***
5	हुगली इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
6	लुडलो जूट एंड स्पेशलिटीज लिमिटेड	एमटी	***	***
7	नैहाटी जूट मिल्स कं. लिमिटेड	एमटी	***	***
8	नीलम जूट कंपनी लिमिटेड	एमटी	***	***
क	**आवेदक उत्पादकों का उत्पादन**	**एमटी**	**2,74,917**	**28%**
ख	समर्थकों का उत्पादन	एमटी	1,72,860	17%
ग	अन्य घरेलू उत्पादकों का उत्पादन	एमटी	5,40,233	55%
घ	**कुल भारतीय उत्पादन**	**एमटी**	**9,88,010**	

स्रोत: घरेलू उद्योग द्वारा अपने क्षति संबंधी अनुबंधों में प्रस्तुत भारतीय उत्पादन का विवरण। दायर समर्थन पत्रों के अनुसार समर्थकों का उत्पादन।

25. यह नोट किया जाता है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के अनुसार, आवेदक घरेलू उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। आवेदक घरेलू उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से भी संबद्ध नहीं हैं। इसी के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आवेदक घरेलू उत्पादक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं।

अगोपनीय

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

26. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदकों द्वारा की गई टिप्पणियां समय-बाधित थीं, क्योंकि वे जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित 7 दिन की समय सीमा के बाद दायर की गई थीं।

ii. हितबद्ध पक्षकारों ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के तहत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। अत्यधिक गोपनीयता का दावा किए जाने का दावा बिना किसी आधार के है।

iii. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 के तहत प्रकट की जाने वाली आवश्यक सूचना के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल, अन्य भारतीय उत्पादकों के नाम और पते और अन्य सूचना के बारे में सूचना का प्रकटन नहीं किया है।

iv. आवेदकों ने अपने सदस्यों और उन सदस्यों की सूची प्रदान नहीं की है जिन्होंने आवेदन-पत्र का समर्थन किया है या विरोध किया है या तटस्थ रहे हैं। आवेदक एसोसिएशनों ने बैठक के कार्यवृत्त को गोपनीय बताया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

27. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदकों ने प्राप्त प्रतिक्रियाओं के संबंध में गोपनीयता पर टिप्पणियां दायर करने के लिए प्राधिकारी से समय बढ़ाने की विधिवत मांग की थी। आवेदकों ने विस्तारित समय सीमा के भीतर अपने अनुरोध दायर कर दिए हैं। यह नोट किया जा सकता है कि आवेदकों ने केवल गोपनीयता के संबंध में नहीं, बल्कि प्रतिक्रियाओं की सटीकता और पर्याप्तता के संबंध में भी अनुरोध दायर किए हैं।

ii. आवेदकों ने गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय सार प्रदान किए हैं, सिवाय उनके के जो सार के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं, इसके विपरीत उत्तरदाता हितबद्ध पक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीय सूचना का सहारा लिया है।

iii. हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में समायोजन की प्रकृति को गोपनीय होने का दावा किया है, जो कि अत्यधिक है।

iv. निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्पादित सामान, संबद्ध पक्षकारों, शेयरधारकों, वित्तीय विवरणों, प्रदान किए गए दस्तावेजों की सूची, विनिर्माण प्रक्रिया, विनिमय दर, लागू की गई लागत पद्धति, उप-उत्पाद, कच्चे माल आदि के संबंध में समायोजन से संबंधित कुछ प्रमुख सूचना पर गोपनीयता का दावा करके अनुचित गोपनीयता का सहारा लिया है।

v. उत्तरदाता निर्माताओं ने उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों के प्रकारों का प्रकटन नहीं किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की गई है:

29. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"(1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता का दावा करने के लिए अच्छा कारण दिखाया है। जिन सूचनाओं के लिए पक्षकारों द्वारा प्रकटन मांगा गया है, वे वाणिज्यिक स्वामित्व वाली सूचना हैं, जिनका प्रकटन पक्षकारों के व्यावसायिक हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।

च. <u>वर्तमान समीक्षा का क्षेत्र और आधार</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

32. समीक्षा के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. मध्यावधि समीक्षा का क्षेत्र केवल शुल्कों के पुन: निर्धारण तक सीमित नहीं किया जा सकता है। नियम 23 (1क) के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी केवल तभी शुल्क में बदलाव कर सकते हैं जब क्षति होने की संभावना हो, जिसका अर्थ है कि एक व्यापक मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता है।

ii. नियम 23 (1क) के तहत, जहां पाटनरोधी शुल्क की वापसी का उल्लेख किया गया है, वहीं शुल्क में वृद्धि का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, जबकि सामान्य तौर पर, मध्यावधि समीक्षा में यह जांच की जाएगी कि क्या शुल्क वापस लिया जा सकता है, शुल्क केवल अपवादों के मामले में बढ़ाया

जा सकता है, अर्थात, यदि घरेलू उद्योग को मूल जांच की तुलना में अधिक क्षति होती है।

iii. ऋशिरूप पॉलीमर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सर्वोच्च न्यायालय और निरमा लिमिटेड बनाम में भारत संघ में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के आधार पर एक मध्यावधि समीक्षा के लिए क्षति मार्जिन का पुन: निर्धारण आवश्यक है। हालाँकि, क्षति के अंतर को केवल तभी फिर से निर्धारित किया जा सकता है जब प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

iv. पाटनरोधी करार के नियम 23(1के) और अनुच्छेद 11.2 में व्यापक क्षति की जांच किए बिना क्षति मार्जिन के पुन: निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

v. एल्युमिनियम अलॉय रोड व्हील्स के मामले पर विश्वास करना गलत है, क्योंकि उस मामले में, घरेलू उद्योग ने केवल कुछ चुनिंदा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए शुल्क के पुन: निर्धारण की मांग की थी।

vi. प्रचालन परिपाटियों की पुस्तिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि समीक्षा जांच यह देखने तक सीमित होनी चाहिए कि क्या शुल्क मूल रूप से लगाए जाने के समय मौजूद स्थितियां इस हद तक बदल गई हैं कि अब शुल्क लगातार लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

vii. वर्तमान समीक्षा का क्षेत्र पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की पुन: जांच के मूल उद्देश्य तक ही सीमित रहना चाहिए, और उत्पाद श्रेणियों या शुल्क संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। सभी उत्पाद प्रकारों पर समान मात्रा में शुल्क लगाने के घरेलू उद्योग के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

viii. चूंकि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में विभिन्न उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता है, इसलिए सभी उत्पादों के लिए शुल्क की एकल शुल्क दर नहीं लगाई जा सकती है। अन्य जांचों में भी, जैसे कि पूरी तरह से एसेम्बल्ड स्थिति और रबड़ केमिकल्स में अलॉय स्टील शिसल/टूल और हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर, प्राधिकारी ने विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग शुल्क अधिसूचित किए हैं।

ix. चूंकि आवेदकों ने सकारात्मक सूचना प्रदान करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, जिससे समीक्षा की आवश्यकता प्रमाणित होती है, इसलिए विशेष रूप से नेपाल के विरुद्ध समीक्षा समाप्त कर दी जानी चाहिए।

x. जैसा कि कल्याणी स्टील लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सीगैट द्वारा माना गया है, मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत के लिए अनुरोध करने वाले पक्षकार को समीक्षा की आवश्यकता सिद्ध करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

xi. घरेलू उद्योग ने स्थायी प्रकृति की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया है। जांच की अवधि के दौरान कीमतों में वृद्धि से पता चलता है कि कीमतों में गिरावट स्थायी प्रकृति की नहीं है।

xii. आवेदकों द्वारा दावा की गई हेसियन कपड़े की कीमत अनियमित प्रतीत होती है, क्योंकि हेसियन कपड़ा एक उच्च मूल्य वाला उत्पाद है। निर्यातकों के आंकड़ों के अनुसार कीमत काफी अलग है।

xiii. यहां तक कि आवेदकों द्वारा स्वयं दी गई सूचना के अनुसार, कीमतों में गिरावट को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।

xiv. आयात कीमतों में उतार-चढ़ाव का पैटर्न दर्शाता है कि कीमतें एक अवधि में बढ़ी हैं, और अगली में घट गई हैं, जो सामान्य बाजार परिवर्तनशीलता को दर्शाती हैं। कीमतों में लगातार गिरावट का कोई प्रमाण नहीं है।

xv. निर्यात कीमत में गिरावट कई कारकों के कारण हो सकती है जैसे वैश्विक मांग में बदलाव, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, माल भाड़ा लागत या प्रतिस्पर्धी बाजार की गतिशीलता, और यह आवश्यक रूप से पाटन का संकेत नहीं है।

xvi. बांग्लादेश के नमूनाकृत उत्पादकों में, कच्चे जूट की कीमतों में 1% की गिरावट आई, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में संबद्ध सामानों की कीमत में 18% की वृद्धि हुई है।

xvii. इस दावे के समर्थन में कि कच्चे जूट की कीमतों में गिरावट नहीं आई है, आवेदकों ने नेपाल में नहीं, बल्कि भारत में कच्चे जूट की कीमतों पर भरोसा किया है। नेपाल में कच्चे जूट की कीमतों में गिरावट देखी गई है, जैसा कि नेपाल से भारत को कच्चे जूट के निर्यात के लिए व्यापार मानचित्र के आंकड़ों से स्पष्ट है।

xviii. कच्चे माल की लागत, लागत का केवल एक घटक है और उत्पादकता, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, संविदात्मक दायित्वों और बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें घट सकती हैं।

xix. संबद्ध सामानों की कीमतों की तुलना कच्चे जूट की कीमतों से करने पर पता चलेगा कि कीमतें केवल कच्चे जूट की कीमतों से प्रभावित नहीं होती हैं।

xx. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन-पत्र में स्वीकार किया है कि सेकिंग बैग्स और सेकिंग क्लाथ्स की कीमतों में गिरावट नहीं आई है। इसे देखते हुए, सेकिंग बैग और सेकिंग क्लाथ को समीक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

xxi. निर्यात के संबंध में स्थापित क्षमताओं से परे किए जा रहे तर्क केवल बांग्लादेश के उत्पादकों के संबंध में किए गए हैं। इस संबंध में नेपाल के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

xxii. जांच में उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तरों से पता चलेगा कि विचाराधीन उत्पाद का निर्यात स्थापित क्षमता से कम है, जो घरेलू उद्योग के दावों के विपरीत हैं। वास्तव में, संस्थापित क्षमता विदेशी उत्पादकों की उत्पादन क्षमता से लगभग 50% अधिक है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

33. समीक्षा के क्षेत्र के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. नियम 23(1क) के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क पाटन को रोकने के लिए आवश्यक सीमा तक होगा जो क्षति का कारण बनता है। चूंकि पाटन का मुकाबला करने में शुल्क अब प्रभावी नहीं हैं, इसलिए शुल्कों की मात्रा पुन: निर्धारित करने की आवश्यकता है।

ii. आवेदन-पत्र प्रोफार्मा एक मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के लिए संगत विभिन्न कारकों की भी पहचान करता है, और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचाने गए मापदंडों तक सीमित नहीं है।

iii. एक व्यापक समीक्षा का अनुरोध पहली बार सुनवाई में उनके खंडन अनुरोधों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया है। जांच शुरुआत के उत्तर में ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

iv. समीक्षा का क्षेत्र सीमित होना चाहिए, जैसा कि एल्युमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील्स के आयात से संबंधित मध्यावधि समीक्षा में है। हालाँकि, यदि प्राधिकारी को यह उचित लगता है कि वह एक व्यापक समीक्षा करे, तो संगत सूचना पहले ही रिकॉर्ड में रखी जा चुकी है।

v. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, मध्यावधि समीक्षा में क्षति का एक नया और स्वतंत्र निर्धारण आवश्यक नहीं है। ऋशिरूप पॉलीमर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मूल शुल्क लगाने के समय क्षति

की मौजूदगी के संबंध में दर्ज जांच परिणामों को तब तक वैध बने रहने के लिए माना जाना चाहिए जब तक कि यह अन्यथा साबित न हो जाए।

vi. हितबद्ध पक्षकारों ने नियम 23 (1क) की चयनात्मक व्याख्या पर भरोसा किया है, जिसमें शुल्क को "हटाने" या "बदलने" का प्रावधान है। इस प्रकार, नियमावली अनिवार्य रूप से किसी भी दिशा में शुल्कों के संशोधन को शामिल करती है।

vii. नियमावली प्राधिकारी को यह आकलन करने का आदेश देती है कि क्या शुल्क अभी भी उचित है, जिसमें यह जांच करना शामिल है कि क्या शुल्क का वर्तमान स्तर पाटन और क्षति को हल करने के लिए पर्याप्त है।

viii. यदि हितबद्ध पक्षकारों की व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि प्राधिकारी को तीव्र पाटन या क्षति के सामने शुल्क बढ़ाने से रोका जाएगा।

ix. विरोधी पक्षकारों द्वारा मैसर्स निरमा लिमिटेड के मामले में निर्णय पर भरोसा गलत है, क्योंकि समीक्षा का उद्देश्य क्षति के संबंध में नए सिरे से जांच किए जाने का इरादा नहीं है।

x. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, उत्पाद क्षेत्र के संशोधन और शुल्क संरचना के संशोधन में अंतर है। शुल्क संरचना को मध्यावधि समीक्षा में संशोधित किया जा सकता है, और इससे उत्पाद का क्षेत्र नहीं बदलता है।

xi. बांग्लादेश से आने वाले सेकिंग बैग और सेकिंग क्लाथ को छोड़कर सभी उत्पादों की आयात कीमतों में गिरावट आई है।

xii. आयात कीमत में गिरावट कच्चे जूट की कीमतों में गिरावट के अनुरूप नहीं है, जैसा कि जूट आयुक्त की वेबसाइट पर प्रकाशित जूट की कीमतों, जूट बेलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित कीमतों और घरेलू उद्योग के आंकड़ों से स्पष्ट है।

xiii. चूंकि वर्तमान शुल्क विद्यमान निर्यात कीमतों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता है।

xiv. कीमतों में गिरावट के साथ, मांग में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होने के बावजूद, सभी उत्पाद श्रेणियों में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। आयात में वृद्धि विशेष रूप से हेसियन फैब्रिक्स के मामले में स्पष्ट है।

xv. यदि पहले की गई निर्णायक समीक्षा जांच की अवधि से तुलना की जाए तो यही प्रवृत्ति दिखाई देगी।

xvi. प्रतिक्रियाशील उत्पादकों द्वारा व्यापार का पैटर्न लागू शुल्कों के संदर्भ में निर्यात कीमतों में निरंतर गिरावट और व्यापार व्यवहार में बदलने को दर्शाता है।

xvii. आयात में वृद्धि और कीमत न्यूनीकरण के साथ कीमतों में गिरावट का अर्थ यह है कि परिवर्तन प्रकृति में संरचनात्मक हैं, और अस्थायी उतार-चढ़ाव नहीं हैं।

xviii. हितबद्ध पक्षकारों ने कीमत परिवर्तन के अपने विश्लेषण में भ्रामक आंकड़ों पर भरोसा किया है। उचित विश्लेषण पिछली निर्णायक समीक्षा जांच की अवधि और जांच की वर्तमान अवधि के बीच की कीमतों के बीच होगा।

xix. निर्यातकों के एक उपसमुच्चय की कीमत प्रवृत्तियों पर हितबद्ध पक्षकारों की निर्भरता स्व-सेवा है और उद्योग-व्यापी प्रवृत्तियों को नहीं दर्शाती हैं।

xx. बांग्लादेश में विशेष बाजार की स्थिति को देखते हुए, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिए गए सीमित सहसंबंध को वास्तविक बाजार की गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

xxi. नेपाल और भारत में जूट की कीमतों को अलग करने का प्रयास उचित नहीं है, क्योंकि नेपाल के उत्पादक भारत और बांग्लादेश से जूट का आयात करते हैं।

xxii. बांग्लादेश के कुछ उत्पादकों ने अपनी क्षमता से कहीं अधिक उत्पाद मात्रा का निर्यात किया है।

xxiii. उत्पादन की तुलना में संस्थापित क्षमता 50% अधिक होने के हितबद्ध पक्षकारों के प्रवेश पर विचार करते हुए, भारत को निर्यात में वृद्धि सामान्य उत्पादन पैटर्न के आधार पर नहीं बताई जा सकती है और कीमत निर्धारण व्यवहार द्वारा संचालित निर्यातोन्मुखता दर्शाती है।

xxiv. सैकिंग बैग और सैकिंग क्लाथ्स को जांच के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद को लगातार एक एकल उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. वर्तमान समीक्षा नियम 23(1क) के अनुसार शुरू की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान हैं:

> *"(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी, जहां आवश्यक हो, अपनी पहल पर या किसी भी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर, जो ऐसी समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, कोई भी पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे, और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने तक उपयुक्त समयावधि बीत चुकी है और ऐसी समीक्षा पर,*

अगोपनीय

निर्दिष्ट प्राधिकारी, केंद्र सरकार को उसकी वापसी के लिए सिफारिश करेगें, जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना नहीं है, यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटा दिया जाता है या परिवर्तित किया जाता है और इसलिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है।"

35. प्राधिकारी ने 18 जून 2019 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें समीक्षा के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"6. घरेलू उद्योग सहित कोई भी हितबद्ध पक्षकार, मौजूदा पाटनरोधी/सीवीडी शुल्क की मात्रा या रूप को बदलने के लिए पाटनरोधी और सीवीडी नियमावली के क्रमशः नियम 23 और 24 के तहत समीक्षा की मांग कर सकता है। समीक्षा की आवश्यकता वाली बदली हुई परिस्थितियों में कच्चे माल की कीमतों, लागत, शुल्क संरचना, विनिमय दर आदि में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। प्राधिकारी ऐसी समीक्षा के लिए एक नई जांचावधि पर विचार करेंगे और पाटन मार्जिन या सब्सिडी मार्जिन, क्षति मार्जिन और पहुंच मूल्य जैसे प्रमुख मापदंडों का मूल्यांकन करेंगे इस चुनी हुई जांचावधि के लिए करेंगे। प्रपत्र सहित संशोधित पाटनरोधी/सीवीडी इस व्यापक पुन:परिकलन पर आधारित होगा।"

36. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान शुल्क अब प्रचलित निर्यात कीमतों के अनुरूप नहीं हैं और पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए अपर्याप्त हैं, और मौजूदा शुल्क संरचना की निरंतरता उपाय के उपचारात्मक इरादे को विफल कर रही है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि नियम 23 के तहत समीक्षा केवल शुल्क लगाने की आवश्यकता की जांच करने के लिए की जा सकती है, न कि शुल्क के पुन: निर्धारण के लिए। यह भी नोट किया जाता है कि मध्यावधि समीक्षा के दौरान शुल्क दरों को अलग-अलग करने की प्राधिकारी की सतत परिपाटी रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने विगत में भी नियम 23 के तहत शुल्क के पुन: निर्धारण के लिए समीक्षा की है। ऐसी ही एक समीक्षा, ऐक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर (एनबीआर) के आयात के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियम 23 के प्रावधानों के अनुरूप पाई गई थी। अत:, वर्तमान समीक्षा को नियम 23 के प्रावधानों से परे नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त , नियम 23 (1) में यह उल्लेख है कि "अधिनियम की धारा 9क के प्रावधान के तहत लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क, पाटन का प्रतिकार करने के लिए, जिससे

क्षति हो रही है, तब तक और जहां तक आवश्यक है, लागू रहेगा" "की सीमा तक" शुल्क की मात्रा है। इस प्रकार, यह नियम प्राधिकारी को शुल्क की मात्रा (मात्रा) में अंतर करने की अनुमति देता है।

37. इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 18 जून 2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि घरेलू उद्योग सहित कोई भी हितबद्ध पक्षकार शुल्क की मात्रा या स्वरूप बदलने के लिए नियम 23 के तहत समीक्षा शुरू करने की मांग कर सकता है। अत:, नियम 23 के प्रावधानों के तहत आवेदन-पत्र के लिए कार्यवाही करने में आवेदकों का औचित्य है।

38. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच करनी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मध्यावधि समीक्षा में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने तक उपयुक्त समयावधि बीत जाने के बाद ऐसी समीक्षा की आवश्यकता सिद्ध करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर या अपनी पहल पर, जहां आवश्यक हो, लागू पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की जांच करें और निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह निर्धारित करें कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति लागू पाटनररोधी शुल्क समाप्त किए जाने या उसमें अंतर किए जाने की स्थिति में जारी रहने या बार-बार होने की संभावना नहीं है। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क की अब आवश्यकता नहीं है तो प्राधिकारी उसको हटाए जाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे।

39. प्राधिकारी ने पहले चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 4,4 डायमिनो स्टिलबीन 2, 2 डाइसल्फोनिक एसिड (डीएएसडीए) में मध्यावधि समीक्षा के क्षेत्र के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख किया है।

> *"निर्णायक समीक्षा और मध्यावधि समीक्षा से संबंधित नियमावली की भाषा को जानबूझकर अलग रखा गया है ताकि वापसी की आवश्यकता को स्थापित करने में अधिक सावधानी पर जोर दिया जा सके। पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1क) में "संभावना नहीं" शब्द पर जोर, पाटनरोधी शुल्क की समय से पूर्व वापसी की जांच करते समय एक उच्च और सख्त दायित्व का संकेत देता है।"*

अगोपनीय

40. यही ऋशिरूप पॉलीमर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2006 (196) ईएलटी 385 (एससी)] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप भी है, जिसमें इसे निम्नानुसार नोट किया गया था।

> *"35. अन्यथा भी, हमारी राय है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा जांच का क्षेत्र इस बात की संतुष्टि तक सीमित है कि क्या उसके द्वारा प्राप्त सूचना पर इस तरह के शुल्क को जारी रखने का औचित्य है। अपने स्वभाव से, समीक्षा जांच यह देखने के लिए सीमित होगी कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने के समय जो स्थितियां थीं, उनमें इस हद तक बदलाव आया है कि अब शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जांच विभिन्न मापदंडों जैसे सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षतिरहित कीमत के निर्धारण और घरेलू उद्योग को क्षति में परिवर्तन तक सीमित है। उक्त जांच विभिन्न मापदंडों में परिवर्तन के संबंध में प्राप्त सूचना तक सीमित होनी चाहिए। समीक्षा जांच का पूरा उद्देश्य यह देखना नहीं है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है, बल्कि यह देखना है कि क्या ऐसे निरंतरता के अभाव में, पाटन में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग को क्षति होगी।*
>
> *36. यह नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि शुल्क को शुरु में लगाए जाने में, अपीलकर्ता ने इस स्थिति को स्वीकार किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा क्षति का निर्धारण उचित था और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II की आवश्यकताओं के अनुरूप था। अपीलकर्ता ने अधिकरण के समक्ष निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों को चुनौती नहीं दी कि अनुबंध-II के पैरा (iv) में उल्लिखित मापदंडों पर विचार नहीं किया गया था या उन्हें संतुष्ट नहीं किया गया था। हमने अपीलकर्ता को 2001 की सिविल अपील संख्या 773 और 774 में यह मुद्दा हमारे समक्ष उठाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज अंतिम जांच परिणामों के विरुद्ध निर्देशित थे, जिसके आधार पर भारत सरकार ने पांच साल की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया था। धारा 9क (1) के तहत, उक्त पाटनरोधी शुल्क को आरंभिक रूप से लगाया जाना आम तौर पर पांच साल की पूरी अवधि के लिए जारी रहने और प्रभावी रहने के लिए विचार किया जाता है, जिसके अंत में यह निर्णायक समीक्षा के अधीन होगा, जिसका संभावित परिणाम पाटनरोधी शुल्क की अवधि के संचालन का विस्तार होगा। पांच साल की अवधि के लिए यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अधीन है, जिसके*

तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को समय-समय पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने का अधिकार है। उपर्युक्त प्रावधानों की योजना को ध्यान में रखते हुए, एक बार जब पाटनरोधी शुल्क शुरू में लगाया जाता है, तो यह आम तौर पर पांच साल तक जारी रहेगा जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा पर यह नहीं पाया जाता है कि तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, कि यह आवश्यक माना जाता है कि या तो वापस ले लिया गया है या उचित रूप से संशोधित किया गया है, पाटनरोधी शुल्क जो लगाया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी स्व-विवेक से या समीक्षा के लिए आवेदक यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करने की स्थिति में नहीं है कि शुल्क लगाने के लिए प्रत्येक बुनियादी आवश्यकताओं या पूर्व शर्तों से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, तब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने के समय दिए गए निष्कर्ष को क्षेत्र में बने रहने के लिए माना जाना चाहिए।

37. <u>घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी पर पाटनरोधी शुल्क के शुरु में लगाये जाने के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अंतिम जांच परिणामों को तब तक वैध बने रहने के लिए माना जाना चाहिए, जब तक कि इसे अन्यथा साबित न किया जाए, या तो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्व-विवेक समीक्षा में या आवेदक द्वारा समीक्षा की मांग करके सिद्ध न किया जाए।</u> वर्तमान मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा शुरू की गई थी। ना तो निर्दिष्ट प्राधिकारी और ना ही अपीलकर्ता ने रिकॉर्ड पर कोई सामग्री रखी थी जो संभवतः प्रारंभिक पाटनरोधी शुल्क के चरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिए गए जांच परिणामों को सिद्ध कर सकती थी। किसी भी नई सामग्री की अनुपस्थिति में, निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुबंध-II पैरा (iv) में उल्लिखित सभी मानकों या मानदंडों को नए सिरे से लागू करने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले ही पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रारंभिक चरण में किया गया था। रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि क्षति से संबंधित मापदंडों या मानदंडों में कोई बदलाव हुआ है जो पाटनरोधी शुल्क की वापसी को उचित ठहराएगा। फिर भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अभी भी मध्यावधि समीक्षा के जांच परिणामों में क्षति के मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण किया है और अनुबंध-II में उल्लिखित सभी मानदंडों या मापदंडों पर विचार किया है। इसलिए, अनुबंध-II के अनुपालन के संबंध में अपीलकर्ता के तर्क में कोई औचित्य या सार नहीं है।"

अगोपनीय

41. अत:, प्राधिकारी नोट करते है कि प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालने के लिए क्षति के होने का निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क का निरंतर निर्धारण आवश्यक है। नियम 23(1क) के प्रावधानों और ऊपर उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, प्राधिकारी को यह जांचना आवश्यक है कि यदि समीक्षा में रिकॉर्ड किए गए कारकों के आधार पर, घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना नहीं है, तो शुल्क वापस ले लिया गया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में इसकी जांच की है।

42. शुल्क में वृद्धि की आवश्यकता के संबंध में, घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं।

क. संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत में गिरावट आई है।

ख. निर्यात कीमतों में गिरावट कच्चे जूट की कीमतों में गिरावट के अनुरूप नहीं है, जो संबद्ध सामानों की प्रमुख लागत है।

ग. उत्पादकों द्वारा उनकी संस्थापित क्षमता से परे निर्यात किया जा रहा है, जो अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित सामान का मार्ग दर्शाता है।

43. अत:, प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या निर्यात कीमतों में स्थायी प्रकृति का कोई परिवर्तन हुआ है, जिससे सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद प्राधिकारी शुल्क की वर्तमान मात्रा में संशोधन की आवश्यकता की जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त , प्राधिकारी यह भी जांच करेंगे कि क्या साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि विदेशी उत्पादकों ने अपनी क्षमता से अधिक मात्रा में निर्यात किया है।

च.3.1 संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत में गिरावट

44. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के लिए लेनदेन-वार आयात आंकड़ों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत में क्षति अवधि में वास्तविक गिरावट दिखाई गई है। जांच की अवधि में वृद्धि से पूर्व अवधियों में आई गिरावट दूर नहीं हुई है।

क्षति की अवधि में कीमतों की तुलना

उत्पाद	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बांग्लादेश					
हेसियन	रु./एमटी	1,24,991	1,16,134	89,927	1,04,334

यार्न	रु./एमटी	99,614	86,923	73,415	77,643
सैकिंग बैग/क्लाथ	रु./एमटी	1,01,156	88,584	79,093	82,753
नेपाल					
हेसियन	रु./एमटी	1,24,558	1,18,552	1,07,957	1,04,983
यार्न	रु./एमटी	87,947	75,495	59,814	66,341
सैकिंग बैग	रु./एमटी	1,05,543	91,434	82,462	84,802

स्रोत: डीजी सिस्टम आंकड़ों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की कीमतें

45. उपर्युक्त से, यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की कीमतों में तीव्र गिरावट आई है। जबकि प्राधिकारी अन्य पक्षकारों के इस तर्क से सहमत है कि जांच की अवधि के दौरान कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, आधार वर्ष की तुलना में कीमतें बहुत कम हैं।

46. तथापि, यह नोट किया जाता है कि चूंकि वर्तमान मामला परिस्थितियों में परिवर्तन से संबंधित है, इसलिए परिवर्तन को पिछली जांच, अर्थात निर्णायक समीक्षा की जांचावधि से देखा जाना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी ने जांच की वर्तमान अवधि के दौरान उत्पाद की कीमत की तुलना पिछली निर्णायक समीक्षा जांच की अवधि, अर्थात 2020-21 से की है। यह नोट किया जाता है कि सैकिंग को छोड़कर, इस अवधि के दौरान सभी उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई है।

निर्णायक समीक्षा जांच की अवधि में कीमतों से तुलना

उत्पाद	इकाई	2020-21 (एसएसआर पीओआई)	2024-25 (एमटीआर पीओआई)	परिवर्तन
बंगला देश				
हेसियन	रु./एमटी	1,12,435	1,04,334	-7%
यार्न	रु./एमटी	88,506	77,643	-12%
सैकिंग बैग/क्लाथ	रु./एमटी	78,237	82,753	6%
नेपाल				
हेसियन	रु./एमटी	1,21,225	1,04,983	-13%
यार्न	रु./एमटी	75,005	66,341	-12%
सैकिंग बैग	रु./एमटी	85,956	84,802	-1%

स्रोत: जांच की वर्तमान अवधि के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की कीमतें, और निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों के अनुसार 2020-21 में कीमतें।

47. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि कीमतों में गिरावट अलग-थलग, असामान्य और अस्थायी है। हालाँकि, प्राधिकारी को इसमें कोई औचित्य नहीं मिलता है। जबकि यह देखा गया है कि कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई है, निश्चित रूप से इस अवधि में कीमतों में लगातार गिरावट आई है।

48. यह भी नोट किया जाता है कि कीमतों में गिरावट के परिणामस्वरूप इस अवधि में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि आयात 2020-21 की तुलना में 2021-22 में घट गया है, लेकिन इसके बाद इसमें काफी वृद्धि हुई है।

संपूर्ण क्षति अवधि में मात्रात्मक की तुलना

उत्पाद	इकाई	2020-21 (एसएसआर पीओआई)	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बांग्लादेश						
हेसियन	एमटी	921	208	632	1,982	1,370
यार्न	एमटी	61,364	32,271	50,177	60,853	56,323
सैकिंग बैग/क्लाथ	एमटी	49,627	37,214	43,842	80,980	59,829
बांग्लादेश से आयात	एमटी	1,11,912	69,693	94,652	1,43,815	1,17,523
नेपाल						
हेसियन	एमटी	32,304	28,670	26,694	26,172	33,381
यार्न	एमटी	6,937	3,449	3,255	3,417	2,723
सैकिंग बैग	एमटी	27,606	10,922	14,918	16,868	12,788
नेपाल से आयात	एमटी	66,847	43,041	44,868	46,456	48,893
संबद्ध देशों से कुल आयात	एमटी	1,78,759	1,12,734	1,39,520	1,90,272	1,66,416

स्रोत: वर्तमान क्षति अवधि के लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों के अनुसार और निर्णायक समीक्षा जांच की अवधि के लिए निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों के अनुसार मात्रा।

49. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि निर्यात कीमत में गिरावट वैश्विक मांग में बदलाव, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, माल भाड़ा लागत या प्रतिस्पर्धी बाजार की गतिशीलता जैसे कारकों के कारण हो सकती है, और यह आवश्यक रूप से पाटन का संकेत नहीं है। हालाँकि, हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में कोई सूचना या साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे हैं कि इनमें से कौन सा कारक निर्यात कीमत को प्रभावित करता है, और किस हद तक। माल भाड़े की लागत में किसी भी बदलाव का पाटन मार्जिन के पुन: निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह कारखानागत की कीमतों पर आधारित होगा। जहां तक वैश्विक मांग का सवाल है, भारत में कीमतों की प्रवृत्ति के निर्धारण के लिए यह संगत नहीं है। यदि विभिन्न उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें कम हुई हैं, तो फिर भी पाटन होगा। इसलिए, प्राधिकारी को इस तर्क में कोई औचित्य नहीं मिलता कि कीमतों में गिरावट भारत में तीव्र पाटन का संकेत नहीं देती हैं।

50. इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि निर्यात कीमतों में गिरावट अस्थायी नहीं है। इसके अतिरिक्त, कीमतों में इस तरह की गिरावट के परिणामस्वरूप, लागू शुल्कों के बावजूद, भारत में आयात में वृद्धि हुई है। उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की निर्यात कीमतों में वास्तविक गिरावट आई है, और कीमतों में ऐसी गिरावट स्थायी प्रकृति की हैं।

च.3.2 कच्चे जूट की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुरूप निर्यात कीमतों में गिरावट नहीं हुई है

51. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कच्चे जूट की कीमतों के अनुरूप निर्यात कीमत में गिरावट नहीं है। कच्चा जूट संबद्ध सामानों के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल है। बेल्स के रूप में कच्चे जूट को जूट मिलों में जूट यार्न/ट्विन, हेसियन फैब्रिक, सैकिंग बैग और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए संसाधित किया जाता है, और विनिर्माण प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं जिनमें कार्डिंग, ड्राइंग और कताई शामिल हैं। घरेलू उद्योग ने जूट आयुक्त और जूट बेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सूचना प्रदान की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस आधार पर ऐसी सूचना पर भरोसा करने का विरोध किया है कि निर्यात कीमत की तुलना संबद्ध देशों में कच्चे जूट की

कीमत से की जानी चाहिए। प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इन अनुरोधों से सहमत हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि निर्यात कीमत में गिरावट संबद्ध देशों में कच्चे जूट की कीमतों के अनुरूप है, तो ऐसी गिरावट को लागत में गिरावट के अनुरूप उचित माना जाएगा। हालाँकि, यदि निर्यात के देश में कच्चे जूट की कीमतों की तुलना में संबद्ध सामानों की कीमतें कम हो गई हैं, तो संबद्ध सामानों की कीमत में गिरावट को कच्चे माल की कीमतों में बदलाव के साथ अत्यधिक और असंगत माना जाएगा।

52. इस उद्देश्य के लिए, प्राधिकारी ने बांग्लादेश से भारत में कच्चे जूट के आयात की कीमत पर विचार किया है, क्योंकि भारत का बांग्लादेश से कच्चे जूट के निर्यातों में सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, भारत नेपाल को कच्चे जूट का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके मद्देनज़र, भारत से नेपाल को कच्चे जूट के निर्यात की कीमत पर विचार किया गया है। डीजीसीआईएंडएस के प्रकाशित आंकड़ों से निम्नलिखित पता चलता है:

क्षति अवधि के दौरान कीमतों की तुलना

उत्पाद	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**अवधि में परिवर्तन**
बांग्लादेश						
हेसियन	रु./एमटी	1,24,991	1,16,134	89,927	1,04,334	-17%
यार्न	रु./एमटी	99,614	86,923	73,415	77,643	-22%
सैकिंग बैग/क्लाथ	रु./एमटी	1,01,156	88,584	79,093	82,753	-18%
कच्चे जूट की कीमत - भारत को निर्यात	रु./एमटी	71,885	68,381	55,268	59,953	-17%
नेपाल						
हेसियन	रु./एमटी	1,24,558	1,18,552	1,07,957	1,04,983	-16%
यार्न	रु./एमटी	87,947	75,495	59,814	66,341	-25%
सैकिंग बैग	रु./एमटी	1,05,543	91,434	82,462	84,802	-20%

कच्चे जूट की कीमत - भारत से आयात	रु./एमटी	69,351	59,465	51,199	59,242	-15%

स्रोत: डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की कीमतें।
बांग्लादेश से भारत में कच्चे जूट के आयात और भारत से नेपाल में कच्चे जूट के निर्यात के संबंध में डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कच्चे जूट की कीमतें

53. प्राधिकारी नोट करते हैं किया है कि इस अवधि में कच्चे जूट की कीमतों में भी गिरावट आई है। बांग्लादेश और नेपाल से हेसियन की कीमत और बांग्लादेश से सैकिंग की कीमत में एक साथ गिरावट आई है। हालांकि, दोनों संबद्ध देशों से यार्न की कीमत में गिरावट और नेपाल से सैकिंग की तुलना में अधिक है।

54. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान समीक्षा में जांच अवधि की तुलना में परिस्थितियों में परिवर्तन की जांच की आवश्यकता है, जिसमें मार्जिन को पहले परिमाणित किया गया था और शुल्कों को जारी रखा गया था। तदनुसार, प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा की जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि में कच्चे जूट की कीमतों और संबद्ध सामानों की कीमतों में परिवर्तन की भी तुलना की है।

निर्णायक समीक्षा की जांच की अवधि में कीमतों की तुलना

उत्पाद	इकाई	2020-21 (एसएसआर पीओआई)	2024-25 (एमटीआर पीओआई)	परिवर्तन
बांग्लादेश				
हेसियन	रु./एमटी	1,12,435	1,04,334	-7%
यार्न	रु./एमटी	88,506	77,643	-12%
सैकिंग बैग/क्लाथ	रु./एमटी	78,237	82,753	6%
कच्चे जूट की कीमत - भारत को निर्यात	रु./एमटी	62,429	59,953	-4%
नेपाल				
हेसियन	रु./एमटी	1,21,225	1,04,983	-13%
यार्न	रु./एमटी	75,005	66,341	-12%

सैकिंग बैग	रु./एमटी	85,956	84,802	-1%
कच्चे जूट की कीमत - भारत से आयात	रु./एमटी	62,516	59,242	-5%

स्रोत: जांच की वर्तमान अवधि के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की कीमतें, और निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों के अनुसार 2020-21 में कीमतें। बांग्लादेश से भारत में कच्चे जूट के आयात और भारत से नेपाल को कच्चे जूट के निर्यात के संबंध में डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कच्चे जूट की कीमतें

55. यह नोट किया जाता है कि सैकिंग को छोड़कर, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की कीमतें कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन की तुलना में कहीं अधिक दर से कम हुई हैं। प्राधिकारी का मानना है कि इनपुट कीमतों और आयात कीमत के बीच इस तरह का असमान उतार-चढ़ाव महत्वपूर्ण है। एक सामान्य वाणिज्यिक परिदृश्य में, एक प्रमुख इनपुट की कीमत में उतार-चढ़ा का तैयार माल की कीमत में उतार-चढ़ाव के साथ कुछ आनुपातिक संबंध होने की उम्मीद की जाएगी। हालाँकि, जहाँ तैयार उत्पाद की कीमतें मुख्य कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन से अधिक गिरावट दर्शाती हैं, वही यह दर्शाता है कि कीमत निर्धारण केवल इनपुट लागत में परिवर्तन से संचालित नहीं होती हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष निकालते हैं कि निर्णायक समीक्षा की तुलना में जब शुल्कों को पहले निर्धारित किया गया था, परिस्थितियों में बदलाव आया है,

56. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि उत्पादकता, किफायती मानदंडों संविदात्मक दायित्वों और बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण निर्यात कीमत में गिरावट आ सकती है, और कच्चे माल की लागत से जुड़ा नहीं हो सकता है। जहां तक कि किफायती मापदंडों और लागत कम करने वाली उत्पादकता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दर्शाने के लिए कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है कि भारत को निर्यात करने वाले प्रमुख उत्पादकों ने औसत कीमतों में गिरावट की पुष्टि करने के लिए सभी ऐसे परिवर्तनों का सामना किया है। भारत में. किसी भी मामले में, उत्पादकता में सुधार या किफायती मापदंडों के कारण लागत में किसी भी गिरावट को पहले से ही सामान्य मूल्य के निर्धारण में माना जाता है, जो विदेशी उत्पादकों के उत्पादन की लागत पर आधारित है। जहां तक संविदात्मक दायित्वों और बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतों में गिरावट का संबंध है, हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि कीमतों में इस तरह की गिरावट का कारण पाटन नहीं है।

57. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि कच्चे माल और संबद्ध सामानों की कीमतों के रुझान उनकी प्रतिक्रियाओं पर आधारित होने चाहिए। हालाँकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में संबद्ध देशों में औसत कीमतों और लागतों पर निर्भरता अधिक वस्तुनिष्ठ होगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी मामले में, सभी विदेशी उत्पादकों ने पिछली निर्णायक समीक्षा की जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों की कीमतें प्रदान नहीं की हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशी उत्पादकों ने क्षति की अवधि और पिछली निर्णायक समीक्षा की जांच की अवधि में कच्चे जूट की कीमतों में संबद्ध सामाना नहीं बताए हैं। इसलिए, प्राधिकारी इस संबंध में अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए आधिकारिक आयात और निर्यात आंकड़ों पर भरोसा करते हैं।

च.3.3 सामानों का मार्ग दर्शाने वाली उनकी संस्थापित क्षमता से अधिक निर्यात

58. घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि उत्पादकों की संस्थापित क्षमता से अधिक मात्रा में निर्यात संबद्ध देशों से किया जा रहा है। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि, बाजार आसूचना के आधार पर, कुछ बांग्लादेशी उत्पादक अपनी संस्थापित क्षमताओं से अधिक उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं और उच्च शुल्क लगने वाले उत्पादों को उन उत्पादकों के माध्यम से अपना सामान भेज रहे हैं जिन पर कम शुल्क लगता है। घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से सिडलो टेक्सटाइल्स और नवाहटा जूट मिल्स जैसे निर्यातकों का उल्लेख किया है, जिनकी संस्थापित क्षमताएं और भारत को निर्यात की मात्रा, घरेलू उद्योग के अनुसार, क्षमता से अधिक निर्यात दर्शाती हैं। प्राधिकारी ने संस्थापित क्षमता, उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा दावा की गई क्षमता और ऐसे निर्यातकों द्वारा निर्यात की मात्रा के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की तुलना की है। इसे नीचे नोट किया गया है।

क्र.सं.	उत्पादक	घरेलू उद्योग के अनुसार क्षमता (एमटी)	उत्तर के अनुसार क्षमता (एमटी	उत्तर के अनुसार- भारत को निर्यात (एमटी	उत्तर के अनुसार निर्यातकों द्वारा कुल बिक्री (एमटी
1	वेव जूट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	7,339	एनए	एनए	एनए

2	सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लि.	36,500-50,000	***	***	***
3	अहद जूट स्पिनर्स लिमिटेड	5,550	एनए	एनए	एनए
4	नवाहटा जूट मिल्स लिमिटेड।	35,000 pcs	***	***	***
5	मयमनसिंह जूट मिल्स लिमिटेड	9,000	एनए	एनए	एनए
6	हसन जूट मिल्स लिमिटेड	38,325	***	***	***
7	सिडलॉ टेक्सटाइल्स बीडी लिमिटेड	22,000	***	***	***
8	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	1,40,000	***	***	***

स्रोत: सहयोगी विदेशी उत्पादकों द्वारा उनकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार क्षमता और निर्यात। घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र में दी गई घरेलू उद्योग के अनुसार क्षमता।

59. अत:, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के दौरान एकत्र की गई सूचना के आधार पर, अलग-अलग उत्पादकों द्वारा निर्यात उत्पादकों की क्षमताओं से अधिक नहीं है। इसे देखते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस आधार पर जांच परिणाम रिकॉर्ड करने के लिए अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित सामानों को भेजे जाने का अपर्याप्त साक्ष्य है।

छ. <u>विविध अनुरोध</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

60. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं।

i. आवेदन-पत्र में क्षति के संबंध में सूचना नहीं थी, जो समीक्षा शुरू करने के उद्देश्य से इसे कमीपूर्ण बनाती है।

ii. चूंकि घरेलू उद्योग ने आवेदन-पत्र में क्षति की सूचना प्रस्तुत नहीं की, इसलिए इसे बाद में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

iii. घरेलू उद्योग ने नेपाल से हेसियन क्लाथ्स के विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग निर्यात कीमत के संबंध में सूचना दी है, जो अत्यधिक भ्रामक है।

iv. आवेदकों का दावा है कि उन्होंने डीजीआईसीएंडएस से आंकड़े प्राप्त किए हैं, जो असामान्य है, क्योंकि डीजीसीआईएंडएस निजी पक्षकारों को आंकड़े नहीं देता है।

v. अंतिम निर्धारण पुराने द्विपक्षीय संबंधों, नेपाल के विदेशी उत्पादकों द्वारा दायर उत्तरों, पाटनरोधी करार और भारतीय नियमावली को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

vi. बांग्लादेश में उत्पादन क्षमताओं के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे, विदेशी उत्पादकों के प्रचालनों की निर्यातोन्मुखी प्रकृति और वैकल्पिक बाजारों की उपलब्धता, नियम 11 के तहत एक क्षति जांच में पूर्वोउदाहरण नहीं हो सकता।

vii. बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए जूट क्षेत्र के महता इस जांच में संगत नहीं है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

61. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. संबद्ध सामानों का निर्यात बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि कच्चे जूट, पारंपरिक जूट उत्पादों और बहुमुखी जूट उत्पादों के निर्यात से निर्यात आय का 3.86% हिस्सा आता है।

ii. बांग्लादेश में उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार का महत्व प्रवंचना के इतिहास और इस मामले में की गई बहुत सी न्यू शिपर समीक्षाओं से सिद्ध है। बांग्लादेश सरकार, भारत सरकार द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को निष्प्रभावी करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है, जैसे कि नकद सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहन की अनुमति देना।

iii. निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में जारी सीमा शुल्क अधिसूचना में गलती से सैकिंग क्लाथ शामिल नहीं था। शुद्धि-पत्र के के माध्यम से त्रुटि को ठीक करने तक, बांग्लादेश से सैकिंग क्लाथ के आयात में 211% तक वृद्धि हुई।

iv. चूँकि शुल्क किस्म-वार आधार पर लगाया गया था, अत: इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति बनी जिससे उत्पाद के आयात कम या शून्य शुल्क के अध्यधीन बढ़े हैं, जबकि अधिक शुल्कों के अध्यधीन उत्पादों के आयात कम हुए हैं। अत:, शुल्क की एक मात्रा इस उत्पाद के लिए लगाई जानी चाहिए, जैसा कि अन्य जांचों में किया गया है।

v. उत्पादक-निर्यातकों के लिए विशिष्ट शुल्क पर लौटने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान उत्पादक-विशिष्ट शुल्क का विदेशी उत्पादकों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

vi. घरेलू उद्योग ने प्रकाशित डीजीआईसीएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है, जो सभी पक्षकारों के लिए उपलब्ध है, और किसी भी गोपनीय आंकड़ों पर नहीं, जैसा कि विरोधी पक्षकारों ने आरोप लगाया है।

vii. प्रत्येक उत्पाद प्रकार की कीमतें एक विशेष एचएस कोड में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर आकलित की गई हैं, जिसकी जांच प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है। यह दावा कि कीमतें हितबद्ध पक्षकारों की अपेक्षा से संबंधित नहीं हैं, आधिकारिक प्रकाशित आंकड़ों को अविश्वसनीय नहीं बनाता है।

viii. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, क्षति की सूचना रिकॉर्ड में दी गई है। प्राधिकारी उचित निर्धारण करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सूचना मांग सकते हैं, सत्यापित कर सकते है और उस पर विचार कर सकते हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

62. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि किसी उत्पाद-प्रकार के आधार पर शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि सभी उत्पाद प्रकारों पर एक समान शुल्क लगाया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी उत्पादक और निर्यातक-विशिष्ट शुल्क पर वापस जाए, ताकि निर्यातकों या व्यापारियों द्वारा वर्तमान शुल्क संरचना के दुरुपयोग से बचा जा सके। हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि मध्यावधि समीक्षा में शुल्क संरचना की समीक्षा नहीं की जा सकती है। प्राधिकारी का मानना है कि मध्यावधि समीक्षा में शुल्क के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। वास्तव में, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 जून 2019 के अनुसार, प्राधिकारी ने नोट किया है कि मध्यावधि समीक्षा में शुल्क के स्वरूप बदल सकते हैं।

> *"6. घरेलू उद्योग सहित कोई भी हितबद्ध पक्षकार मौजूदा पाटनरोधी/सवीडी शुल्क की मात्रा या स्वरूप को बदलने के लिए क्रमश: पाटनरोधी और सीवीडी नियमावली के नियम 23 और 24 के तहत समीक्षा की मांग कर सकता है। बदली हुई परिस्थितियों, जिनसे समीक्षा आवश्यक हो, में कच्ची सामग्री की कीमतों, लागतों, शुल्क संरचना, विनियमय दर आदि में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। प्राधिकारी ऐसी समीक्षा के लिए नई जांचावधि पर विचार करेंगे और उस चुनी हुई जांचावधि के लिए पाटन मार्जिन या सब्सिडी मार्जिन, क्षति मार्जिन और पहुंच मूल्य जैसे सभी प्रमुख मापदंडों का मूल्यांकन करेंगे। स्वरूप सहित संशोधित पाटनरोधी/सीवीडी इस व्यापक पुन:परिकलन पर आधारित होगा।"*

63. तथापि, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद शुल्क के स्वरूप में संशोधन की की आवश्यकता से संबंधित के मुद्दे की जांच करेंगे, कि शुल्क में संशोधन की आवश्यकता वाली अंतिम प्रकृति की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

64. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि चूंकि घरेलू उद्योग ने आवेदन-पत्र में क्षति की सूचना प्रदान नहीं की थी, इसलिए इसे बाद में इसे प्रस्तुत करने से रोका जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों ने निर्धारित रूप और तरीके से मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया। आवेदन-पत्र में शुल्क में वृद्धि की मांग की गई थी और इसमें समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाने के लिए संगत सूचना शामिल थी। प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को विधिवत संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकारी ने मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित करते हुए वर्तमान समीक्षा शुरू की। एक बार समीक्षा शुरू हो जाने के बाद, अंतिम जांच परिणाम निकालने के लिए संगत ऐसी सूचना को मंगाने और रिकॉर्ड में रखना, प्राधिकारी का अधिकार है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्षति की सूचना घरेलू उद्योग द्वारा अधिसूचित समय सीमा के भीतर प्रदान की गई थी, और इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों को इस संबंध में अपने हितों की रक्षा करने का पर्याप्त अवसर मिला था। इसलिए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति की सूचना पर भरोसा करना उचित समझते हैं।

65. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध सामान बंगलादेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, और बांग्लादेश सरकार प्रदत्त शुल्कों को निष्प्रभावी करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। घरेलू उद्योग ने उस अवधि के दौरान सैकिंग क्लाथ के आयात में भारी वृद्धि पर भी प्रकाश डाला है जब ऐसे क्लाथ को शुल्क से छूट दी गई थी। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश की सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी वर्तमान समीक्षा के औचित्य की जांच करने में सीमित संगतता रखती है। इसलिए प्राधिकारी ने इसकी जांच नहीं की है।

ज. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

66. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. प्राधिकारी ने अंतिम नमूनाकरण अधिसूचना जारी करने में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध की जांच नहीं की है, और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार करने के कारण नहीं बताए हैं।

ii. सलीम लिमिटेड ने नमूने के हिस्से के रूप में विचार करने के लिए सहमति नहीं दी है। नियम 17 (3) के अनुसार, नमूने के लिए चयन निर्यातकों/उत्पादकों के परामर्श और सहमति से किया जाएगा।

iii. यदि सलीम को अपने व्यवसाय को बंद करने के वास्तविक कारणों के बावजूद नमूने में शामिल किया जाता है, तो इसके निर्धारित मार्जिन तुलनात्मक रूप से अधिक होंगे। इससे अन्य गैर-नमूनाकृत उत्पादकों के लिए भारित औसत मार्जिन प्रभावित होगा।

iv. पूर्ण सहयोग और महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात के बावजूद, अर्नु जूट मिल्स को नमूनाकृत उत्पादकों से बाहर रखा गया है। अर्नु जूट मिल्स को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है।

v. हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और हसन जूट मिल्स लिमिटेड, जनता जूट मिल्स लिमिटेड, सागर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड, सोनाली अंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिडलॉ टेक्सटाइल्स (बांग्लादेश) लिमिटेड ने काफी मात्राओं में निर्यात किया है, परंतु नमूनाकृत नहीं किए गए हैं।

vi. नियम 17(3) के अनुसार, डीजीटीआर मैनुअल और पाटनरोधी करार के नमूने का चयन निर्यात मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। वर्तमान मामले में, भले ही अर्नु जूट मिल्स का निर्यात लवली जूट मिल्स से अधिक है, लेकिन अर्नु जूट मिल्स को नमूने से बाहर रखा गया है, जबकि लवली जूट मिल्स को चुना गया है।

vii. निर्णायक समीक्षा में, अर्नु जूट को नमूना उत्पादकों के हिस्से के रूप में चुना गया था। निर्यात मात्रा के आधार पर उत्पादकों का चयन करने के समान दृष्टिकोण पर वर्तमान मामले में भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि मध्यावधि समीक्षा निर्णायक समीक्षा के समान शुल्क ढांचे की निरंतरता है।

viii. यूएसए और यूरोपीय संघ जैसे वैश्विक जांच प्राधिकारी सबसे बड़े निर्यात मात्रा के आधार पर नमूने का निर्धारण करते हैं।

ix. चल रही प्रतिकारी शुल्क जांच में, निर्यात की मात्रा के आधार पर नमूने का प्रस्ताव किया गया है।

x. अनेक पूर्व जांचों में, प्राधिकारी ने उच्च निर्यात मात्रा, निर्यातक देश के आंकड़ों में प्रतिनिधित्व, और पूर्ण और विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नमूने का निर्धारण किया है। तथापि, वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है।

xi. नमूने से अर्नु को बाहर करने के परिणामस्वरूप इसके निर्यात पर अवशिष्ट या भारित औसत शुल्क दर लागू होगी। यह अर्नु के वास्तविक निर्यात कीमतें, लागतें या पाटन मार्जिन को नहीं दर्शाएगा, जिससे उत्पादक को वास्तविक पूर्वाग्रह होगा।

xii. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 और 6.10.2 के अनुसार, सहयोगी निर्यातकों को अलग अलग मार्जिन दिया जाना चाहिए जब तक कि उनकी जांच अनुचित रूप से बोझिल न हो।

xiii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता के संबंध में लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं, और उन्हें सहयोग करने वाले उत्पादकों की प्रतिक्रियाओं पर विचार करने को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

xiv. जब तक कोई पक्षकार संगत सूचना से इनकार नहीं करता है, या जांच में अत्यधि बाधा नहीं डालता है, तब तक दायर की गई प्रतिक्रिया को खारिज नहीं किया जा सकता है।

xv. चूंकि प्रश्नावली के उत्तरों के लिए 2020-21 के संबंध में सूचना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐसी सूचना प्रदान करने में विफलता के आधार पर उत्तरों को अपर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

xvi. उत्पादकों द्वारा वास्तव में खर्च की गई इनपुट लागत के सरकारी हस्तक्षेप के प्रत्यक्ष और प्रदर्शन योग्य प्रभाव के अभाव में, विशेष बाजार स्थिति के आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यूरोपीय संघ - लागत समायोजन पद्धतियों में पैनल द्वारा भी माना गया था।

xvii. घरेलू उद्योग ने यह भी नहीं दर्शाया है कि कच्चे जूट की कीमतों में कथित विकृति सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना को रोकती है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

67. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. बांग्लादेश में एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद है, जो सरकारी नियमावली प्रशासित समर्थन, निर्देशित खरीद, प्रोत्साहन और कच्चे जूट की कीमतों को नियंत्रित करने के कारण है। इसलिए, इनपुट कीमतें स्वतंत्र बाजार शक्तियों के

बजाय राज्य की कार्रवाई से प्रभावित होती हैं, जो विदेशी उत्पादकों को लागत लाभ प्रदान करती हैं।

ii. बांग्लादेश में जूट क्षेत्र जूट अधिनियम, 2017 और राष्ट्रीय जूट नीति, 2018 के माध्यम से विनियमित हैं, जो कच्चे जूट और जूट उत्पादों के उत्पादन, खरीद, कीमत निर्धारण, व्यापार और आपूर्ति की सरकारी निगरानी के लिए प्रावधान करते हैं।

iii. जूट अधिनियम, अन्य बातों के अलावा, बांग्लादेश सरकार को जूट और जूट उत्पादों के व्यापार को विनियमित करने, सार्वजनिक खरीद करने, कीमत स्थिरीकरण उपायों को अपनाने, विभिन्न ग्रेडों के लिए न्यूनतम और अधिकतम कीमत तय करने, बिक्री या निर्यात को विनियमित या प्रतिबंधित करने, विशिष्ट व्यक्तियों को सीधे बिक्री करने और पक्षकारों के बीच बिक्री की कीमतें निर्धारित करने की अनुमति देता है।

iv. जूट की खेती के लिए किसानों को बजटीय प्रोत्साहन, मुफ्त उच्च उपज वाले बीज और कृषि लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

v. निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों और आर्थिक क्षेत्रों में स्थित उत्पादकों को बिजली टैरिफ, स्टाम्प शुल्क और वैट छूट के संबंध में अतिरिक्त रियायतें मिलती हैं।

vi. रिकॉर्ड पर दी गई सूचना से पता चलता है कि कच्चे जूट की घरेलू कीमतें निर्यात कीमतों से काफी कम हैं।

vii. सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क (1) (ग) (ii) के तहत, जहां किसी विशेष बाजार की स्थिति के कारण, घरेलू बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, सामान्य मूल्य वैकल्पिक आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इस संबंध में यूरोपीय आयोग द्वारा अपने बुनियादी पाटनरोधी विनियमन (ईयू) 2016/1036 (विशेष रूप से 2017/2321 और 2018/825 के माध्यम से) में "महत्वपूर्ण विकृतियों" और "विशेष बाजार स्थितियों" को हल करने के लिए किए गए संशोधनों पर भी भरोसा किया गया है।

viii. चूँकि सरकारी नियंत्रण में विशिष्ट बाजार स्थितियां हैं, जिसके कारण बांग्लादेश में घरेलू कीमतें और लागत उचित तुलना की अनुमति नहीं देती हैं, अत: बांग्लादेश में घरेलू कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कच्चे जूट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों सहित अविकृत बेंचमार्क पर विचार करके सामान्य मूल्य का निर्माण किया जाना चाहिए।

ix. बाजार आसूचना और निर्यातक की भागीदारी उन उदाहरणों को दर्शाती हैं, जहां रिपोर्ट किए गए निर्यात संस्थापित क्षमता से अधिक होते हैं। इस संबंध में सभी

उत्पादकों (नमूनाकृत और गैर-नमूनाकृत) के लिए क्षमता का सख्त सत्यापन और निर्यात मात्रा के साथ समाधान की आवश्यकता है।

x. विदेशी निर्माताओं द्वारा दायर प्रतिक्रिया को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वे सभी वास्तविक पहलुओं में पूर्ण न पाए जाएं।

xi. दायर की गई प्रतिक्रियाओं में क्षमता, उत्पाद मिश्रण और कीमत निर्धारण के संबंध में देखे गए व्यापार पैटर्न के साथ अनुरूपता की कमी है। निर्यातकों के दावों को सत्यापित व्यापार आंकड़ों और रिकॉर्ड पर रखे गए समग्र बाजार प्रवृत्ति प्रोफाइल के खिलाफ सत्यापित करने का अनुरोध किया जाता है।

xii. वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटी के अनुरूप, प्राधिकारी को रिकॉर्ड की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, यह जांचने के लिए कि क्या प्रतिक्रियाएं विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सभी कंपनी संचालन को कवर करती हैं, निर्यातक प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करने से पहले एक पूर्णता परीक्षण करना चाहिए।

xiii. मात्र एक्सेल फाइलें पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और प्रतिक्रिया को सत्यापित करने के उद्देश्य से संगत सूचना मांगी जानी चाहिए। निर्यातकों द्वारा दायर की जा रही ऐसी सभी सूचनाओं और साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर भी दायर किया जाना चाहिए।

xiv. भारित-औसत मार्जिन का निर्धारण सहयोगी निर्यातकों के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, और किसी उत्पादक की प्रतिक्रिया की अस्वीकृति का इस संबंध में कोई संगतता नहीं है।

xv. नमूने से बाहर निकलने या नमूने से परे अलग-अलग पाटन मार्जिन के अनुदान की मांग करने वाला कोई भी अनुरोध नियमावली के अनुरूप नहीं है और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

xvi. एक बार जब सलीम एग्रो ने उत्तर दायर कर दिया, तो इसका तात्पर्य जांच में भाग लेने का इरादा है।

xvii. यदि सलीम एग्रो ने प्रचालन बंद कर दिया है, या भाग लेने का इरादा नहीं किया है, तो इसे उचित स्तर पर आवश्यक साक्ष्य के साथ रिकॉर्ड में लाया जाना चाहिए था।

xviii. हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विरुद्ध, नमूनाकरण पद्धति पूरी जांच में निरंतर रही है। नमूनों का निर्माण, मामले के तथ्यों के आधार पर आवश्यक रूप से अलग अलग है।

xix. नमूने में अर्नु जूट के पिछले समावेश से उत्पादक को वर्तमान जांच में शामिल होने का कोई निहित अधिकार नहीं मिलता है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

68. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

2. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बांग्लादेश के 38 उत्पादकों/निर्यातकों और नेपाल के 5 उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

3. नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार, जबकि प्राधिकारी उन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण करेंगे जिन्होंने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं; ऐसी स्थिति में जहां बांग्लादेश से बड़ी संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं, प्राधिकारी उत्तरों को सीमित संख्या में उत्पादकों तक सीमित करके नमूने का सहारा ले सकते हैं। इस संबंध में नियमावली में निम्नलिखित प्रावधान हैं।

17(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के अधीन वस्तु के प्रत्येक ज्ञात निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करेंगे:

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों या वस्तुओं के प्रकारों की संख्या इतनी अधिक है कि ऐसा निर्धारण अव्यावहारिक हो जाता है, यह चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध नमूनों का उपयोग करके, या प्रश्न में देश से निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत तक, जिसकी उचित रूप से जांच की जा सकती है, अपने जांच परिणामों को सीमित कर सकते हैं, और इस परंतुक के तहत किए गए निर्यातकों, उत्पादकों या वस्तुओं के प्रकारों का कोई भी चयन, संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों या आयातकों के परामर्श और सहमति से किया जाएगा:

बशर्ते कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करेंगे, यद्यपि शुरू में नहीं चुना गया है, जो समय पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करता है, सिवाय जहां निर्यातकों या उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक है कि व्यक्तिगत जांच अनुचित रूप से बोझिल होगी और जांच को समय पर पूरा करने से रोकेगी।"

69. बांग्लादेश से बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, प्राधिकारी ने बांग्लादेश के उत्पादकों के नमूनाकरण पर विचार किया। इसे दिनांक 2 जनवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद, नमूनाकृत उत्पादकों को दिनांक 10 फरवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। प्राधिकारी ने एक स्तरीकृत नमूना पद्धति को अपनाया है, और भारत को निर्यात की मात्रा के उच्च, मध्यम और निम्न बैंड के बीच नमूने के लिए प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादक निर्यातकों का चयन किया है। निम्नलिखित उत्पादकों को नमूने के एक भाग के रूप में माना गया था।

i. ए. एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बांग्लादेश
ii. आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बांग्लादेश
iii. बोनान्ज़ा जूट कंपोजिट एंड डाइवर्स फैक्ट्री लिमिटेड, बांग्लादेश
iv. लवली जूट मिल्स लिमिटेड, बांग्लादेश
v. मेसर्स नटोर जूट मिल्स, बांग्लादेश
vi. नवाहाटा जूट मिल्स लिमिटेड, बांग्लादेश
vii. मेसर्स पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज, बांग्लादेश

viii. रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बांग्लादेश

ix. सलीम एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बांग्लादेश

x. सुपर जूट मिल्स लिमिटेड, बांग्लादेश

70. सलीम एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("सलीम एग्रो") ने शुरू में यह अनुरोध किया कि उसने नमूनाकृत उत्पादकों का हिस्सा बनने के लिए सहमति नहीं दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि नियमावली में यह प्रावधान है कि नमूनाकरण का चयन विदेशी उत्पादकों के परामर्श और सहमति से किया जाना चाहिए, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि प्राधिकारी के समक्ष भाग लेने के इरादे से नमूने के भीतर उत्पादक के चयन के लिए उत्पादक की स्पष्ट सहमति फिर से ली जानी चाहिए। इसके बाद, 17 फरवरी 2026 के पत्र के माध्यम से, सलीम एग्रो ने जांच से अपना उत्तर वापस ले लिया। इसलिए, निर्धारण के प्रयोजन के लिए दायर की गई प्रतिक्रिया पर विचार नहीं किया गया है।

71. अर्नु जूट मिल्स लिमिटेड ("अर्नु जूट") ने तर्क दिया है कि पूर्व निर्णायक समीक्षा में जांच परिणामों के अनुरूप, इसे नमूने के एक भाग के रूप में माना जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, अर्नु जूट और कुछ अन्य उत्पादकों ने दावा किया कि निर्यात की मात्रा के आधार पर उन्हें नमूने का हिस्सा माना जाना चाहिए था। नियम 17 (3) के तहत, नमूनाकृत उत्पादकों का चयन उनके चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध नमूनों का उपयोग करके किया जा सकता है, या प्रश्नगत देश से निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए जिसे उचित रूप से जांचा जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा में, भारत को निर्यात की विभिन्न मात्रा वाले निर्यातकों का चयन करने के लिए नमूना निर्धारित किया गया था। अर्नु जूट इस मानदंड के आधार पर नमूने का हिस्सा बना। मूल जांच में भी यही मानदंड लागू किया गया था। वर्तमान मध्यावधि समीक्षा में भी प्राधिकारी ने भारत को निर्यात की मात्रा के उच्च, मध्यम और निम्न बैंड के बीच नमूने के लिए उत्तरदायी उत्पादक निर्यातकों का चयन किया है। नमूने की ऐसी विधि, अर्थात सांख्यिकीय रूप से वैध नमूने का चयन, नियमावली के तहत अनुमेय है। एक बार जब प्राधिकारी ने सांख्यिकीय रूप से वैध नमूना निर्धारित करने का विकल्प चुन लिया है, तो यह जांचना आवश्यक नहीं है कि क्या नमूने का हिस्सा बनने वाले कुछ उत्पादकों की तुलना में बड़े निर्यात मात्रा वाले उत्तरदायी गैर-नमूना उत्पादक हैं। अत: क्या अर्नु जूट का नमूना उत्पादकों के हिस्से के रूप में अलग अलग उत्पादकों की तुलना में अधिक या कम है, यह वर्तमान निर्धारण के लिए संगत नहीं है।

72. प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क में कोई औचित्य नहीं मिलता कि स्वैच्छिक प्रतिक्रियाओं पर विचार करने और सभी निर्यातकों को अलग अलग पाटन मार्जिन की अनुमति देने का अनिवार्य दायित्व है। नियम 17(3) और इसका परंतुक यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि प्राधिकारी समय पर जांच पूरी करने के हित में, जहां आवश्यक हो, कुछ निर्यातकों की जांच को सीमित कर सकते हैं।

73. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि यदि कुछ नमूना उत्पादकों की प्रतिक्रिया को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उनके प्रति पूर्वाग्रह होगा। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को नमूनाकृत उत्पादकों के लिए भारित औसत मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें न्यूनतम मार्जिन पाए गए उत्पादकों को छोड़कर, या जिनके लिए मार्जिन उपलब्ध तथ्यों को लागू करके निर्धारित किया गया है। अत:, नमूनाकृत उत्पादकों की प्रतिक्रिया अस्वीकार करने के कारण, गैर-नमूनाकृत उत्पादकों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

74. इसके अतिरिक्त, नेपाल के निम्नलिखित उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। ऐसे उत्पादकों द्वारा दायर उत्तर पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए विचार किया गया है:

i. अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड, नेपाल
ii. बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नेपाल
iii. श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नेपाल
iv. श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड, नेपाल
v. स्वस्तिक जूट मिल्स (पी) लिमिटेड, नेपाल

75. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कच्चे जूट के क्षेत्र में सरकारी प्रभाव और हस्तक्षेप के कारण बांग्लादेश में एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद है। परिणामस्वरूप, कच्चा जूट, जो प्रमुख इनपुट है, संबद्ध देश में उत्पादकों को उन कीमतों पर आपूर्ति की जाती है जो उचित बाजार स्थितियों को नहीं दर्शाती हैं। घरेलू उद्योग का दावा है कि बांग्लादेश सरकार ने सांविधिक दस्तावेजों, नीति और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से कच्चे जूट की कीमतों को प्रभावित किया है और कृत्रिम रूप से कम किया है। घरेलू उद्योग ने अपने तर्कों के समर्थन में जूट अधिनियम, 2017 और राष्ट्रीय जूट नीति, 2018 पर विश्वास किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां तक कि यदि यह मान भी

लिया जाए कि कच्चे जूट की कीमतें विकृत हैं जिसके परिणामस्वरूप एक विशेष बाजार स्थिति उत्पन्न होती है, तो घरेलू उद्योग के तर्क यह नहीं बताते कि ऐसी विशेष बाजार स्थिति सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना को क्यों रोकती है। इसके अतिरिक्त, किसी उत्पाद के संबंध में एक समानांतर सब्सिडीरोधी जांच चल रही है, जिसमें ऐसे कारकों को पर्याप्त रूप से हल किया जा सकता है।

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क(1)(ग) के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण निर्यातक देश में खपत के लिए नियत समान वस्तु की, व्यापार की सामान्य प्रकिया में, तुलनीय कीमत के आधार पर किया जाना आवश्यक है। तथापि, जब किसी विशिष्ट बाजार स्थिति के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना करना संभव नहीं होता है, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण वैकल्पिक आधार पर किया जा सकता है। इस संबंध में, 'ऑस्ट्रेलिया - ए4 कॉपी पेपर पर पाटनरोधी उपाय' (डब्लूटी/डीएस529/आर) के पैनल ने भी निम्नानुसार अवलोकन किया है:

"7.73. जहाँ एक "विशिष्ट बाजार स्थिति" का होना पाया जाता है, वहाँ जांच प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि घरेलू और निर्यात कीमत की "उचित तुलना" संभव हो पाती है या नहीं। हमारा मानना है कि "उचित तुलना" की शब्दावली घरेलू और निर्यात कीमतों की तुलना के संबंध में एक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

7.74. "उचित" शब्द का सामान्य अर्थ "किसी निर्दिष्ट या अंतर्निहित उद्देश्य या आवश्यकता के लिए उपयुक्त; परिस्थितियों या स्थितियों के अनुकूल;... उपयुक्त, सटीक; सही, उचित" है। "तुलना" शब्द को "दो या दो से अधिक चीजों की समानताओं और अंतरों को नोट करने या तुलना करने की क्रिया या कार्य" के रूप में समझा जा सकता है। <u>"उचित तुलना की अनुमति" संबंधी परीक्षण का कार्य यह निर्धारित करना है कि पाटन की मौजूदगी की पहचान करने के लिए घरेलू कीमत का उपयोग निर्यात कीमत के साथ तुलना के आधार के रूप में किया जा सकता है या नहीं। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 में यहाँ यह निहित है कि "एक उचित तुलना" शब्द घरेलू कीमत और निर्यात कीमत के बीच की तुलना को संदर्भित करते हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 के दूसरे खंड के अंतर्गत एक जांच प्राधिकारी की जॉच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या विशिष्ट बाजार स्थिति या कम मात्रा के कारण व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान उत्पाद की घरेलू बिक्री, निर्यात कीमत और घरेलू बिक्री कीमत के बीच उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है।</u>

7.75. यद्यपि अनुच्छेद 2.2 में उचित तुलना घरेलू और निर्यात कीमतों के बीच की तुलना को संदर्भित करती है, दोनों कीमतों के बीच केवल एक संख्यात्मक तुलना से यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि घरेलू कीमत की निर्यात कीमत से उचित रूप से तुलना की जा सकती है या नहीं। बल्कि, घरेलू और निर्यात कीमतों का एक गुणात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक है। वाक्यांश "विशिष्ट बाजार स्थिति के कारण" यह स्पष्ट करता है कि घरेलू और निर्यात कीमतों की उचित तुलना की जा सकती है या नहीं, इस गुणात्मक मूल्यांकन का ध्यान इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि विशिष्ट बाजार स्थिति उस तुलना को कैसे प्रभावित करती है। इसलिए, हमारा मानना है कि "उचित तुलना" की शब्दावली घरेलू और निर्यात कीमतों पर विशिष्ट बाजार स्थिति के सापेक्ष प्रभाव के मूल्यांकन की मांग करती है। हम समझते हैं कि, कुछ परिस्थितियों में, इस मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, जांच प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि विशिष्ट बाजार स्थिति का निर्यात कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

7.76. विशिष्ट बाजार स्थिति के कारण "एक उचित तुलना" की अनुमति है या नहीं, इस मूल्यांकन पर आते हुए, हम नोट करते हैं कि विश्लेषण का ध्यान इस बात पर है कि क्या विशिष्ट बाजार स्थिति का प्रभाव ऐसा है कि विचाराधीन घरेलू बिक्री कीमतों और निर्यात कीमतों के बीच उचित तुलना की अनुमति नहीं मिलती है। दूसरे शब्दों में, जांच प्राधिकारी को घरेलू बिक्री की जांच करनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि विशिष्ट बाजार स्थिति के प्रभाव के बावजूद दोनों कीमतों के बीच उचित तुलना की अनुमति है या नहीं। मुख्य बिंदु यह निर्धारित करना है कि क्या कोई तुलनीय घरेलू कीमत है (अर्थात क्या गैट 1994 के अनुच्छेद VI:1(ख) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.1 के अर्थ में "निर्यातक देश में खपत के लिए नियत समान उत्पाद के लिए, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में, तुलनीय कीमत" मौजूद है)। वह निर्धारण तथ्य-विशिष्ट होता है और जांच प्राधिकारी द्वारा निर्यात कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, के संबंध में घरेलू कीमत पर विशिष्ट बाजार स्थिति के प्रभाव का आकलन करते हुए मामला-दर-मामला आधार पर किया जाना चाहिए। यह सापेक्ष मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि, जैसा कि हम अगले उप-खंड में स्पष्ट कर रहे हैं, भले ही एक विशिष्ट बाजार स्थिति का घरेलू और निर्यात दोनों कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है, किंतु यह जरूरी नहीं है कि घरेलू और निर्यात कीमतों पर पड़ने वाला प्रभाव समान होगा। यदि जांच प्राधिकारी को यह पता चलता है कि किसी विशिष्ट बाजार स्थिति के कारण घरेलू कीमत और निर्यात कीमत की उचित तुलना की अनुमति नहीं है, तो उन्हें अपने निष्कर्ष का एक तर्कसंगत और पर्याप्त स्पष्टीकरण देना आवश्यक है।"

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि कच्ची सामग्री की कीमतें कम हैं, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है, तो इसके परिणामस्वरूप आम तौर पर अंतिम उत्पाद

की बिक्री कीमत कम होगी, चाहे वह अंतिम उत्पाद घरेलू बाजार के लिए हो या निर्यात बाजार के लिए, जब तक कि इसके विपरीत तथ्य सिद्ध न हो जाए। तथापि इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां कच्ची सामग्री की कीमतें घरेलू और निर्यात कीमतों को असमान रूप से प्रभावित करती हों, किंतु वर्तमान स्थिति में ऐसा प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं पाया है कि किसी विशिष्ट बाजार स्थिति ने बांग्लादेश में निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की उचित तुलना को रोका है, जिससे सामान्य मूल्य के परिकलन की आवश्यकता पड़ी है।

78. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

ज.3.1. बांग्लादेश के लिए सामान्य मूल्य

मैसर्स ए. एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

79. जांच अवधि के दौरान, मैसर्स ए. एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("ए. एम. जूट") ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन वस्तुओं की बिक्री की है। ए. एम. जूट ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

80. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर, संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री सौदे करके लाभ का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है। ऐसे पीसीएन के मामले में, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना-द्वार बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जहाँ 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभकारी बिक्री की बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। ए. एम. जूट ने अपनी घरेलू बिक्री से किसी भी कीमत समायोजन का दावा नहीं किया है। उन पीसीएन के लिए जहाँ लाभ पर बिक्री की मात्रा नगण्य थी, या जहाँ पीसीएन को घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण पीसीएन की उत्पादन लागत में बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए एक उचित योग करके किया गया है।

81. कारखाना-द्वार स्तर पर उत्पाद के प्रकार-वार और भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार की गई है।

मैसर्स आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

82. जांच अवधि के दौरान, मैसर्स आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("आशा जूट") ने घरेलू बाजार में वस्तुओं की बिक्री नहीं की है। घरेलू बिक्री की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उत्पादक की उत्पादन लागत को आधार माना है।

83. प्राधिकारी ने उत्पादन लागत में बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए उचित योग करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित उत्पाद प्रकार-वार और भारित औसत सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

मैसर्स बोनान्ज़ा जूट कम्पोजिट एंड डाइवर्स फैक्ट्री लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

84. जांच अवधि के दौरान, मैसर्स बोनान्ज़ा जूट कम्पोजिट एंड डाइवर्स फैक्ट्री लिमिटेड ("बोनान्ज़ा जूट") ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन वस्तुओं की बिक्री की है। बोनान्ज़ा जूट ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

85. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर, संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री सौदे करके लाभ का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है। ऐसे पीसीएन के मामले में, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना-द्वार बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जहाँ 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभकारी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। बोनान्ज़ा जूट ने अपनी घरेलू बिक्री से किसी भी कीमत समायोजन का दावा नहीं किया है। उन पीसीएन के लिए जहाँ लाभ पर बिक्री की मात्रा नगण्य थी, या जहाँ पीसीएन को घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर, साथ ही बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए एक उचित योग करके किया गया है।

मैसर्स लवली जूट मिल्स लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

86. जांच अवधि के दौरान, मैसर्स लवली जूट मिल्स लिमिटेड ("लवली जूट") ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन वस्तुओं की बिक्री की है। लवली जूट ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

87. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर, संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री सौदे करके लाभ का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है। ऐसे पीसीएन के मामले में, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना-द्वार बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जहाँ 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभकारी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। लवली जूट ने अपनी घरेलू बिक्री से किसी भी कीमत समायोजन का दावा नहीं किया है। उन पीसीएन के लिए जहाँ लाभ पर बिक्री की मात्रा नगण्य थी, या जहाँ पीसीएन को घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर, साथ ही बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए एक उचित योग करके किया गया है।

88. कारखाना-द्वार स्तर पर उत्पाद के प्रकार-वार और भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार की गई है।

मैसर्स नाटोर जूट मिल्स के लिए सामान्य मूल्य

89. जांच अवधि के दौरान, मैसर्स नाटोर जूट मिल्स ("नाटोर") ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन वस्तुओं की बिक्री की है। नाटोर ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

90. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर, संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री सौदे करके लाभ का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है। ऐसे पीसीएन के मामले में, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना-द्वार बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जहाँ 80% से कम बिक्री

लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभकारी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। नाटोर ने अपनी घरेलू बिक्री से अंतर्देशीय परिवहन के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। उन पीसीएन के लिए जहाँ लाभ पर बिक्री की मात्रा नगण्य थी, या जहाँ पीसीएन को घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर, साथ ही बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए एक उचित योग करके किया गया है।

91. कारखाना-द्वार स्तर पर उत्पाद के प्रकार-वार और भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार की गई है।

नवहाटा जूट मिल्स लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

92. जांच अवधि के दौरान, नवहाटा जूट मिल्स लिमिटेड ("नवहाटा") ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे सैकिंग क्लॉथ का *** मीट्रिक टन बेचा है। नवहाटा ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

93. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर, संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री सौदे करके लाभ का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है। ऐसे पीसीएन के मामले में, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना-द्वार बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जहाँ 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभकारी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। नवहाटा ने अपनी घरेलू बिक्री से किसी भी कीमत समायोजन का दावा नहीं किया है। उन पीसीएन के लिए जहाँ लाभ पर बिक्री की मात्रा नगण्य थी, या जहाँ पीसीएन को घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर, साथ ही बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए एक उचित योग करके किया गया है।

94. कारखाना-द्वार स्तर पर उत्पाद के प्रकार-वार और भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार की गई है।

मैसर्स पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए सामान्य मूल्य

95. जांच अवधि के दौरान, पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज ("पोद्दार") ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन वस्तुओं की बिक्री की है। पोद्दार ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

96. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर, संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री सौदे करके लाभ का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है। ऐसे पीसीएन के मामले में, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना-द्वार बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जहाँ 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभकारी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। पोद्दार ने अपनी घरेलू बिक्री से किसी भी कीमत समायोजन का दावा नहीं किया है। उन पीसीएन के लिए जहाँ लाभ पर बिक्री की मात्रा नगण्य थी, या जहाँ पीसीएन को घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर, साथ ही बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए एक उचित योग करके किया गया है।

97. कारखाना-द्वार स्तर पर उत्पाद के प्रकार-वार और भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार की गई है।

रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

98. उत्तर से यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान, रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("रानू एग्रो") ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन वस्तुओं की बिक्री की है। रानू एग्रो ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

99. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर, संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री सौदे करके लाभ का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है। ऐसे पीसीएन के मामले में, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना-द्वार बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जहाँ 80% से कम बिक्री

लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभकारी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। रानू एग्रो ने अपनी घरेलू बिक्री से किसी भी कीमत समायोजन का दावा नहीं किया है। उन पीसीएन के लिए जहाँ लाभ पर बिक्री की मात्रा नगण्य थी, या जहाँ पीसीएन को घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर, साथ ही बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए एक उचित योग करके किया गया है।

100. कारखाना-द्वार स्तर पर उत्पाद के प्रकार-वार और भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार की गई है।

सुपर जूट मिल्स लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

101. उत्तर से यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान, सुपर जूट मिल्स लिमिटेड ("सुपर जूट") ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन वस्तुओं की बिक्री की है। सुपर जूट ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

102. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर, संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री सौदे करके लाभ का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है। ऐसे पीसीएन के मामले में, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना-द्वार बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जहाँ 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभकारी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। सुपर जूट ने अपनी घरेलू बिक्री से अंतर्देशीय परिवहन और पैकिंग लागत के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। उन पीसीएन के लिए जहाँ लाभ पर बिक्री की मात्रा नगण्य थी, या जहाँ पीसीएन को घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर, साथ ही बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए एक उचित योग करके किया गया है।

103. कारखाना-द्वार स्तर पर उत्पाद के प्रकार-वार और भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार की गई है।

बांग्लादेश के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

104. अन्य सभी सहयोगी गैर-प्रतिदर्श उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण सहयोगी प्रतिदर्श उत्पादकों के भारित औसत मार्जिन के आधार पर किया गया है। अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ज.3.2. बांग्लादेश के लिए निर्यात कीमत

ए. एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

105. जांच अवधि के दौरान, ए. एम. जूट ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन जूट यार्न और *** मीट्रिक टन हेसियन क्लॉथ बेचा है।

106. निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए निर्यातक द्वारा ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। ए. एम. जूट ने समुद्री मालभाड़ा और पत्तन व्यय तथा अंतर्देशीय परिवहन के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने ए. एम. जूट द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है, और संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। तदनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

107. जांच अवधि के दौरान, आशा जूट ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन जूट यार्न और *** मीट्रिक टन सैकिंग क्लॉथ का निर्यात किया है।

108. निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए निर्यातक द्वारा ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। आशा जूट ने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने आशा जूट द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। तदनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस

प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

बोनान्ज़ा जूट कम्पोजिट एंड डाइवर्स फैक्ट्री लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

109. जांच अवधि के दौरान, बोनान्ज़ा जूट ने भारत में असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से *** मीट्रिक टन जूट यार्न और सीधे असंबंधित ग्राहकों को *** मीट्रिक टन सैकिंग बैग्स बेचे हैं।

बोनान्ज़ा जूट → भारत में असंबंधित ग्राहक
बोनान्ज़ा जूट → [मोनेम जूट मार्केटिंग] → भारत में असंबंधित ग्राहक
बोनान्ज़ा जूट → [वर्टेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड] → भारत में असंबंधित ग्राहक
बोनान्ज़ा जूट → [बांग्ला पाट डाइवर्सिफाइड लिमिटेड] → भारत में असंबंधित ग्राहक

110. जिन असंबंधित व्यापारियों ने बोनान्ज़ा जूट से प्राप्त वस्तुओं का भारत में निर्यात किया है, उन्होंने प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है। यह नोट किया गया है कि व्यापारियों के माध्यम से किया गया निर्यात जूट यार्न के संपूर्ण निर्यात का हिस्सा है। असंबंधित व्यापारियों द्वारा सहयोग न किए जाने की स्थिति में, भारत के लिए निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वितरण श्रृंखला का हिस्सा रहे व्यापारियों द्वारा उत्तर न दिए जाने की स्थिति में, प्राधिकारी पाते हैं कि जहां तक जूट यार्न का संबंध है, उत्पादक को अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

111. सैकिंग बैग के निर्यात के संबंध में, निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए उत्पादक द्वारा ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। बोनान्ज़ा जूट ने अंतर्देशीय परिवहन और पत्तन तथा अन्य संबंधित व्ययों के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने बोनान्ज़ा जूट द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। तदनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

लवली जूट मिल्स लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

112. जांच अवधि के दौरान, लवली जूट ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन जूट सैकिंग बैग बेचे हैं।

113. निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए उत्पादक द्वारा ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। लवली जूट ने मालभाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन व्यय और पैकिंग व्यय के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने लवली जूट द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। तदनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

मैसर्स नाटोर जूट मिल्स के लिए निर्यात कीमत

114. जांच अवधि के दौरान, **मैसर्स नाटोर जूट मिल्स** (जिसे इसके बाद 'नाटोर' कहा गया है) ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन सैकिंग क्लॉथ और *** मीट्रिक टन जूट यार्न बेचा है।

115. निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए उत्पादक द्वारा ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। नाटोर ने मालभाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन व्यय और सीएंडएफ बिल तथा कमीशन प्रभार के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने नाटोर द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। तदनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

नवहाटा जूट मिल्स लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

116. जांच अवधि के दौरान, नवहाटा ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन सैकिंग क्लॉथ बेचा है।

117. निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए उत्पादक द्वारा ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। नवहाटा ने स्विफ्ट

प्रभार/विदेशी बैंक प्रभार, सीएंडएफ व्यय और कमीशन के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने नवहाटा द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। तदनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

मैसर्स पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए निर्यात कीमत

118. जांच अवधि के दौरान, पोद्दार ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन सैकिंग बैग, *** मीट्रिक टन सैकिंग क्लॉथ और *** मीट्रिक टन जूट यार्न बेचा है।

119. निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए उत्पादक द्वारा ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। पोद्दार ने स्विफ्ट बैंक/विदेशी प्रभार, मालभाड़ा प्रभार, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन व्यय और सीएंडएफ कमीशन के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने पोद्दार द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। तदनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

मैसर्स रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

120. जांच अवधि के दौरान, रानू एग्रो ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन सैकिंग बैग और *** मीट्रिक टन सैकिंग क्लॉथ बेचा है।

121. निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए उत्पादक द्वारा ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। रानू एग्रो ने स्विफ्ट प्रभार/विदेशी बैंक प्रभार, मालभाड़ा प्रभार, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन प्रभार और अन्य व्यय, सीएंडएफ बिल और कमीशन के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने रानू एग्रो द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। तदनुसार

एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

मैसर्स सुपर जूट मिल्स लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

122. जांच अवधि के दौरान, सुपर जूट ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन जूट यार्न, *** मीट्रिक टन सैकिंग क्लॉथ और *** मीट्रिक टन सैकिंग बैग बेचे हैं।

123. निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए उत्पादक द्वारा ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। सुपर जूट ने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, पैकिंग लागत और अन्य कटौतियों के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने सुपर जूट द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। तदनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

बांग्लादेश के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

124. प्राधिकारी ने बांग्लादेश के गैर-प्रतिदर्श सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण बांग्लादेश के प्रतिदर्श उत्पादकों की भारित औसत निवल निर्यात कीमत के आधार पर किया है। बांग्लादेश के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ज.3.3. नेपाल के लिए सामान्य मूल्य

अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड और श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

125. जांच अवधि के दौरान, अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड ("अरिहंत") ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन वस्तुओं की बिक्री की है। अरिहंत ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। इसके संबंधित उत्पादक, श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड ("श्री रघुपति") ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन वस्तुओं की बिक्री की है। श्री रघुपति ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात

किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

126. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर, संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री सौदे करके लाभ का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है। ऐसे पीसीएन के मामले में, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना-द्वार बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जहाँ 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभकारी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। अरिहंत और श्री रघुपति ने ऋण लागत के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। उन पीसीएन के लिए जहाँ लाभ पर बिक्री की मात्रा नगण्य थी, या जहाँ पीसीएन को घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर, साथ ही बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए एक उचित योग करके किया गया है।

127. कारखाना-द्वार स्तर पर उत्पाद के प्रकार-वार और भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार की गई है।

बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

128. जांच अवधि के दौरान, बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ("बाबा जूट") ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन वस्तुओं की बिक्री की है। बाबा जूट ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

129. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर, संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री सौदे करके लाभ का निर्धारण करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण किया है। ऐसे पीसीएन के मामले में, जहाँ 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना-द्वार बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। जहाँ 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभकारी बिक्री के बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। बाबा जूट ने अपनी घरेलू बिक्री से ऋण लागत के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। उन पीसीएन के लिए जहाँ लाभ पर बिक्री की मात्रा नगण्य थी,

या जहाँ पीसीएन को घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर, साथ ही बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए एक उचित योग करके किया गया है।

130. कारखाना-द्वार स्तर पर उत्पाद के प्रकार-वार और भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार की गई है।

मैसर्स श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

131. जांच अवधि के दौरान, मैसर्स श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ("एसपीजेएमपीएल") ने घरेलू बाजार में वस्तुओं की बिक्री नहीं की है। घरेलू बिक्री की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उत्पादक की उत्पादन लागत को आधार माना है।

132. प्राधिकारी ने उत्पादन लागत में बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए उचित योग करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित पीसीएन-वार और भारित औसत सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

मैसर्स स्वास्तिक जूट मिल्स (पी) लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

133. जांच अवधि के दौरान, स्वास्तिक ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन वस्तुओं की बिक्री की है। स्वास्तिक जूट ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। इसलिए, उत्पादक के पास सामान्य मूल्य के निर्धारण को सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में घरेलू बिक्री नहीं है। पर्याप्त मात्रा में घरेलू बिक्री की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ उत्पादक की उत्पादन लागत को आधार माना है।

134. प्राधिकारी ने उत्पादन लागत में बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए उचित योग करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित पीसीएन-वार और भारित औसत सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

नेपाल के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

135. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए सामान्य मूल्य, उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

अगोपनीय

ज.3.4. नेपाल के लिए निर्यात कीमत

मैसर्स अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड और श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

136. जांच अवधि के दौरान, अरिहंत ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन हेसियन, *** मीट्रिक टन सैकिंग और *** मीट्रिक टन जूट यार्न बेचा है। जांच अवधि के दौरान, श्री रघुपति ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन हेसियन, *** मीट्रिक टन सैकिंग और *** मीट्रिक टन जूट यार्न बेचा है।

निर्यात कीमत का निर्धारण उत्पादक द्वारा भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। अरिहंत ने सीमा शुल्क सेवा शुल्क, ऋण लागत, उद्गम प्रमाण पत्र व्यय और ब्रोकरेज/कमीशन के कारण समायोजन का दावा किया है। श्री रघुपति ने सीमा शुल्क सेवा शुल्क, ऋण लागत, उद्गम प्रमाण पत्र व्यय और ब्रोकरेज/कमीशन के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इनकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने अरिहंत और श्री रघुपति द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और प्रत्येक उत्पादक द्वारा संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ उसकी तुलना की है। तदनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

मैसर्स बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

137. जांच अवधि के दौरान, बाबा जूट ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन हेसियन, *** मीट्रिक टन सैकिंग और *** मीट्रिक टन जूट यार्न बेचा है।

138. निर्यात कीमत का निर्धारण उत्पादक द्वारा भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। बाबा जूट ने सीमा शुल्क सेवा शुल्क, ऋण लागत, उद्गम प्रमाण पत्र व्यय और निर्यात कमीशन के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने बाबा जूट द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। तदनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

मैसर्स श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

139. जांच अवधि के दौरान, एसपीजेएमपीएल ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन हेसियन, *** मीट्रिक टन सैकिंग और *** मीट्रिक टन जूट यार्न बेचा है।

140. निर्यात कीमत का निर्धारण उत्पादक द्वारा भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। एसपीजेएमपीएल ने सीमा शुल्क सेवा शुल्क, ऋण लागत, उद्गम प्रमाण पत्र प्रभार और अन्य व्ययों के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने एसपीजेएमपीएल द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। तदनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

मैसर्स स्वास्तिक जूट मिल्स (पी) लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

141. जांच अवधि के दौरान, स्वास्तिक ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन हेसियन, *** मीट्रिक टन सैकिंग और *** मीट्रिक टन जूट यार्न बेचा है।

142. निर्यात कीमत का निर्धारण उत्पादक द्वारा भारत में असंबंधित ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए ली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। स्वास्तिक ने सीमा शुल्क सेवा शुल्क, उद्गम प्रमाण पत्र प्रभार, ऋण लागत, कमीशन और अन्य कटौतियों के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दे दी गई है। प्राधिकारी ने श्री रघुपति द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत की गणना की है और संबंधित पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य के साथ उसकी तुलना की है। तदनुसार एक भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

नेपाल के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

143. नेपाल के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ज.3.5. पाटन मार्जिन

अगोपनीय

144. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे किया गया है।

क्र.सं.	**विवरण**	**निर्यातित मात्रा**	**सामान्य मूल्य**	**निर्यात कीमत**	**पाटन मार्जिन**	**पाटन मार्जिन**	**पाटन मार्जिन**
		एमटी	**अमडा/एमटी**	**अमडा/एमटी**	**अमडा/एमटी**	**%**	**रेंज**
क	**बांग्लादेश**						
1	ए. एम. जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
ख	हेसियन	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
ग	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
2	**आशा जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	5-15%
ख	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	5-15%
ग	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	5-15%
3	**बोनान्ज़ा जूट कम्पोजिट एंड डायवर्स फैक्ट्री लिमिटेड**						
क	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
ख	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
4	**लवली जूट मिल्स लिमिटेड**						
क	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	5-15%
ख	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	5-15%
5	**मेसर्स नटोर जूट मिल्स**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	5-15%

अगोपनीय

ख	सैकिंग कपड़ा	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
ग	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
6	**नवाहाटा जूट मिल्स लिमिटेड**						
क	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
ख	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
7	**मेसर्स पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज़**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
ख	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
ग	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
8	**रानू एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड**						
क	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
ग	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
9	**सुपर जूट मिल्स लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	10-20%
ख	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	10-20%
ग	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	10-20%
10	**गैर प्रतिदर्श सहयोगी उत्पादक**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	5-15%
ख	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	5-15%
ग	हेसियन	निर्धारित नहीं है					
d	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	5-15%

अगोपनीय

11	**कोई अन्य उत्पादक**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	55-65%
ख	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	40-50%
ग	हेसियन	***	***	***	***	***	0-10%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	45-55%
ख	**नेपाल**						
1	**अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड**	***	***	***	***	***	
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	न्यूनतम सीमा
ख	सैकिंग बैग	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
ग	हेसियन	***	***	***	***	***	0-10%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	न्यूनतम सीमा
2	**श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	0-10%
ख	सैकिंग बैग	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
ग	हेसियन	***	***	***	***	***	0-10%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	0-10%
3	**अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड और श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	न्यूनतम सीमा
ख	सैकिंग बैग	***	***	***	***	***	ऋणात्मक

अगोपनीय

ग	हेसियन	***	***	***	***	***	0-10%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	0-10%
4	**बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	0-10%
ख	सैकिंग बैग	***	***	***	***	***	20-30%
ग	हेसियन	***	***	***	***	***	0-10%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	10-20%
5	**श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	0-10%
ख	सैकिंग बैग	***	***	***	***	***	0-10%
ग	हेसियन	***	***	***	***	***	0-10%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	0-10%
6	**स्वस्तिक जूट मिल्स (P) लिमिटेड**	***	***	***	***	***	
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	10-20%
ख	सैकिंग बैग	***	***	***	***	***	5-15%
ग	हेसियन	***	***	***	***	***	0-10%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	0-10%
7	**कोई अन्य उत्पादक**						
क	जूट यार्न		***	***	***	***	10-20%
ख	सैकिंग बैग		***	***	***	***	20-30%
ग	हेसियन		***	***	***	***	20-30%

अगोपनीय

घ	**भारित औसत**		***	***	***	***	20-30%

क. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

झ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

145. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति, कारणात्मक संबंध और क्षति मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

क. प्राधिकारी ने पहले बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादकों द्वारा पाटन की अनुपस्थिति पाई है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के लिए चिंता का कारण बांग्लादेश से होने वाला आयात नहीं है।

ख. भारत सरकार घरेलू उत्पादकों से भारत निर्मित जूट के सैकिंग बैग खरीदती है, और ऐसे घरेलू उत्पादकों को बाजार में एकाधिकार प्राप्त है।

ग. यह तथ्य कि आयात में वृद्धि हुई है, यह दर्शाता है कि देश में मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण आयात आवश्यक हो गया है।

घ. आयात कीमतों में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है, जो दोनों के बीच सह-संबंध के अभाव को दर्शाता है।

ड़. जांच अवधि में बांग्लादेश से होने वाले आयात की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

झ.2. घरेलू उद्योग के विचार

146. घरेलू उद्योग ने क्षति, कारणात्मक संबंध और क्षति मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

क. जूट उद्योग को दो खंडों में विभाजित किया गया है - सरकारी खरीद और खुला बाजार, जिनकी पहले अलग-अलग जांच की जा चुकी है। वर्तमान मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

ख. संबद्ध देशों से निरंतर पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग लगातार वास्तविक क्षति का सामना कर रहा है।

ग. दिए गए तर्कों के विपरीत, शुल्क लगाए जाने के बावजूद संबद्ध देशों से आयात में, समग्र रूप में और खपत के संबंध में, वृद्धि जारी रही है।

घ. आयात में वृद्धि हुई है, यद्यपि घरेलू उत्पादकों के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता थी।

ड़. इस अवधि के दौरान मांग में गिरावट के बावजूद, वर्ष 2011-12 से जांच अवधि तक उत्पाद के आयात में 88% की वृद्धि हुई है। ऐसी वृद्धि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी की कीमत पर हुई है।

च. खुले बाजार में आयात की हिस्सेदारी 20% से नाटकीय रूप से बढ़कर 68% हो गई है।

छ. चूंकि बांग्लादेश से यार्न पर शुल्क की मात्रा कम थी, इसलिए यार्न के आयात में काफी वृद्धि हुई। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिसूचना में एक त्रुटि के कारण, जिस अवधि के दौरान सैकिंग क्लॉथ पर कोई शुल्क लागू नहीं था, उस दौरान उत्पाद के आयात में तेजी से वृद्धि हुई।

ज. चूंकि नेपाल से हेसियन और सैकिंग बैग पर शुल्क की मात्रा कम थी, इसलिए शुल्कों के बावजूद ऐसे उत्पादों के आयात में वृद्धि हुई।

झ. स्थापित क्षमताओं की तुलना में संबद्ध देशों में घरेलू बाजार नगण्य है। संबद्ध देशों की सरकारों का ध्यान घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ाना है। बांग्लादेश से होने वाले निर्यात के लिए भारत सबसे बड़ा एकल बाजार है।

ञ. इस अवधि के दौरान आयात के पहुंच मूल्य में गिरावट आई है।

ट. संबद्ध देशों से होने वाले आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और कमी कर रहे हैं।

ठ. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग वर्ष 2022-23 तक बढ़ा था, किंतु जांच अवधि में इसमें गिरावट आई है।

ड. आयात की मात्रा में वृद्धि के साथ, भारतीय उद्योग ने खुले बाजार में अपनी बिक्री की मात्रा गंवा दी है।

ढ़. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में वृद्धि हुई है, जो घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के कमजोर आपूर्ति को दर्शाती है।

ण. यद्यपि आयात की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, घरेलू उत्पादकों ने अपना बाजार गंवा दिया है।

त. खुले बाजार में घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

थ. संबद्ध जूट उत्पादों का उत्पादन अत्यधिक पूंजी, जनशक्ति, मशीनरी और स्थान-गहन है, यह देखते हुए कि कच्चे जूट को तैयार यार्न, फैब्रिक और बैग में परिवर्तित किया जाता है।

द. घरेलू उद्योग में 33,625 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिससे जूट उद्योग में महत्वपूर्ण रोजगार सृजित हुआ है। यदि उद्योग का संचालन व्यावहार्य नहीं रहा, तो यह उनके वेतन का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा।

ध. मात्रा और लाभप्रदता दोनों मापदंडों में घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रतिकूल रही है।

न. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा और कीमतों तथा आयात की बाजार हिस्सेदारी के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क समेकित आंकड़ों पर निर्भर करते हैं, जिसमें खुले बाजार को अलग नहीं किया गया है।

प. हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, कुछ निर्यातकों को शुल्क से छूट देने का अर्थ क्षति का अभाव नहीं है, क्योंकि यह अन्य निर्यातकों द्वारा की जाने वाली पाटन की संभावना से इनकार नहीं करता है।

फ. सरकारी खरीद में प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति खुले बाजार में झेली जाने वाली क्षति को समाप्त नहीं करती है।

ब. घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों के कारण नहीं हुई है। संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

147. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, मध्यावधि समीक्षा में क्षति विश्लेषण का दायरा इस बात की जॉच करने तक सीमित रहेगा कि मूल शुल्क लगाने के समय मौजूद परिस्थितियां इस सीमा तक बदल गई हैं या नहीं कि शुल्क को वापस लेने या उसमें संशोधन को उचित ठहराया जा सके। प्राधिकारी के लिए क्षति की मौजूदगी के निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक नहीं है, बल्कि यह जांच करना आवश्यक है कि यदि शुल्क हटाया जाता है, तो क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों की जांच की है। नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुरोधों को संबोधित करता है।

148. तथापि प्राधिकारी के लिए यह जांच करना आवश्यक है कि शुल्क को हटाये जाने से क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के अंतर्गत अधिसूचित मापदंडों को ही लागू किया है।

149. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में बाजार के दो भाग हैं - खुला बाजार और सरकारी खरीद। तथापि सरकारी खरीद में घरेलू उद्योग आयात के विरुद्ध सुरक्षित रहते हैं, किंतु खुले बाजार में उसे पाटित आयात के विरूद्ध प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। घरेलू उद्योग ने अपने अलग-अलग क्षति संबंधी आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसके संबंध में अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर मिला था। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह स्वीकार किया है कि सरकारी खरीद में घरेलू उद्योग का आयात से कोई मुकाबला नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछली जांचों में, प्राधिकारी ने समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए क्षति विश्लेषण के साथ-साथ दोनों बाजार खंडों के लिए अलग-अलग क्षति विश्लेषण भी किया है। चूंकि वर्तमान जांच एक मध्यावधि समीक्षा है, और इसमें इस बात की जांच करने पर ध्यान है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है या नहीं, प्राधिकारी ने खुले बाजार में इसके निष्पादन पर उचित ध्यान देते हुए समग्र रूप से घरेलू बाजार के लिए क्षति की जांच की है।

झ.3.1 क्षति का संचयी आकलन

150. डब्ल्यूटीओ करार का अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध II का पैरा (iii) प्रावधान करता है कि ऐसे मामले में जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात को एक साथ पाटनरोधी जांच के दायरे में लाया जा रहा है, वहां प्राधिकारी ऐसे आयात के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करते हैं कि:

क. प्रत्येक देश से होने वाले आयात के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाने पर दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के कुल आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है, या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहां आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है, और

ख. आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों तथा समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त है।

151. वर्तमान मामले में, प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा और पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से होने वाले आयात और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद की विशेषताएं परस्पर तुलनीय हैं और इनका उपयोग समान अनुप्रयोगों के लिए तथा ग्राहकों के एक ही वर्ग द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार, संबद्ध आयात भारतीय बाजार में आपस में प्रतिस्पर्धा करने के साथ-साथ घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

152. इस प्रकार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निम्नलिखित कारणों से वर्तमान जांच में क्षति का संचयी आकलन करना उचित होगा:

क. संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ग. प्रत्येक संबद्ध देश से होने वाले आयात की मात्रा अलग-अलग रूप से कुल आयात की मात्रा के 3% से अधिक है।

घ. आयात के प्रभावों का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से होने वाला आयात न केवल प्रत्येक संबद्ध देश से होने वाले आयात के साथ सीधे

प्रतिस्पर्धा करता है, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करता है।

झ.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

i. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

153. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से होने वाले आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित की गई मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2024-25 (पाटित आयात)**
घरेलू उद्योग की बिक्रियॉ	एमटी	2,79,482	3,12,409	2,98,242	2,51,791	
अन्य उत्पादकों की बिक्रियॉ	एमटी	7,65,564	9,04,009	9,28,357	7,13,093	
संबद्ध आयात	एमटी	1,12,734	1,39,520	1,90,272	1,66,416	1,39,696
संबद्ध देशों से अपाटित आयात	एमटी					26,720
अन्य आयात	एमटी	-	-	-	-	-
मांग/खपत	**एमटी**	**11,57,780**	**13,55,939**	**14,16,870**	**11,31,299**	

स्रोत: *डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार आयात, तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग एवं अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री।*

154. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वर्ष 2023-24 तक वृद्धि हुई है और जांच अवधि में इसमें गिरावट आई है।

155. प्राधिकारी ने खुले बाजार में मांग की भी जांच की है। यह नोट किया गया है कि खुले बाजार में मांग ने भी समान रुझान दर्शाया है।

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2024-25 (पाटित आयात)**
घरेलू उद्योग की बिक्रियॉ	एमटी	97,753	73,035	82,242	95,747	
अन्य उत्पादकों की बिक्रियॉ	एमटी	1,22,227	98,505	73,078	14,673	
संबद्ध आयात	एमटी	1,12,734	1,39,520	1,90,272	1,66,416	1,39,696
संबद्ध देशों से अपाटित आयात	एमटी					26,720
अन्य आयात	एमटी	-	-	-	-	-
मांग (खुला बाजार)	**एमटी**	**3,32,714**	**3,11,060**	**3,45,592**	**2,76,835**	

स्रोत: *डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार आयात, तथा घरेलू उद्योग द्वारा सुनवाई-पश्चात लिखित अनुरोधों में प्रस्तुत पृथक क्षति संबंधी सूचना के अनुसार खुले बाजार में घरेलू उद्योग एवं अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री।*

ii. समग्र और सापेक्ष रूप में आयात

156. पाटित आयात की मात्रा के संबंध में, यह विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष अथवा समग्र रूप में पाटित आयात में कोई भारी वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा निम्नानुसार थी:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2024-25 (पाटित आयात)**
बांग्लादेश	एमटी	69,693	94,652	1,43,815	1,17,523	99,668
नेपाल	एमटी	43,041	44,868	46,456	48,893	40,028
संबद्ध आयात	एमटी	1,12,734	1,39,520	1,90,272	1,66,416	1,39,696

संबद्ध देशों से अपाटित आयात	एमटी					26,720
अन्य आयात	एमटी	-	-	-	-	-
कुल आयात	एमटी	1,12,734	1,39,520	1,90,272	1,66,416	1,66,416
खपत	एमटी	11,57,780	13,55,939	14,16,870	11,31,299	11,31,299
भारतीय उत्पादन	एमटी	10,80,000	12,46,000	12,57,000	9,88,010	9,88,010
निम्न के संबंध में संबद्ध देशों से आयात						
भारतीय उत्पादन	%	10%	11%	15%	17%	14%
भारतीय खपत	%	10%	10%	13%	15%	12%
खुले बाज़ार में खपत	%	34%	45%	55%	60%	50%
कुल आयात	%	100%	100%	100%	100%	84%

स्रोत: *डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार आयात, तथा क्षति संबंधी अनुबंधों के भाग के रूप में प्रदान किए गए भारतीय उत्पादन के विवरण के अनुसार भारतीय उत्पादन।*

157. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में संबद्ध आयात में 69% की वृद्धि हुई है। जांच अवधि में, पिछले वर्ष की तुलना में संबद्ध आयात में गिरावट आई है। तथापि, आयात अभी भी आधार वर्ष की तुलना में अधिक बना हुआ है। इस संबंध में, यह देखा गया है कि जहां जांच अवधि के दौरान अपाटित आयात को अलग किया जा सकता है, वहीं पिछले वर्षों में ऐसा कोई पृथक्करण नहीं किया जा सकता है।

ii. जांच अवधि में आयात में गिरावट, मांग में आई कमी की प्रतिक्रिया में प्रतीत होती है। पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मांग में 20% की गिरावट आई है। तथापि, संबद्ध देशों से होने वाले आयात (पाटित और अपाटित)

में केवल 13% की गिरावट दर्ज की गई। क्षति अवधि के दौरान, जहाँ मांग में मामूली गिरावट आई है, वहीं संबद्ध आयात में भारी वृद्धि हुई है।

iii. खुले बाजार में आयात की हिस्सेदारी में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसमें संबद्ध आयात की बाजार में हिस्सेदारी 51% है। संबद्ध देशों से होने वाला कुल आयात बाजार के 60% हिस्से को अपने पास रखे हुए है।

iv. खपत के सापेक्ष संबद्ध देशों से होने वाले आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो क्षति अवधि के दौरान 51% बढ़ी है। पिछले वर्ष की तुलना में, खपत के सापेक्ष संबद्ध देशों से होने वाले कुल आयात में 9% की वृद्धि हुई है। चूंकि अपाटित आयात को केवल जांच अवधि के लिए अलग किया गया है, इसलिए सापेक्ष संदर्भ में पाटित आयात आनुपातिक वृद्धि नहीं दर्शाता है, क्योंकि पिछले वर्षों की मात्रा में उन उत्पादकों के आंकड़े भी शामिल हैं जिन्हें अपाटित पाया गया है।

v. भारतीय उत्पादन के सापेक्ष भी संबद्ध देशों से आयात बढ़ा है, जो आधार वर्ष में 10% से बढ़कर जांच अवधि में 17% हो गया है, जिससे 61% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के सापेक्ष आयात में 11% की वृद्धि हुई है।

vi. भारत में होने वाले कुल आयात में संबद्ध देशों से होने वाले आयात का हिस्सा शत-प्रतिशत है, जबकि कुल आयात में पाटित आयात का हिस्सा 84% है।

झ.3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयात का कीमत प्रभाव

158. संबद्ध देशों से होने वाले आयात के कीमत प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में कथित आयात द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करना या कीमतों में होने वाली उस वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से होने वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

अगोपनीय

i. कीमत कटौती

159. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की तुलना संबद्ध देशों से होने वाले आयात के पहुंच मूल्य से निम्नानुसार की गई है।

विवरण	**यूनिट**	**यार्न**	**हेसियन**	**सैकिंग***	**कुल**	**खुला बाजार#**	**कुल (पाटित आयात)**
आयात मात्रा	एमटी	59,046	34,752	72,618	1,66,416	1,66,416	140,243
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***
पंहुच कीमत	₹/एमटी	77,122	104,957	83,114	85,549	85,549	85,296
कीमत कटौती	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20%	20-30%	20-30%	15-25%	20-30%	20-30%

स्रोत: *डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार आयात और आयात कीमतें, तथा घरेलू उद्योग के पीसीएन-वार आंकड़ों और खुले बाजार के लिए प्रस्तुत किए गए पृथक आंकड़ों के अनुसार कीमतें।*

** बांग्लादेश के मामले में सैकिंग बैग और क्लॉथ, नेपाल के मामले में सैकिंग क्लॉथ।*

 # सरकारी आपूर्ति को छोड़कर।

160. यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयात प्रत्येक उत्पाद प्रकार - यार्न, हेसियन और सैकिंग में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। भारित औसत कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है। इसके अलावा, संबद्ध आयात खुले बाजार में भी घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

ii. कीमत ह्रास या न्यूनीकरण

161. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या संबद्ध आयात ने घरेलू कीमतों को कम किया या न्यूनीकृत किया है। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत के उतार-चढ़ाव से यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान दोनों मापदंडों में गिरावट आई है, जिसमें बिक्री लागत की तुलना में बिक्री कीमत में गिरावट अधिक स्पष्ट है।

अगोपनीय

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2024-25 (पाटित आयात)**
यार्न						
पंहुच कीमत	₹/एमटी	98,487	86,227	72,692	77,122	77,305
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	88	74	78	78
बिक्रियों की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	92	86	88	88
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	87	80	88	88
हेसियन						
पंहुच कीमत	₹/एमटी	1,24,561	1,18,496	1,06,688	1,04,957	104,941
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	95	86	84	84
बिक्रियों की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	89	85	85
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	96	88	82	82
सैकिंग*						
पंहुच कीमत	₹/एमटी	1,02,151	89,307	79,764	83,114	80,619
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	87	78	81	79

अगोपनीय

बिक्रियों की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	96	89	92	92
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	95	89	91	91
समग्र रूप से कुल संबद्ध वस्तु						
पंहुच कीमत	₹/एमटी	1,06,731	93,844	81,313	85,549	85,296
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	88	76	80	80
बिक्रियों की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	96	89	92	92
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	94	88	90	90
खुला बाजार						
पंहुच कीमत	₹/एमटी	1,06,731	93,844	81,313	85,549	85,296
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	88	76	80	80
बिक्रियों की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	85	88	88
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	93	79	81	81

स्रोत: *डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार आयात और आयात कीमतें, तथा घरेलू उद्योग के पीसीएन-वार आंकड़ों और खुले बाजार के लिए प्रस्तुत किए गए पृथक आंकड़ों के अनुसार कीमतें।*

** बांग्लादेश के मामले में सैकिंग बैग और क्लॉथ, नेपाल के मामले में सैकिंग क्लॉथ।*

162. यह नोट किया गया है कि जहां तक यार्न और सैकिंग का संबंध है, इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतें लागत में हुए परिवर्तनों के लगभग अनुरूप ही रही हैं। विशेष रूप से, यार्न के मामले में, जहाँ वर्ष 2022-23 में कीमतों में भारी गिरावट आई थी, वहीं जांच अवधि के दौरान उनमें अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। तथापि, हेसियन में, जहाँ क्षति अवधि के दौरान लागत में 15% की कमी आई, वहीं बिक्री कीमत में गिरावट कहीं अधिक थी।

163. समग्र आधार पर, जांच अवधि में सुधार होने से पहले वर्ष 2022-23 और 2023-24 में बिक्री कीमत और बिक्री लागत में गिरावट आई थी। क्षति अवधि के दौरान, जहाँ बिक्री लागत में 8% की गिरावट आई है, वहीं बिक्री कीमत में 10% की गिरावट आई है। पहुंच मूल्य में गिरावट कहीं अधिक तीव्र रही है। तथापि, प्राधिकारी ने खुले बाजार में कीमतों की प्रवृति को भी अलग करके उसकी जांच की है। यह नोट किया गया है कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, जहाँ वर्ष 2022-23 में लागत समान रही, वहीं पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री कीमत में 7% की गिरावट आई। इसके बाद, वर्ष 2023-24 में, जांच अवधि में बढ़ने से पहले, लागत और बिक्री कीमत में एक साथ कमी आई। क्षति अवधि के दौरान, जहाँ खुले बाजार में बेची गई वस्तुओं की कुल लागत में 12% की कमी आई है, वहीं बिक्री कीमत में 19% की गिरावट आई है। इसलिए, आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है।

झ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

164. पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयात के परिणामी प्रभाव की एक वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होनी चाहिए। घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली आगे यह प्रावधान करती है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयात के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक

और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

165. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
क्षमता	एमटी	4,28,072	4,34,072	4,34,072	4,34,072
संयंत्र में कुल उत्पादन	एमटी	3,14,436	3,41,991	3,28,643	2,71,602
क्षमता उपयोग	%	73%	79%	76%	63%
संबद्ध वस्तु का उत्पादन	एमटी	3,14,143	3,41,647	3,28,301	2,71,229
घरेलू बिक्रियॉ	एमटी	2,79,482	3,12,409	2,98,242	2,51,791
निर्यात बिक्रियॉ	एमटी	33,183	28,400	26,416	29,431
खुले बाजार में बिक्रियॉ	एमटी	1,96,318	2,48,798	2,16,055	1,56,917
सरकारी खरीद में बिक्रियॉ	एमटी	74,909	60,481	79,382	90,729

स्रोत: *घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति संबंधी सूचना के अनुसार, जिसमें सुनवाई-पश्चात लिखित अनुरोधों में प्रस्तुत खुले बाजार के पृथक आंकड़े शामिल हैं।*

166. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के रुझान की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान स्थापित क्षमता में केवल मामूली वृद्धि हुई है।

ii. उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2022-23 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई। बाजार में काफी मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग की क्षमता का कम उपयोग हुआ है।

iii. घरेलू बिक्री की मात्रा में वर्ष 2022-23 में वृद्धि हुई और उसके बाद इसमें गिरावट आई। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में 10% की कमी आई है। इसके विपरीत, मांग में केवल 2% की गिरावट आई है।

iv. जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा रेखांकित किया गया है, घरेलू उद्योग सरकारी खरीद में प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अवधि के दौरान सरकारी खरीद के लिए बिक्री में 21% की वृद्धि हुई है।

v. इसके विपरीत, खुले बाजार में बिक्री में क्षति अवधि के दौरान 20% की गिरावट आई है, और पिछले वर्ष की तुलना में 27% की गिरावट आई है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने खुले बाजार में अपनी बिक्री की मात्रा गंवा दी है।

ii. मांग में बाजार हिस्सेदारी

167. इस अवधि के दौरान संबद्ध आयात, घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार थी:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2024-25 (पाटित आयात)**
कुल मांग में हिस्सा						
घरेलू उद्योग	%	24%	23%	21%	22%	22%
अन्य उत्पादक	%	66%	67%	66%	63%	63%
संबद्ध आयात	%	10%	10%	13%	15%	12%
अपाटित आयात	%					3%
अन्य आयात	%	0%	0%	0%	0%	0%
खुले बाजार में हिस्सा						
घरेलू उद्योग	%	29%	23%	24%	35%	35%
अन्य उत्पादक	%	37%	32%	21%	5%	5%
संबद्ध आयात	%	34%	45%	55%	60%	50%

अगोपनीय

अपाटित आयात	%					10%
अन्य आयात	%	0%	0%	0%	0%	0%

स्रोत: *डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार आयात। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति संबंधी सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग एवं अन्य उत्पादकों की बिक्री, जिसमें सुनवाई-पश्चात लिखित अनुरोधों में प्रस्तुत खुले बाजार के पृथक आंकड़े शामिल हैं।*

168. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के साथ-साथ समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। इसके विपरीत, संबद्ध देशों से होने वाले आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यदि तुलना खुले बाजार में मांग की हिस्सेदारी के संदर्भ में की जाती है, तो जहाँ घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सेदारी हासिल की है, वहीं समग्र रूप से भारतीय उद्योग ने बाजार गंवा दिया है। इस बीच, संबद्ध देशों से होने वाले आयात की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, क्षति अवधि के दौरान, संबद्ध आयात ने घरेलू उत्पादकों की कीमत पर बाजार हिस्सेदारी हासिल की है।

iii. मालसूची

169. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची निम्नानुसार रही थी:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
आरंभिक मालसूची	एमटी	8,763	9,538	14,061	18,275
अंतिम मालसूची	एमटी	9,504	14,061	18,275	11,554
औसत मालसूची	एमटी	9,133	11,800	16,168	14,914

स्रोत: *घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति संबंधी जानकारी के अनुसार।*

170. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में वृद्धि हुई है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान वास्तव में अपने उत्पादन में महत्वपूर्ण रूप से कमी की थी। इसके बाद भी, उसे निरंतर मालसूची के संचय का सामना करना पड़ा है।

अगोपनीय

iv. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

171. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जो नीचे दी गई है:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
कर्मचारियां की संख्या	संख्या	33,851	33,908	35,424	33,625
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	898	976	938	775
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	9.28	10.08	9.27	8.07
वेतन और मजदूरी	₹ लाख	67,673	74,094	74,939	62,791

स्रोत: *घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति संबंधी सूचना के अनुसार।*

172. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन अत्यधिक पूंजी-गहन और श्रम-गहन है, जिसमें महत्वपूर्ण जनशक्ति, मशीनरी और बुनियादी ढांचा शामिल है। घरेलू उद्योग में एक बड़ी संख्या में कार्यबल कार्यरत है और इसके लिए काफी अधिक मजदूरी लागत आती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या में वर्ष 2023-24 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई, और यही रूझान वेतन और मजदूरी में भी देखा गया है। उत्पादन में आई गिरावट के उत्तर में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी कमी आई है।

v. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
बिक्रियों की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	96	89	92
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	94	88	90

लाभ/हानि	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	46	72	66
लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	52	77	59
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	66	90	77
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	53	68	54

स्रोत: *घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति संबंधी सूचना के अनुसार।*

173. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. यह नोट किया गया है कि वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई और उसके बाद इसमें थोड़ा सुधार हुआ। तथापि, जांच अवधि के दौरान लाभ में फिर से गिरावट आई है।

ii. क्षति अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के लाभ में 41% की गिरावट आई है।

iii. घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय ने भी इसी प्रवृति का अनुसरण किया है। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकद लाभ में 23% की गिरावट आई है, और नियोजित पूंजी पर आय में 46% की गिरावट आई है।

iv. घरेलू उद्योग अपनी नियोजित पूंजी पर पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है।

174. प्राधिकारी ने खुले बाजार में भी घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की जांच की है।

अगोपनीय

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	85	88
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	93	79	81
लाभ/हानि	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	-19	2	-8
लाभ/हानि	₹ लाख	***	(***)	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	-15	2	-10
नकद लाभ	₹ लाख	***	(***)	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	10	29	28
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	(***)	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	-8	8	4

स्रोत: *सुनवाई-पश्चात लिखित अनुरोधों में प्रस्तुत खुले बाजार की पृथक क्षति संबंधी सूचना के अनुसार।*

175. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लाभप्रदता का रुझान खुले बाजार में भी समान रहा है, अर्थात वर्ष 2022-23 में इसमें गिरावट आई, वर्ष 2024-25 में सुधार होने से पहले, और जांच अवधि में इसमें फिर से गिरावट आई। तथापि, खुले बाजार में घरेलू उद्योग का निष्पादन कहीं अधिक प्रतिकूल है, जहाँ घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23 और जांच अवधि के दौरान घाटे का सामना करना पड़ा है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ में 72%

की गिरावट देखी गई है, जबकि घरेलू उद्योग अपने प्रचालनों में नगण्य आय ही अर्जित करने में सक्षम रहा है।

vi. संवृद्धि

176. मात्रा और लाभप्रदता मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की संवृद्धि निम्नानुसार है:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
क्षमता	%	-	1%	0%	0%
उत्पादन	%	-	9%	-4%	-17%
घरेलू बिक्री	%	-	14%	-4%	-16%
लाभ/हानि	%	-	-48%	49%	-23%
नकद लाभ	%	-	-34%	36%	-14%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-47%	28%	-21%

स्रोत: *घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति संबंधी सूचना के अनुसार, जिसमें सुनवाई-पश्चात लिखित अनुरोधों में प्रस्तुत खुले बाजार के पृथक आंकड़े शामिल हैं।*

177. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि में मात्रात्मक मापदंडों और कीमत संबंधी मापदंडों दोनों के संदर्भ में विकास ऋणात्मक रहा है। जहाँ वर्ष 2022-23 में मात्रात्मक मापदंडों में सुधार हुआ, वहीं वर्ष 2023-24 और जांच अवधि में इन मापदंडों में गिरावट आई है। लाभप्रदता मापदंडों ने वर्ष 2022-23 में गिरावट, वर्ष 2023-24 में सुधार और उसके बाद जांच अवधि में ऋणात्मक वृद्धि दर्शायी है।

vii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

178. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय को भी नुकसान पहुंचा है। शुल्कों के लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट देखी गई है। इस प्रकार, आयात ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

viii. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

179. क्षति अवधि के दौरान आयात कीमत में भारी गिरावट आई है। आयात कीमतों में गिरावट के रुझान और साथ ही बढ़ती मात्रा ने घरेलू कीमतों पर निरंतर दबाव डाला है। संबद्ध आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत और साथ ही बिक्री लागत दोनों से कम है। इतने कम पहुंच मूल्य ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव उत्पन्न कर दिया है। इसने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से होने वाले आयात की कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

ix. पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन

180. प्राधिकारी ने पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन की जांच की है। यह नोट किया गया है कि लागू शुल्कों के बावजूद, अधिकांश उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निरंतर सकारात्मक और काफी अधिक बना हुआ है।

झ.4 क्षति संबंधी निष्कर्ष

181. पूर्वोक्त के आलोक में, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

i. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान आयात में वृद्धि हुई है।

ii. घरेलू उत्पादन और खपत के सापेक्ष भी आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

iii. आयात खुले बाजार में और समग्र आधार पर, दोनों ही स्थितियों में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है।

iv. घरेलू उद्योग को लागत में आई कमी की तुलना में अधिक मात्रा में अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो कीमत न्यूनीकरण को दर्शाता है।

v. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। बिक्री में आई गिरावट बाजार में मांग की कमी की तुलना में अधिक तीव्र है।

vi. समग्र रूप से घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों ने संबद्ध आयात के कारण अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवा दी है।

vii. इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को मालसूची के संचय का सामना करना पड़ा है।

viii. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है।

ix. खुले बाजार में, घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान घाटे का सामना करना पड़ा है, और उसने अपनी नियोजित पूंजी पर नगण्य आय का सामना किया है।

x. संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xi. आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों और लागत से कम है, और वे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव बना रहे हैं।

182. इसलिए, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है। वर्तमान में सामना की जा रही क्षति के आलोक में, प्राधिकारी यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

झ.5 संभावना विश्लेषण

183. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समय-समय पर, स्वतः संज्ञान लेते हुए या किसी ऐसे हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर, जो इस तरह की समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करें, बशर्ते कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद से एक उचित समय बीत चुका हो। इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की जांच करना आवश्यक है कि यदि शुल्कों को हटाया जाता है या उनमें बदलाव किया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं। प्राधिकारी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस बात की जांच की है कि शुल्कों को हटाये जाने या बदलने पर क्या घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. आयात की मात्रा और वृद्धि की दर

184. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, शुल्कों के लागू होने के बावजूद आयात में वृद्धि हुई है। तथापि मांग में कमी के कारण जांच अवधि में आयात में गिरावट आई है; फिर भी यह गिरावट मांग में आई कमी की तुलना में कम है। समग्र आधार पर, मांग में कमी आने के बावजूद आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। आयातों पर वर्तमान शुल्कों के बावजूद आयात में वृद्धि की दर यह दर्शाती है कि शुल्क की अनुपस्थिति में आयात में वृद्धि जारी रहने की संभावना है।

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
संबद्ध आयात	एमटी	1,12,734	1,39,520	1,90,272	1,66,416
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	%		24%	36%	-13%
आधार वर्ष की तुलना में परिवर्तन	%				48%
मांग/खपत	एमटी	11,57,780	13,55,939	14,16,870	11,31,299
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	%		17%	4%	-20%
आधार वर्ष की तुलना में परिवर्तन	%				-2%
मांग (खुला बाजार)	एमटी	3,32,714	3,11,060	3,45,592	2,76,835
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	%		-7%	11%	-20%
आधार वर्ष की तुलना में परिवर्तन	%				-17%

ख. संबद्ध देशों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमताओं की उपस्थिति

185. प्राधिकारी ने उत्तर में प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर इस बात की भी जांच की है कि क्या संबद्ध देशों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमताएं मौजूद हैं। जांच अवधि के लिए विदेशी उत्पादकों द्वारा उत्तर में प्रदान की गई सूचना का सारांश नीचे दिया गया है:

विवरण	**यूनिट**	**बंग्लादेश**	**नेपाल**
क्षमताएं	एमटी	6,35,996	1,03,355
उत्पादन	एमटी	3,69,137	50,322

क्षमता उपयोग	%	58%	49%
अधिशेष क्षमताएं	एमटी	2,66,859	53,033

186. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादकों ने क्षमताओं के महत्वपूर्ण रूप से कम उपयोग की सूचना दी है। जहाँ बांग्लादेश के उत्पादकों ने 60% से कम क्षमता उपयोग पर कार्य किया है, वहीं नेपाल में क्षमताओं का केवल 50% तक ही उपयोग किया गया है। इसके अलावा, देश में खुले बाजार की मांग के संबंध में संबद्ध देशों में अप्रयुक्त क्षमताएं काफी अधिक हैं।

ग. इस अवधि के दौरान संबद्ध देशों में क्षमताओं में वृद्धि

187. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस अवधि के दौरान संबद्ध देशों में क्षमताओं में वृद्धि हुई है। प्रस्तुत किए गए उत्तरों के अनुसार, बांग्लादेश के उत्पादकों जैसे कि अहयान जूट मिल्स लिमिटेड, अलीजान जूट मिल्स लिमिटेड, अर्नु जूट मिल्स लिमिटेड, चुआडांगा जूट मिल्स, हसन जूट मिल्स लिमिटेड, हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, जनता जूट मिल्स लिमिटेड, मौना जूट मिल्स लिमिटेड, नवहाटा जूट मिल्स लिमिटेड, ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड, पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज, राजबारी जूट मिल्स लिमिटेड, रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और सोनाली आंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास उपलब्ध क्षमताओं में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। नेपाल के मामले में, उत्पादक मैसर्स श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड नई क्षमताओं के साथ सामने आया है। इसलिए, संबद्ध देशों में उपलब्ध क्षमताओं में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

घ. संभावित ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव

188. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा दिया जाता है, तो आयातों की कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम होगी। ऐसी स्थिति में, आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है, और यह घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिए बाध्य करेगा।

ङ. घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही मौजूदा क्षति

189. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, घरेलू उद्योग ने अपने निष्पादन में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में - मात्रात्मक और लाभप्रदता दोनों मापदंडों में गिरावट का सामना किया है।

घरेलू उत्पादकों ने आयातित वस्तुओं के कारण बाजार गंवा दिया है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ और नकद लाभ में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को खुले बाजार में घाटे का भी सामना करना पड़ा है। शुल्कों के लागू रहने के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे निष्पादन में मौजूदा गिरावट को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शुल्कों की अनुपस्थिति में क्षति के जारी रहने की संभावना है।

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)

190. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है, या घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने की संभावना रखते हैं। इस संबंध में जो कारक संगत हैं उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृति में बदलाव, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी में बदलाव, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

i. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें

191. क्षति अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से होने वाला आयात कुल आयात का शत-प्रतिशत हिस्सा रहे हैं। अन्य देशों से आयात की अनुपस्थिति को देखते हुए, ऐसे आयातों ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का कारण नहीं बनाया है, और न ही उनके द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने की संभावना है।

ख. मांग में संकुचन

192. विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बावजूद, देश में मांग घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता की तुलना में कहीं अधिक है। इसके अलावा, यद्यपि मांग में कमी आई, किंतु संबद्ध आयात में आनुपातिक रूप से कमी नहीं आई। घटती मांग के बावजूद घरेलू उद्योग ने आयात के कारण अपना बाजार गंवा दिया है। इसके अतिरिक्त, ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है जो यह संकेत देती हो कि मांग में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। मांग वर्ष 2023-24 तक बढ़ी थी, और केवल जांच अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है, जो एक अस्थायी उतार-चढ़ाव हो सकता है। इसलिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में संकुचन घरेलू उद्योग की वर्तमान या संभावित क्षति का कारण नहीं है। तथापि, यह नोट किया गया है कि मांग निरंतर काफी अधिक बनी हुई है।

ग. खपत की प्रवृति में बदलाव

193. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृति में भी कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए, घरेलू उद्योग को इस कारण से न तो कोई क्षति हुई है और ना ही क्षति होने की संभावना है।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

194. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की स्थितियां नहीं हैं, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने का कारण बनी हों या जिनके कारण क्षति होने की संभावना हो।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

195. उत्पाद के उत्पादन की तकनीक में कोई बदलाव नहीं आया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निकट भविष्य में किसी संभावित बदलाव को अभिज्ञात नहीं किया गया है।

च. उत्पादकता

196. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई है। तथापि, यह इस अवधि के दौरान उत्पादन में हुई गिरावट का परिणाम है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

197. ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, क्षति या संभावित क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

198. क्षति को आवेदक घरेलू उत्पादकों के अन्य उत्पादों के निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड में केवल समान वस्तु के संबंध में ही पृथक सूचना प्रदान की गई है।

झ.7 पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

199. यद्यपि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है, तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयात के कारण हुई है:

i. संबद्ध वस्तुओं के पाटन और निर्यात कीमत में गिरावट के परिणामस्वरूप समग्र रूप में और उत्पादन तथा खपत के सापेक्ष आयात में वृद्धि हुई है।

ii. पाटित आयात में वृद्धि ने घरेलू उद्योग को बाजार में लाभकारी कीमतों पर अपना माल बेचने से अवरूद्ध किया है।

iii. परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान समग्र रूप से घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई जबकि आयात की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।

iv. घरेलू उद्योग को मालसूची के महत्वपूर्ण संचय का सामना करना पड़ा क्योंकि वह बाजार में अपना उत्पाद बेचने में असमर्थ था।

v. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

vi. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, और उनकी कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

vii. कम कीमत वाले आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाला है, जिससे कीमत न्यूनीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई है।

viii. इसने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है।

200. इस प्रकार, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध वस्तुओं की पाटन और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

<u>ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

201. प्राधिकारी ने यथा संशोधित नियमावली के अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध वस्तुओं की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन

की गणना करने के लिए संबद्ध देशों के पहुंच मूल्य की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई भी असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय शामिल नहीं किया जाए। उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात, औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व 22% की दर से) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी ताकि नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित क्षतिरहित कीमत ज्ञात की जा सके और इसका पालन किया जा रहा है।

202. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया है। गैर-प्रतिदर्श सहयोगी निर्यातकों के लिए, पहुंच मूल्य को सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के भारित औसत पहुंच मूल्य के रूप में लिया गया है।

203. संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच मूल्य निर्धारित किया है।

204. ऊपर यथा निर्धारित पहुंच मूल्य और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

क्र.सं.	**विवरण**	**निर्यातित मात्रा**	**क्षतिरहित कीमत**	**पंहुच मूल्य**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**
		एमटी	**अमडा/एमटी**	**अमडा/एमटी**	**अमडा/एमटी**	**%**	**रेंज**
क	**बांग्लादेश**						
1	**ए. एम. जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	65-75%
ख	हेसियन	***	***	***	***	***	25-35%
ग	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	60-70%
2	**आशा जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	90-100%

अगोपनीय

ख	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	20-30%
ग	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	85-95%
3	**बोनान्ज़ा जूट कम्पोजिट एंड डायवर्स फैक्ट्री लिमिटेड**						
क	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	10-20%
ख	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	10-20%
4	**लवली जूट मिल्स लिमिटेड**						
क	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
ख	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
5	**मै. नटोर जूट मिल्स**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	60-70%
ख	सैकिंग कपड़ा	***	***	***	***	***	20-30%
ग	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	30-40%
6	**नवाहाटा जूट मिल्स लिमिटेड**						
क	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	25-35%
ख	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	25-35%
7	**मै. पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज़**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	85-95%
ख	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	10-20%
ग	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	15-25%
8	**रानू एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड**						
क	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	0-10%
ग	भारित औसत	***	***	***	***	***	0-10%
9	सुपर जूट मिल्स लिमिटेड						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	35-45%
ख	सैकिंग बैग / कपड़ा	***	***	***	***	***	10-20%

अगोपनीय

ग	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	30-40%
10	**गैर प्रतिदर्श वाले सहकारी उत्पादक**						
क	जूट यार्न		***	***	***	***	80-90%
ख	सैकिंग बैग / कपड़ा		***	***	***	***	20-30%
ग	हेसियन		***	***	***	***	25-35%
घ	**भारित औसत**		***	***	***	***	70-80%
11	**कोई अन्य उत्पादक**						
क	जूट यार्न		***	***	***	***	90-100%
ख	सैकिंग बैग / कपड़ा		***	***	***	***	25-35%
ग	हेसियन		***	***	***	***	35-45%
घ	**भारित औसत**		***	***	***	***	55-65%
ख	**नेपाल**						
1	**अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	70-80%
ख	सैकिंग बैग	***	***	***	***	***	10-20%
ग	हेसियन	***	***	***	***	***	15-25%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	15-25%
2	**श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	65-75%
ख	सैकिंग बैग	***	***	***	***	***	10-20%
ग	हेसियन	***	***	***	***	***	20-30%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	15-25%
3	**अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड और श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड**						

अगोपनीय

क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	70-80%
ख	सैकिंग बैग	***	***	***	***	***	10-20%
ग	हेसियन	***	***	***	***	***	15-25%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	15-25%
4	**बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	75-85%
ख	सैकिंग बैग	***	***	***	***	***	10-20%
ग	हेसियन	***	***	***	***	***	10-20%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	20-30%
5	**श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	80-90%
ख	सैकिंग बैग	***	***	***	***	***	25-35%
ग	हेसियन	***	***	***	***	***	30-40%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	35-45%
6	**स्वस्तिक जूट मिल्स (P) लिमिटेड**						
क	जूट यार्न	***	***	***	***	***	70-80%
ख	सैकिंग बैग	***	***	***	***	***	10-20%
ग	हेसियन	***	***	***	***	***	10-20%
घ	**भारित औसत**	***	***	***	***	***	15-25%
7	**कोई अन्य उत्पादक**						
क	जूट यार्न		***	***	***	***	90-100%
ख	सैकिंग बैग		***	***	***	***	25-35%
ग	हेसियन		***	***	***	***	30-40%
घ	**भारित औसत**		***	***	***	***	30-40%

अगोपनीय

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

205. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. यदि पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया जाता है, तो उत्पाद के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए कीमतें अधिक महंगी हो जाएंगी और भारत में अंतिम प्रयोक्ताओं को नुकसान होगा।

ii. संबंधित मंत्रालय को शुल्क लगाने का विरोध करना चाहिए क्योंकि इसका बड़ी संख्या में निर्यातकों/व्यापारियों/आयातकों और प्रयोक्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

iii. यह दावा कि शुल्क सार्वजनिक हित में हैं, शुल्कों को बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी अपेक्षाओं से अतिव्यापी नहीं हो सकता है।

iv. घरेलू उद्योग ने अपने स्वयं के व्यावसायिक हित को व्यापक रूप से जनता के हित के समान मान लिया है।

v. ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि शुल्कों को जारी रखना नौकरियों के संरक्षण के लिए निर्णायक है।

vi. घरेलू उद्योग खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा से निरंतर सुरक्षा चाहता है, जो व्यापार उदारीकरण के उद्देश्य के विपरीत है।

vii. प्रयोक्ताओं द्वारा भागीदारी न करने को प्रतिकूल प्रभाव की अनुपस्थिति के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह की गैर-भागीदारी के कई कारण हो सकते हैं जैसे जागरूकता की कमी, संसाधनों की कमी या प्रयोक्ताओं के बीच सीमित संगठन।

viii. आयातों की उपस्थिति मूल्य अनुशासन सुनिश्चित करती है और ग्राहकों को लाभ पहुँचाती है।

ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

206. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. पाटनरोधी उपाय के प्रभाव की जांच घरेलू उत्पादकों, घरेलू उपभोक्ताओं, जनता, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए।

ii. यदि पाटन का उचित समाधान किया जाता है, तो यह घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा।

iii. आयातों के निरंतर प्रवेश करने से ₹12,000 करोड़ के निवेश और 4 लाख से अधिक श्रमिक प्रभावित होंगे। यह 150 साल पुराना उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास और सामाजिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग है।

iv. पश्चिम बंगाल राज्य में जूट मिलें मुख्य रूप से एक जिले, उत्तर 24 परगना में स्थित हैं, और इस जिले के लोगों को काफी हद तक जिले के आसपास की जूट मिलों द्वारा रोजगार दिया गया है। परिवारों की पूरी आजीविका और भरण-पोषण जूट मिलों पर निर्भर है।

v. कच्चे जूट की खेती कम से कम 40 लाख किसान परिवारों को आजीविका का साधन प्रदान करती है। जबकि कच्चे जूट को मूल रूप से केवल पैकेजिंग उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री का एक स्रोत माना जाता था, अब यह विविध अनुप्रयोगों जैसे कि कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, भवन और ऑटोमोटिव उद्योग, मृदा रक्षक के रूप में उपयोग, सजावटी और फर्निशिंग सामग्री आदि के लिए एक बहुमुखी कच्ची सामग्री के रूप में उभरा है।

vi. कच्चा जूट पर्यावरण के अनुकूल फसल है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

vii. भारत में उगाई जाने वाली कच्चे जूट की उच्च श्रेणी (टीडीएन 1 और टीडीएन 2) का उपयोग महीन यार्न और हेसियन फैब्रिक के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिनकी कीमतें अधिक होती हैं, और खुले बाजार में चाय, कॉफी के बैग और शॉपिंग बैग जैसे पैकेजिंग उत्पादों, फर्निशिंग सामग्री, सजावटी कपड़ों में उपयोग किया जाता है। यदि इस बाजार को आयात के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, तो भारतीय जूट मिलें अलाभकारी हो जाएंगी और उन्हें इस उत्पाद के लिए उत्पादन सुविधाओं को बंद करना पड़ेगा, जिससे इस बाजार में विकास की अपार संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी।

viii. सैकिंग बैग और यार्न/हेसियन दोनों की उत्पादन सुविधाओं का सह-अस्तित्व होना आवश्यक है और उद्योग के लिए केवल सैकिंग बैग या केवल खुले बाजार के आधार पर व्यवहार्य संचालन जारी रखना असंभव है।

ix. कोई भी ऐसा कदम जो खुले बाजार को पाटित आयात के भरोसे छोड़ देता है, ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां भारतीय उद्योग को केवल सरकारी खरीद को पूरा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति सरकार के दीर्घकालिक उद्देश्यों के विपरीत होगी और उद्योग को भारी नुकसान भी पहुँचाएगी।

x. यदि उद्योग को खुले बाजार से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया, तो महत्वपूर्ण क्षमताएं, निवेश, संयंत्र और उपकरण, रोजगार और विशाल आधारभूत ढांचा पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा।

xi. इसके विपरीत, यदि भारतीय उद्योग खुले बाजार में फलने-फूलने में सक्षम होता है, तो सरकार उस अतिरिक्त लागत को बचा सकती है जो वह वर्तमान में जूट किसानों की सहायता के लिए खर्च करती है।

xii. पहले लगाए गए शुल्कों के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।

xiii. पूर्ववर्ती जांच में भी, प्राधिकारी ने नोट किया था कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क सार्वजनिक हित में होगा।

xiv. वर्तमान समीक्षा और पिछली निर्णायक समीक्षा में प्रयोक्ताओं द्वारा भागीदारी नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि शुल्कों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

xv. यदि प्रयोक्ता उद्योग को पूरी तरह से आयातित वस्तुओं पर निर्भर होने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वे विदेशी उत्पादकों की दया पर आश्रित होंगे, जिनका उद्देश्य राजस्व को अधिकतम करना होगा। इसके अलावा, यदि देश आयात पर निर्भर हो जाता है, तो प्रयोक्ता उद्योग को उच्च मालसूची बनाए रखने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

xvi. ये उपाय उचित कीमत वाले आयातों के विरूद्ध एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग सुनिश्चित करेंगे, जो अन्यथा संबद्ध देशों से होने वाले आयातों के वर्चस्व के अधीन हो जाएगा।

xvii. सर्वोच्च न्यायालय ने 'रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी' मामले में भारत को एक आधुनिक, शक्तिशाली, अत्यधिक औद्योगिक राष्ट्र बनाने में पाटनरोधी शुल्क लगाने के महत्व को नोट किया है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

207. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक उपायों का उद्देश्य, सामान्य रूप से, अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति को समाप्त करना और भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा को बहाल करना है, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य संबद्ध देश से होने वाले आयात को किसी भी तरह से प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि शुल्कों की उपस्थिति भारत में उत्पाद के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकती है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा लागू पाटनरोधी शुल्क से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटन और क्षति मार्जिन के वर्तमान स्तर के अनुसार उपायों में संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अनुचित लाभ न उठाया जाए, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोका जा सके और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिले। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय संबद्ध देशों से होने वाले आयात को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेंगे, और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

208. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने से जनता के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों को बढ़ाने के प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव और व्यापक रूप से आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया। यह निर्धारण वर्तमान जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और साक्ष्यों पर आधारित है।

209. प्राधिकारी ने जॉच शुरुआत अधिसूचना जारी की थी जिसमें आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य लोगों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए गए थे। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संघों के लिए वर्तमान जांच के संबंध में संगत जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की थी, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का कोई भी संभावित प्रभाव शामिल था।

210. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का विरोध नहीं किया है। प्रयोक्ताओं की गैर-भागीदारी यह दर्शाती है कि प्रयोक्ता शुल्कों के लगाए

जाने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हैं। प्राधिकारी इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं पाते हैं कि गैर-भागीदारी को अन्य कारणों के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। प्राधिकारी ने जांच शुरूआत की सूचना स्वयं प्रयोक्ताओं को दी थी। इसलिए, प्राधिकारी यह नहीं पाते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग को जांच से अनभिज्ञ माना जा सकता है। संसाधनों की कमी के संबंध में, प्राधिकारी पाते हैं कि कई मामलों में, भले ही प्रयोक्ता उद्योग एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हो, वे प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत करते हैं। प्राधिकारी ने ऐसे प्रयोक्ताओं के अनुरोधों पर विचार किया है, भले ही वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूरी जानकारी प्रदान करने में असमर्थ रहे हों। अंत में, संगठन की अनुपस्थिति के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अलग-अलग प्रयोक्ताओं द्वारा भागीदारी पर भी प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है। इसलिए, भले ही प्रयोक्ता सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए संगठित होने में सक्षम नहीं थे, वे व्यक्तिगत रूप से भाग ले सकते थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में विदेशी उत्पादकों द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

211. इसके अलावा, वर्तमान जांच संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की एक मध्यावधि समीक्षा है। रिकॉर्ड में ऐसी कोई सूचना नहीं है जो डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती हो। ऐसी स्थिति में जहां पाटनरोधी शुल्क नौ से अधिक वर्षों से लागू है, उत्पाद की कीमत में वृद्धि (कच्ची सामग्री की कीमत के उतार-चढ़ाव के लिए उचित समायोजन के बाद) और उसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्क के संभावित प्रभाव का सबसे अच्छा संकेतक है। यह देखा गया है कि न तो घरेलू उद्योग द्वारा और न ही बांग्लादेश या नेपाल के उत्पादकों द्वारा उत्पाद की कीमत में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इसके विपरीत, इस अवधि के दौरान बाजार में कीमतें काफी कम हुई हैं।

212. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय जूट उद्योग देश के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। जैसा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में नोट किया है, भारत में 116 जूट मिलें हैं, जिनमें से 86 मिलें पश्चिम बंगाल में केंद्रित हैं। जूट उद्योग संगठित मिलों और विविधीकृत इकाइयों में 4 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, जिसमें तृतीयक क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियां शामिल हैं। घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जूट मिलें मुख्य रूप से एक जिले, अर्थात उत्तर 24 परगना में स्थित हैं। इस जिले के लोग काफी हद तक जिले के आसपास की जूट मिलों में कार्यरत हैं। परिवारों की पूरी आजीविका और भरण-पोषण जूट मिलों पर निर्भर है। इसलिए, जूट मिलों के निष्पादन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव श्रमिकों और उनके परिवारों की आजीविका को तुरंत प्रभावित करता है।

213. इसके अलावा, जूट उद्योग 40 लाख किसानों की आजीविका का समर्थन करता है। यह निर्विवाद है कि कच्चा जूट देश की अर्थव्यवस्था, किसान की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसे मूल रूप से पैकेजिंग उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री का एक स्रोत माना जाता है। जैसा कि निर्णायक समीक्षा में नोट किया गया है, जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 को जूट किसानों को एक सुनिश्चित बाजार प्रदान करने के लिए प्रख्यापित किया गया था, और इस प्रकार, केवल घरेलू कच्चे जूट की खरीद को अनिवार्य करके जूट मिलों को उस बाजार में बिक्री के लिए उत्पादन सुविधाएं समर्पित करने की आवश्यकता थी। तथापि, प्राधिकारी ने पाया कि व्यावहारिक रूप से सभी जूट मिलों ने खुले बाजार में खपत के लिए भी समानांतर रूप से उत्पादन सुविधाएं विकसित की हैं।

214. पिछली समीक्षा से यह भी पता चला था कि भारत में उगाए जाने वाले कच्चे जूट का लगभग 25% उच्च श्रेणी का है जिसका उपयोग केवल महीन धागे और हेसियन फैब्रिक के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो खुले बाजार में बेचे जाते हैं। प्राधिकारी ने पहले यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि खुले बाजार को असुरक्षित छोड़ दिया जाता है और अनुचित कीमतों पर पाटित आयात के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, तो भारतीय जूट मिलें अलाभकारी हो जाएंगी। इसके परिणामस्वरूप कच्चे जूट के किसानों के लिए बाजार का नुकसान होगा और उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी ने प्लास्टिक से प्राकृतिक/बायोडिग्रेडेबल उत्पादों की ओर बढ़ने के वैश्विक प्रयासों के आलोक में बाजार में विकास की अपार संभावनाओं को भी नोट किया था। निर्णायक समीक्षा में निकाले गए निष्कर्षों को का खंडन करने के लिए कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है।

215. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शुल्कों के लागू होने के बावजूद, भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष आयात में वृद्धि जारी रही है। संबद्ध उत्पाद का पाटन भी जारी रहा है। प्रस्तुत की गई जानकारी से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को खुले बाजार में भारी नुकसान हुआ है। यदि ऐसी स्थिति को बने रहने दिया गया, तो यह खुले बाजार में उद्योग की व्यवहार्यता को नष्ट कर देगा। इसके परिणामस्वरूप समर्पित क्षमताओं, निवेशों, संयंत्र और उपकरणों, रोजगार और मूलभूत ढांचे को एक बड़ा आघात लगेगा।

216. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी ने जूट क्षेत्र के संबंध में कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों का भी संज्ञान लिया था। आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात पर प्रकाश डाला था कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश में 13 ट्वाइन

मिलों में प्रचालन फिर से शुरू हो गया था, जिससे लगभग 20 हजार श्रमिकों को लाभ हुआ और घरेलू बाजार में 2 लाख टन जूट की अतिरिक्त मांग पैदा हुई। प्राधिकारी ने आयोग की इस टिप्पणी को भी नोट किया कि 2019-20 के दौरान, बांग्लादेश ने हेसियन, सैकिंग और कारपेट बैकिंग क्लोदिंग (सीबीसी) पर 12 प्रतिशत, यार्न और ट्वाइन पर 7 प्रतिशत और जूट विविधीकृत जूट उत्पादों पर 20 प्रतिशत की नकद सब्सिडी प्रदान की थी। ऐसी नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप, बांग्लादेश से उत्पाद के आयात ने भारतीय जूट उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना जारी रखा है।

217. अतः, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्कों को आगे लागू रखना और उनमें संशोधन करना सार्वजनिक हित में होगा।

ट. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ट.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

218. हितबद्ध पक्षकारों ने स्थायी प्रकृति की परिस्थितियों में परिवर्तन के अभाव, अलग अलग जांच आवश्यक बनाने वाले अर्नु जूट द्वारा काफी निर्यात, और उत्पादकता, किफायत, प्रौद्योगिकीय उन्नतियों आदि जैसे अन्य कारकों से प्रभावित हो रहे संबद्ध सामानों की कीमत के संबंध में अपने अनुरोधों को दोहराया है और केवल कच्चे जूट की कीमतों से प्रभावित नहीं है। इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण जारी करने के बाद निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. पाटन मार्जिन की गणना के लिए आवश्यक तथ्यों के प्रकटन की आवश्यकता है। आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करने में विफलता पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.9 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और 16 का उल्लंघन करती है। यह रूस - वाणिज्यिक वाहन में डब्ल्यूटीओ पैनल की टिप्पणियों और चीन - एचपी-एसएसएसटी (ईयू) में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के अनुरूप भी है। गणना के आधार के रूप में सूचना का मात्र संदर्भ पर्याप्त नहीं है और परिकलनों/समायोजनों और पद्धतियों को प्रकटन करने का दायित्व है।

ख. बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ पर विचार करने का स्रोत और आधार प्रकट नहीं किया गया है। प्रकट की गई सूचना के अनुसार, लाभ मार्जिन निकालने का दृष्टिकोण उत्पादकों द्वारा सूचित परिशिष्ट 7 के अनुरूप नहीं है।

ग. गोपनीयता की कोई चिंता नहीं है क्योंकि मांगी गई सूचना स्वयं पक्षकारों से संबंधित है।

घ. आशा जूट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सुपर जूट मिल्स लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य घरेलू बिक्री के लिए जिम्मेदार लाभ के बजाय कंपनी स्तर पर समग्र लाभ का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है। घरेलू बिक्री के अभाव में, सामान्य मूल्य अनुबंध-I के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, 5% की लाभ दर पर विचार किया जा सकता है।

ङ. जहां सामान्य मूल्य उत्पादन लागत और लाभ के आधार पर निर्धारित किया जाता है, नेपाल के विभिन्न उत्पादकों के लिए अलग-अलग लाभ मार्जिन लिया गया है। इसके अलावा, एक ही उत्पादक के विभिन्न पीसीएन के लिए लिया गया लाभ मार्जिन भी कुछ मामलों में अलग-अलग है। प्राधिकारी को पिछली परिपाटी के अनुरूप लगातार 5% के लाभ मार्जिन पर विचार करना चाहिए।

च. बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ मार्जिन वास्तविक सूचना पर आधारित होना चाहिए, और अन्य सूचना पर केवल तभी भरोसा किया जा सकता है जब वास्तविक सूचना उपलब्ध न हो।

छ. समग्र लाभप्रदता में शामिल निर्यात-संबंधी सब्सिडी को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे घरेलू बिक्री से संबंधित नहीं हैं।

ज. चूंकि नेपाल सरकार ने पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ निर्यात प्रोत्साहन को रद्द कर दिया है, और सरकार द्वारा कोई राशि वितरित नहीं की गई है, इसलिए लाभ मार्जिन की गणना के लिए इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

झ. बाबा जूट और स्वस्तिक के लिए सैकिंग के सामान्य मूल्य के लिए वास्तविक सामान्य और प्रशासनिक खर्च और लाभ मार्जिन को नजरअंदाज कर दिया गया है। अरिहंत के हेसियन का सामान्य मूल्य इसकी घरेलू बिक्री के आधार पर होना चाहिए, और इसकी घरेलू बिक्री भारत को इसके कुल निर्यात का 5% से अधिक और इसकी लाभदायक घरेलू बिक्री का 80% से अधिक है।

ञ. रघुपति के ट्विन का सामान्य मूल्य लाभदायक घरेलू बिक्री पर आधारित होना चाहिए। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पादन लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ मार्जिन के आधार पर सामान्य मूल्य की गलत गणना की गई है। इसके अलावा, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ मार्जिन को रघुपति द्वारा वास्तव में किए गए से अधिक माना जाता है।

ट. वर्तमान मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एएम जूट के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक है और एएम जूट द्वारा आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती। इस प्रकार, एएम जूट के लिए शुल्क बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ठ. लवली जूट मिल्स लिमिटेड के लिए निर्धारित नकारात्मक क्षति मार्जिन के मद्देनजर, कमतर शुल्क नियम लागू करके लवली जूट मिल्स लिमिटेड के लिए शून्य पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए।

ड. श्री रघुपति के लिए, पीसीएन वार लागत में मालसूची में परिवर्तन के लिए समायोजन उत्पादन मूल्य पर किया गया है। इस तरह के दृष्टिकोण को तैयार माल के लिए मालसूची में परिवर्तन के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक पीसीएन के लिए मालसूची कीमत में परिवर्तन प्रत्येक पीसीएन की प्रति यूनिट उत्पादन लागत (उत्पादन मूल्य-आधारित आबंटन के बाद निकाले गए) पर प्रत्येक पीसीएन की शुरुआती और समापन स्टॉक मात्रा के आधार पर होना चाहिए।

ढ. अर्नु जूट मिल्स लिमिटेड का निर्यात काफी है, वह पूरी तरह से सहयोग कर रहा है और पिछली निर्णायक समीक्षा में नमूनाकृत उत्पादक के रूप में चुना गया था। इसलिए, अर्नु जूट के लिए अलग जांच की अनुमति दी जानी चाहिए।

ण. यद्यपि नियम 17(3) सांख्यिकीय रूप से वैध नमूनाकरण की अनुमति देता है, नमूनाकरण का उद्देश्य संबद्ध देश से निर्यात की प्रतिनिधिकारिता सुनिश्चित करना है।

त. सैकिंग बैग्स की उत्पादन लागत बढ़ाई गई प्रतीत होती है क्योंकि सैकिंग क्लाथ सैकिंग बैग में बदलने में न्यूनतम मूल्यवर्धन होता है।

थ. प्रकटण विवरण में बांग्लादेश से सैकिंग बैग और क्लाथ्स समीक्षा के क्षेत्र से बाहर करने के लिए किए गए विशिष्ट अनुरोध को हल नहीं किया गया है, जबकि घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि इन उत्पाद श्रेणियों के निर्यात की कीमतें कम नहीं हुई हैं। तदनुसार, परिस्थितियों में महत्वपूर्ण और स्थायी परिवर्तन सिद्ध करने के लिए नियम 23 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है।

द. कीमतों की प्रवृत्ति सामान्य बाजार उतार-चढ़ाव को दर्शाती हैं और एक निरंतर या अपरिवर्तनीय गिरावट को नहीं दर्शाती हैं। आयात की मात्रा में वृद्धि अपने आप में परिस्थितियों में स्थायी परिवर्तन सिद्ध नहीं करती हैं।

ध. मात्र औसत आयात कीमतों में उतार-चढ़ाव पर निर्भरता सही नहीं है क्योंकि बांग्लादेश से आयात की कीमत में लगातार या निरंतर गिरावट नहीं आई है। जांच की अवधि के दौरान आयात कीमत में वृद्धि से पता चलता है कि कीमतें बाजार स्थितियों के अनुकूल चली हैं। आयात कीमतों में उतार-चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक सामान्य पहलू है, जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है और इस तरह की गिरावट अस्थायी या चक्रीय होती है।

न. प्राधिकारी को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि यह दिखाने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य हैं कि कुछ निर्यातक अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित सामानों को भेज रहे हैं।

प. वर्तमान समीक्षा में सिफारिशें समग्र रूप से उद्योग से संबंधित सामान्यीकृत आरोपों की अपेक्षा निर्यातक-विशिष्ट साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए।

फ. प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों की अवहेलना की है, यहां तक कि जब साक्ष्य का भार आवेदकों पर सिद्ध करने के लिए है, न कि निर्यातकों पर आवेदकों की काल्पनिक धारणाओं को गलत सिद्ध करने के लिए।

ब. यह दर्शाने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया गया है कि मौजूदा कीमतें भविष्य में बनी रहने की संभावना है, और जांच पूरी तरह से ऐतिहासिक टिप्पणियों पर आधारित है।

भ. प्राधिकारी को नमूनाकृत निर्यातकों के आंकड़ों पर विचार करना चाहिए, जिन्हें परिवर्तित परिस्थितियों की मौजूदगी निर्धारित करने के लिए विधिवत् सत्यापित किया गया है।

म. वर्तमान मध्यावधि समीक्षा मौजूदा शुल्कों के पुनर्मूल्यांकन तक सीमित है और स्थापित शुल्क संरचना में संशोधन की अनुमति नहीं देती है। विभिन्न उत्पाद श्रेणियां विनिर्माण प्रक्रिया, लागत संरचना और अंतिम प्रयोग के संदर्भ में अलग-अलग हैं, और उत्पादों के बीच पाटन के कथित स्विचिंग का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है।

य. भारत लगातार घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहा है और अपर्याप्त घरेलू उपलब्धता के कारण आयात अपरिहार्य हैं।

ट.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

219. घरेलू उद्योग ने कच्चे जूट की कीमतों में उचित परिवर्तन के बिना निर्यात कीमत में भारी गिरावट, स्थायी प्रकृति की परिस्थितियों में परिवर्तन की मौजूदगी, घरेलू उद्योग के निष्पादन पर आयात के प्रतिकूल प्रभाव और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जूट उद्योग के महत्व के संबंध में अपनी अनुरोधों को दोहराया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने प्रकटप विवरण जारी होने के बाद निम्नलिखित नए अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग में पर्याप्त स्थापित क्षमता के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों में वास्तविक रूप से वृद्धि हुई है।

ख. प्राधिकारी द्वारा संभावना जांच से पता चलता है कि पाटन जारी है, और जारी शुल्कों का औचित्य बनाने वाली परिस्थितियां अपरिवर्तित रहती हैं।

ग. जांच की अवधि के दौरान कुछ निर्यातकों के लिए नकारात्मक पाटन मार्जिन की मौजूदगी पाटन की संभावना को समाप्त नहीं करती है। मूल्यांकन को समग्र उत्पादन स्थितियों, निर्यातोन्मुखता और बाजार व्यवहार पर विचार करना चाहिए, न कि केवल एक अवधि के दौरान मार्जिन पर निर्भर रहना चाहिए। जब तक यह सकारात्मक रूप से सिद्ध नहीं हो जाता कि ऐसे उत्पादक शुल्क को हटाने या बदलने की स्थिति में पाटन और क्षति का जोखिम नहीं उठाते हैं, तब तक शून्य शुल्क की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

घ. सकारात्मक क्षति मार्जिन से पता चलता है कि वर्तमान निर्यात कीमत पर भी, आयात घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर हैं।

ड. घरेलू उद्योग को हुई क्षति सीधे तौर पर संबद्ध देशों से किए गए आयात के साथ मेल खाती हैं।

च. जूट यार्न, हेसियन फैब्रिक और सैकिंग बैग एकल समान वस्तु हैं। इसी तरह के बहु-प्रकार के उत्पाद मामलों में प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार, एक एकीकृत शुल्क उपयुक्त है जहां उत्पाद सामान्य कच्चे माल, विनिर्माण प्रौद्योगिकी और कार्यात्मक विशेषताओं को साझा करते हैं। ग्लास फाइबर और स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के मामले में जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है।

ट.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

220. अथॉरिटी ने संबंधित पक्षों द्वारा 'पोस्ट-डिस्क्लोज़र' (जानकारी सामने आने के बाद) के बाद दी गई दलीलों की जांच की है। देखा गया है कि इनमें से ज़्यादातर दलीलें उन्हीं तर्कों और बातों को दोहराती हैं, जिनकी जांच पहले ही की जा चुकी है और इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित पैराग्राफ में ज़रूरत के अनुसार उन पर बात की जा चुकी है। बात को संक्षेप में रखने के लिए, अथॉरिटी ने इस 'पोस्ट-डिस्क्लोज़र' जांच में ऐसी दलीलों के जवाबों को दोहराने से परहेज किया है। हालाँकि, 'पोस्ट-डिस्क्लोज़र' टिप्पणियों में पहली बार उठाई गई नई दलीलें, और साथ ही वे दलीलें जिन पर पहले बात हो चुकी है लेकिन जिनकी और जांच करना ज़रूरी समझा गया, उन पर यहाँ बात की गई है।

221. इस तर्क के संबंध में कि अथॉरिटी ने ज़रूरी तथ्य उजागर नहीं किए, यह ध्यान दिया जाता है कि अथॉरिटी द्वारा मानी गई उत्पादन लागत, घरेलू बिक्री मूल्य, सामान्य व्यापार प्रक्रिया परीक्षण के परिणाम, माना गया लाभ मार्जिन, निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और लैंडेड मूल्य को संबंधित पक्षों के सामने विधिवत उजागर किया गया था। इसलिए, संबंधित पक्षों को ज़रूरी तथ्यों का पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया था। इसके अलावा, चूंकि लाभ मार्जिन पहले ही संबंधित पक्षों को बताया जा चुका है, इसलिए यह तर्क कि इसे संबंधित पक्षों से ही गोपनीय नहीं माना जा सकता, सही नहीं है।

222. दिलचस्पी रखने वाले पक्षों का तर्क है कि घरेलू बिक्री न होने की स्थिति में, सामान्य मूल्य का निर्धारण एनेक्ज़र-I के पैरा (4) के अनुसार किया जाना चाहिए। जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री करने वाले उत्पादकों के मामले में, अथॉरिटी ने सामान्य व्यापार के दौरान की गई बिक्री, यानी लाभदायक बिक्री पर उत्पादकों द्वारा वास्तव में कमाए गए लाभ मार्जिन को ध्यान में रखा है। दिलचस्पी रखने वाले पक्षों ने 5% के फ्लैट लाभ मार्जिन पर विचार करने का अनुरोध किया है। हालांकि, ऐसे लाभ मार्जिन के समर्थन में कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। यह ध्यान दिया जाता है कि एंटी-डंपिंग नियमों के एनेक्ज़र-I के पैरा (4) के प्रावधानों के अनुसार, लाभ का निर्धारण समान वस्तु के उत्पादन और सामान्य व्यापार के दौरान बिक्री से संबंधित वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। मौजूदा समीक्षा में भी इसी प्रक्रिया को सही ढंग से अपनाया गया है। अथॉरिटी यह भी नोट करती है कि निर्यातक ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है कि लाभदायक बिक्री पर कमाए गए लाभ मार्जिन को अनुचित क्यों माना जाना चाहिए।

223. जिन प्रोड्यूसर्स की घरेलू बाज़ार में कोई बिक्री नहीं है, उनके लिए प्रॉफ़िट मार्जिन का हिसाब अपेंडिक्स 7 के अनुसार प्रोड्यूसर के कुल कामकाज के आधार पर लगाया गया है। आशा जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी ऐसा ही किया गया है, जो सिर्फ़ संबंधित सामान के प्रोडक्शन और बिक्री का काम करती हैं। कुछ संबंधित पक्षों का तर्क है कि प्रॉफ़िट मार्जिन इस तरह से तय नहीं किया जाना चाहिए, या इस मार्जिन को तय करते समय एक्सपोर्ट इंसेंटिव को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया गया है कि अथॉरिटी प्रॉफ़िट मार्जिन तय करने के लिए विदेशी प्रोड्यूसर्स के अकाउंट्स की किताबों पर निर्भर करेगी। ऐसा करते समय, संबंधित सामान से जुड़े कुल खर्चों और आय पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, अथॉरिटी ने विदेशी प्रोड्यूसर्स द्वारा खुद बताए गए इंसेंटिव पर विचार किया है, जिन्हें जांच की अवधि के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। अथॉरिटी को बाद की घटनाओं पर विचार करने में कोई ठोस आधार नहीं दिखता, जिनका असर अलग-अलग समय पर हो सकता है। यह भी देखा गया है कि एनेक्शर-I के पैराग्राफ (4) के तहत, प्रॉफ़िट मार्जिन इन आधारों पर तय किया जाएगा: (a) घरेलू बाज़ार में उसी सामान्य श्रेणी की वस्तु के प्रोडक्शन या बिक्री से प्रोड्यूसर को मिली रकम, (b) मूल देश के घरेलू बाज़ार में वैसी ही वस्तु के प्रोडक्शन और बिक्री से प्रोड्यूसर्स द्वारा कमाया गया वेटेड एवरेज प्रॉफ़िट, या (c) कोई अन्य उचित आधार। अथॉरिटी ने अभी अपेंडिक्स 7 के अनुसार प्रॉफ़िट को उचित आधार माना है। कुछ एक्सपोर्टर्स ने भी माना है कि प्रॉफ़िट मार्जिन तय करने के लिए अपेंडिक्स 7 के अनुसार प्रॉफ़िट पर विचार करना एक उचित आधार होगा। इसलिए, अथॉरिटी द्वारा माना गया प्रॉफ़िट मार्जिन सही है।

224. यह भी देखा गया है कि संबंधित पक्षों ने यह नहीं दिखाया है कि मुनाफ़े का मार्जिन, मूल देश के घरेलू बाज़ार में उसी सामान्य श्रेणी के उत्पादों की बिक्री पर निर्यातकों या उत्पादकों को आम तौर पर मिलने वाले मुनाफ़े से ज़्यादा है। खास तौर पर, यह देखा गया है कि श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और आशा जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए माना गया मुनाफ़ा मार्जिन, मूल देश में दूसरे उत्पादकों द्वारा कमाए जा रहे मुनाफ़े मार्जिन के बराबर है। ऐसा तब है जब इन उत्पादकों के मुनाफ़े में कोई निर्यात प्रोत्साहन शामिल नहीं है। इसलिए, ऐसा मुनाफ़ा मार्जिन, मूल देश के घरेलू बाज़ार में उसी सामान्य श्रेणी के उत्पादों की बिक्री पर निर्यातकों या उत्पादकों को आम तौर पर मिलने वाले मुनाफ़े से ज़्यादा नहीं है। इसी तरह, आशा जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए माना गया मुनाफ़ा मार्जिन, देश के दूसरे उत्पादकों - जैसे नटोर जूट मिल्स, पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज़, रानू एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और लवली जूट मिल्स लिमिटेड - के लिए

माने गए मुनाफ़े मार्जिन के बराबर या उससे कम है। इसे देखते हुए, अथॉरिटी को मुनाफ़ा मार्जिन पर फिर से विचार करने के अनुरोध में कोई दम नहीं लगता।

225. इस तर्क के संबंध में कि अलग-अलग PCN के लिए अलग-अलग प्रॉफ़िट मार्जिन लिए गए हैं, इस मामले की फिर से जांच की गई है। यह पुष्टि की जाती है कि मूल देश में उत्पादक द्वारा की गई सभी बिक्री के लिए एक ही प्रॉफ़िट मार्जिन तय किया गया है।

226. अरिहंत के लिए डंपिंग मार्जिन की गणना की दोबारा जांच की गई है, और उत्पादक का यह दावा गलत है कि हेसियन की 80% से ज़्यादा घरेलू बिक्री मुनाफ़े वाली है। इसलिए, सामान्य मूल्य मुनाफ़े वाली बिक्री की कीमत के आधार पर तय किया गया है। रघुपति के लिए सुतली (twine) के मामले में, यह देखा गया है कि निर्यात की गई सुतली की PCN में से एक में 80% से कम मुनाफ़े वाली बिक्री थी, लेकिन यह मुनाफ़े वाली बिक्री की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य तय करने के लिए काफ़ी थी। इसलिए, मौजूदा फ़ैसले में सामान्य मूल्य और उसके आधार पर डंपिंग मार्जिन में बदलाव किया गया है।

227. श्री रघुपति को हर PCN के लिए तय की गई प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकर चिंताएं हैं। इसके अलावा, कुछ एक्सपोर्टर्स ने दावा किया है कि सैकिंग बैग्स की प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। अथॉरिटी का कहना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट एंटी-डंपिंग रूल्स के एनेक्शर-I में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर तय की गई है। तय की गई प्रोडक्शन कॉस्ट की जानकारी संबंधित पक्षों को दे दी गई है। हालांकि, संबंधित पक्षों ने सैकिंग बैग्स की प्रोडक्शन कॉस्ट तय करने में किसी कमी की ओर इशारा नहीं किया है।

228. संबंधित पक्षों का तर्क है कि जिन उत्पादकों का डंपिंग मार्जिन नेगेटिव है, उनके लिए ड्यूटी बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। अथॉरिटी इस बात से सहमत है कि जिन उत्पादकों के मामले में मौजूदा समीक्षा के दौरान डंपिंग में शामिल होने की बात सामने नहीं आई है, उनके मार्जिन को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए, ऐसे उत्पादकों के लिए मौजूदा ड्यूटी बनाए रखने की सिफारिश की गई है।

229. आर्नु जूट मिल्स लिमिटेड की अलग से जांच की मांग पर पहले भी विचार किया जा चुका है। एक्सपोर्टर ने फिर से कहा है कि चूंकि पिछली सनसेट समीक्षा के दौरान उसे सैंपल का हिस्सा माना गया था, इसलिए मौजूदा समीक्षा में भी उसे सैंपल का हिस्सा माना जाना चाहिए। अथॉरिटी ने इस मामले की जांच की है और पाया है कि आर्नु जूट मिल्स लिमिटेड को पिछली समीक्षा में सैंपल में शामिल किया गया था, लेकिन पता चला कि

उसने विचाराधीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं किया था। इसलिए, प्रोड्यूसर को कोई अलग ड्यूटी नहीं दी गई है, और पिछली सनसेट समीक्षा पर भरोसा करना गलत है। इसके अलावा, मौजूदा समीक्षा में सैंपल के लिए अपनाई गई प्रक्रिया मूल जांच और सनसेट समीक्षा में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप है। संबंधित पक्ष तथ्यों में कोई बदलाव या पहले अपनाई गई प्रक्रिया से अलग तरीका अपनाने का कोई कारण नहीं दिखा पाए हैं।

230. कुछ संबंधित पक्षों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि हालात में कोई स्थायी बदलाव आया है। संबंधित पक्षों का तर्क है कि कीमतों में गिरावट चक्रीय या अस्थायी हो सकती है, और यह ज़रूरी नहीं कि यह लगातार गिरावट का संकेत हो, जिसके लिए मध्यावधि समीक्षा की ज़रूरत हो। अथॉरिटी का कहना है कि संबंधित पक्षों ने अपने तर्क के समर्थन में कोई जानकारी या सबूत नहीं दिया है। ये पक्ष ऐसी कोई जानकारी देने में नाकाम रहे हैं जिससे यह पता चले कि संबंधित सामान की कीमतें ऐतिहासिक रूप से चक्रीय या अस्थायी रही हैं। हालांकि संबंधित पक्षों का तर्क है कि जांच की अवधि के दौरान कीमतों में बढ़ोतरी यह दिखाती है कि कीमतों में गिरावट अस्थायी थी, लेकिन उन्होंने इसे साबित करने के लिए कीमतों के अपने ट्रेंड नहीं दिखाए हैं। इसके अलावा, हालांकि 2023-24 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई, फिर भी जांच की अवधि के दौरान कीमतें 2021-22 और 2022-23 के स्तरों की तुलना में काफी कम बनी हुई हैं। एक साल में कीमतों में कुछ सुधार होने का मतलब यह नहीं है कि नुकसान की जांच की पूरी अवधि के दौरान कीमतों में जो गिरावट का ट्रेंड देखा गया, वह खत्म हो गया है। अथॉरिटी ने यह भी देखा है कि एक्सपोर्ट की कीमतों में गिरावट कच्चे जूट की कीमतों में बदलाव के अनुपात में नहीं है, जिससे पता चलता है कि कीमतों का व्यवहार सिर्फ़ इनपुट लागत के असर का नतीजा नहीं है। इसलिए, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जाता है।

231. डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट जारी होने के बाद, अथॉरिटी ने सनसेट रिव्यू के अंतिम नतीजों में बताए गए आयात की मात्रा और कीमतों में कुछ अनजाने में हुई गलतियों पर ध्यान दिया। मौजूदा नतीजों में उन्हें ठीक भी कर दिया गया है। हालाँकि, इन सुधारों से अथॉरिटी के निष्कर्षों में कोई बदलाव नहीं आया।

232. सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी के बारे में, अथॉरिटी का मानना है कि घरेलू इंडस्ट्री ने कीमतों में गिरावट का तर्क दिया था, और इस बात को कच्चे माल की लागत में बदलाव से भी बल मिला। घरेलू इंडस्ट्री ने इस मामले में समीक्षा की ज़रूरत को साबित करने के लिए ठोस सबूत दिए। इस जांच के दौरान अथॉरिटी को जो नतीजे मिले, वे भी इस मामले में घरेलू इंडस्ट्री के तर्क का समर्थन करते हैं। अगर संबंधित पक्ष इस गिरावट

पर सवाल उठाना चाहते हैं, या लागत पर असर डालने वाले दूसरे कारण बताना चाहते हैं; तो ऐसे तर्क के लिए सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी घरेलू इंडस्ट्री पर नहीं आती है। संबंधित पक्षों की भी यह ज़िम्मेदारी है कि वे अपने तर्कों को साबित करें। हालाँकि, भले ही पक्षों ने इस बात पर सवाल उठाया है कि कीमतों पर दूसरे कारकों का असर पड़ता है, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी या सबूत नहीं दिया गया है। वैसे भी, इस मामले में संबंधित पक्षों के तर्कों की जांच अथॉरिटी पहले ही ऊपर कर चुकी है।

233. इस बात को लेकर कि बांग्लादेश से आने वाले बोरे (sacking bag) और बोरे के कपड़े (sacking cloth) को ड्यूटी में किसी भी बदलाव या बढ़ोतरी से बाहर रखा जाना चाहिए, अथॉरिटी का कहना है कि मौजूदा मिड-टर्म रिव्यू, एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 23 के तहत एक सही तरीके से दायर एप्लीकेशन के आधार पर शुरू किया गया है। इस एप्लीकेशन में, अन्य बातों के अलावा, एक्सपोर्ट की कीमतों में गिरावट का आरोप लगाया गया है। रिव्यू के दायरे में वे सभी प्रोडक्ट कैटेगरी आती हैं जो विचाराधीन प्रोडक्ट के अंतर्गत आती हैं। अथॉरिटी ने रिकॉर्ड पर मौजूद वेरिफाइड डेटा के आधार पर हर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए एक्सपोर्ट कीमत के ट्रेंड की जांच की है। अथॉरिटी का कहना है कि हालांकि अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में कीमत में गिरावट का स्तर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों और ड्यूटी में बदलाव का कुल मूल्यांकन विचाराधीन प्रोडक्ट के लिए समग्र रूप से किया जाता है, न कि चुनिंदा रूप से बाहर रखने के मकसद से किसी खास प्रोडक्ट कैटेगरी के आधार पर। इसलिए, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जाता है।

234. दिलचस्पी रखने वाले पक्षों ने यह भी तर्क दिया है कि अथॉरिटी ने इस बात की जांच नहीं की है कि क्या मौजूदा कीमतें भविष्य में भी बनी रहेंगी। अथॉरिटी का कहना है कि वह पहले ही लंबे समय तक रहने वाले हालात में बदलाव की जांच कर चुकी है और इस नतीजे पर पहुंच चुकी है। रिकॉर्ड में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे पता चले कि निकट भविष्य में हालात बदलने की संभावना है, जिससे कोई अलग नतीजा निकाला जा सके।

235. इस तर्क के संबंध में कि बदली हुई परिस्थितियों का निर्धारण सैंपल में शामिल निर्यातकों के आधार पर किया जाना चाहिए, अथॉरिटी पहले ही इस तरह के सुझाव की जांच कर चुकी है। जैसा कि पहले बताया गया है, नुकसान की अवधि और सनसेट रिव्यू की जांच की अवधि के दौरान संबंधित जानकारी न होने के कारण, विदेशी उत्पादकों के जवाबों के आधार पर रुझानों की तुलना करना संभव नहीं है। हालांकि संबंधित पक्षों ने बार-बार यह दावा किया है कि अथॉरिटी को उनकी जानकारी पर भरोसा करना चाहिए,

लेकिन उन्होंने ऐसी कोई संबंधित जानकारी नहीं दी है जिससे अथॉरिटी इस तर्क की जांच कर सके।

236. इस बात पर कि भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है, घरेलू उद्योग ने असहमति जताई है। उनका दावा है कि घरेलू उद्योग के पास भारत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। वैसे भी, अथॉरिटी का मानना है कि मांग और आपूर्ति का अंतर भारत में डंपिंग का कोई उचित कारण नहीं है। उचित मात्रा में ड्यूटी लगाने से घरेलू उत्पादकों को समान अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड) ही मिलेगा।

237. अथॉरिटी ने घरेलू इंडस्ट्री की उन दलीलों की भी जांच की है, जिनमें प्रोडक्ट के सभी रूपों पर एक ही मात्रा में ड्यूटी लगाने की ज़रूरत बताई गई थी। हालांकि, घरेलू इंडस्ट्री ने ऐसी कोई बदली हुई स्थिति नहीं दिखाई है जिससे ऐसा बदलाव ज़रूरी हो। दूसरे संबंधित पक्षों ने घरेलू इंडस्ट्री की इस मांग पर आपत्ति जताई है। यह देखा गया है कि प्रोडक्ट का दायरा वही है जो पिछली समीक्षा में था, और तथ्यों में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जिससे ड्यूटी लगाने के तरीके में बदलाव की ज़रूरत पड़े। इसे देखते हुए, अथॉरिटी ने घरेलू इंडस्ट्री की दलील को स्वीकार नहीं किया है।

ठ. <u>निष्कर्ष एवं सिफारिशें</u>

238. आईजेएमए और एजेएमए द्वारा अनुरोध किए जाने पर समीक्षा शुरू करने और समीक्षा पर, और उठाई गई दलीलों, प्रदान की गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के माध्यम से प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों या अन्यथा इस जांच परिणाम में रिकॉर्ड किए तथ्यों और वर्तमान और संभावित पाटन और क्षति की स्थिति के विश्लेषण और पाटन और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना के आधार पर, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि:

i. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो पूर्व निर्णायक समीक्षा में परिभाषित किया गया है।

ii. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19 मार्च 2019 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 7/3/2018-डीजीएडी के मद्देनज़र, यह निष्कर्ष निकाला गया कि बांग्लादेश से सैकिंग क्लाथ्स के निर्यात के माध्यम से सैकिंग बैग्स पर पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना की जा रही थी; बांग्लादेश से आयातित सैकिंग क्लाथ पर शुल्क सैकिंग बैग पर शुल्क के साथ साथ की अवधि के लिए है।

iii. 1 सितंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित पीसीएन पद्धति उपयुक्त है। नेपाल से आने वाले ट्विन के संबंध में अलग से पीसीएन अधिसूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

iv. आवेदक घरेलू उत्पादक विचाराधीन आयातित उत्पाद के लिए समान वस्तु का उत्पादन करते हैं।

v. आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात हैं, और वे घरेलू उद्योग हैं।

vi. प्राधिकारी के पास नियम 23 (1क) के तहत शुरू की गई समीक्षा के तहत शुल्क की मात्रा को परिवर्तन का अधिकार और शक्ति है।

vii. संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत कच्ची सामग्री लागत में तदनुरूपी परिवर्तन के बिना घट गई है। परिणामस्वरूप, इस उत्पाद के आयात बढ़ गए हैं। अत:, स्थायी प्रकृति की परिस्थितियों में परिवर्तन है, जिसके लिए समीक्षा आवश्यक है।

viii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति की सूचना की जांच की है, ताकि यह जांच की जा सके कि क्या शुल्क की वापसी से क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना नहीं है।

ix. लागू शुल्कों के बावजूद, क्षति की अवधि में आयात में वृद्धि हुई है, और घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती तथा ह्रास कर रही हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के निष्पादन पर इसके उत्पादन, क्षमता प्रयोग, बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, मालसूची, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता के संदर्भ में प्रभाव पड़ा है। आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है। इस प्रकार, लागू शुल्कों के बावजूद, घरेलू उद्योग को क्षति होती रही है।

x. आयात में वृद्धि की मात्रा और दर, संबद्ध देशों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, संबद्ध देशों में क्षमता में वृद्धि, आयात के संभावित न्यूनीकरण या ह्रासमान प्रभाव और घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली वर्तमान क्षति को ध्यान में रखते हुए और अधिक क्षति की संभावना है।

xi. वर्तमान पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को ध्यान में रखते हुए शुल्क के पुन: परिमाणीकरण की आवश्यकता है; और वर्तमान पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के अभाव में संभावित पाटन और क्षति की संभावना है।

xii. घरेलू उद्योग को जो क्षति हुई है, वह संबद्ध आयातों के कारण है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कोई अन्य कारक नहीं है।

xiii. शुल्क लगातार लगाया जाना और उसकी मात्रा में संशोधन जन हित में होगा, जो कि निम्नलिखित मापदंडों से सिद्ध है।

क. संबद्ध सामानों के प्रयोक्ताओं ने शुल्क के जारी रहने का विरोध करने के लिए वर्तमान समीक्षा में भाग नहीं लिया है। यह दर्शाता है कि प्रयोक्ता अपने प्रचालन पर शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव की उम्मीद नहीं करते हैं।

ख. जूट उद्योग संगठित मिलों और तृतीयक क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों सहित विविध इकाइयों में 4 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है।

ग. इसके अलावा, जूट उद्योग 40 लाख किसानों की आजीविका की सहायता करता है।

घ. कृषि लागत और कीमत आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण आंध्र प्रदेश में 13 ट्विन मिलों में काम फिर से शुरू हो गया है, जिससे लगभग 20 हजार श्रमिकों को लाभ हुआ है और घरेलू बाजार में 2 लाख टन जूट की अतिरिक्त मांग पैदा हुई है।

ड. पश्चिम बंगाल राज्य में जूट मिलें काफी हद तक एक जिले में स्थित हैं, यानी उत्तर 24 परगना, और इस जिले के लोग काफी हद तक जिले के आसपास की जूट मिलों द्वारा रोजगार में हैं।

च. भारत में उगाए गए कच्चे जूट का 25% उच्च श्रेणी के उत्पादों में प्रयोग किया जाता है, जो खुले बाजार में बेचा जाता है। यदि ऐसे बाजार को आयात के लिए सुभेद्य छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे उत्पादों के लिए घरेलू उत्पादन गैर-अर्थक्षम हो जाएगा।

छ. भारतीय उद्योग में भारत की संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता है, और देश उत्पाद में आत्मनिर्भर है।

अगोपनीय

239. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समीक्षा के क्षेत्र, परिस्थितियों में परिवर्तन और मार्जिन के पुन: परिमाणीकरण की आवश्यकता के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क के पुन: परिमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

240. पाटनरोधी शुल्क अधिसूचना संख्या 33/2022 -सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 30 दिसंबर 2022 जारी करने की तारीख से पांच वर्षों के लिए लागू है। तदनुसार, बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, जिसमें प्राधिकारी की उपरोक्त सिफारिश को शामिल किया गया है, वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच में, शुल्क लगाने की शेष अवधि के लिए लागू होगा, जैसा कि नीचे संलग्न शुल्क तालिका में दर्शाया गया है।

क्र. सं.	**शीर्ष**	**सामानों का विवरण***	**विनिर्देशन**	**मूल देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**राशि**	**इकाई**	**मुद्रा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5307, 5310, 6305 और 5607	जूट यार्न/ट्विन	सभी रूपों और विशिष्टताओं में	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	ए.एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	हेसियन फैब्रिक	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	ए.एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
3	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	59	एमटी	यूएसडॉ.
4	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	94	एमटी	यूएसडॉ.

अगोपनीय

5	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	बोनान्ज़ा जूट कंपोजिट एंड डाइवर्स फैक्ट्री लि.	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
6	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	लवली जूट मिल्स लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
7	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	नाटोर जूट मिल्स	107	एमटी	यूएसडॉ.
8	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	नाटोर जूट मिल्स	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
9	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	नवाहटा जूट मिल्स लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
10	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
11	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	पोद्दार एग्रो इंडस्ट्रीज	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
12	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लि.	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
13	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	सुपर जूट मिल्स लिमिटेड	139	एमटी	यूएसडॉ.
14	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	सुपर जूट मिल्स लिमिटेड	155	एमटी	यूएसडॉ.
15	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	हसन जूट मिल्स लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.

अगोपनीय

16	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	हसन जूट मिल्स लिमिटेड	120	एमटी	यूएसडॉ.
17	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
18	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	हसन जूट एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	120	एमटी	यूएसडॉ.
19	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
20	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	120	एमटी	यूएसडॉ.
21	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
22	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	सदात जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
23	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	सदात जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	120	एमटी	यूएसडॉ.
24	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	अफिल जूट वीविंग मिल्स लिमिटेड।	88	एमटी	यूएसडॉ.
25	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	अलीना जूट मिल्स लिमिटेड	88	एमटी	यूएसडॉ.
26	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	अफ़ज़ल फाइबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज	69	एमटी	यूएसडॉ.

अगोपनीय

27	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	अफ़ज़ल फाइबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज	120	एमटी	यूएसडॉ.
28	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	अह्यान जूट मिल्स लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
29	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	अह्यान जूट मिल्स लिमिटेड	120	एमटी	यूएसडॉ.
30	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	अलीजन जूट मिल्स लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
31	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	सोनाली अंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
32	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	अर्नू जूट मिल्स लिमिटेड	120	एमटी	यूएसडॉ.
33	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	बोगरा जूट मिल्स लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
34	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	बोगरा जूट मिल्स लिमिटेड	120	एमटी	यूएसडॉ.
35	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	चुआडांगा जूट मिल	120	एमटी	यूएसडॉ.
36	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	गोल्डन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
37	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	हासेम जूट इंडस्ट्रीज लि.	69	एमटी	यूएसडॉ.

अगोपनीय

38	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	हज़रत शाह चंद्रपुरी जूट मिल्स लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
39	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	हज़रत शाह चंद्रपुरी जूट मिल्स लिमिटेड	120	एमटी	यूएसडॉ.
40	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	जमुना जूट इंडस्ट्रीज लि.	120	एमटी	यूएसडॉ.
41	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	रहमान जूट मिल्स लिमिटेड (प्राइवेट)	120	एमटी	यूएसडॉ.
42	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	मिर्जा जूट मिल्स लिमिटेड	120	एमटी	यूएसडॉ.
43	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	मौना जूट मिल्स लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
44	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	मौना जूट मिल्स लिमिटेड	120	एमटी	यूएसडॉ.
45	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
46	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड	120	एमटी	यूएसडॉ.
47	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	रहमान जूट स्पिनर्स लि (.प्रा)	69	एमटी	यूएसडॉ.
48	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	राजबाड़ी जूट मिल्स लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.

अगोपनीय

49	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	राजबाड़ी जूट मिल्स लिमिटेड	88	एमटी	यूएसडॉ.
50	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	रोमन जूट मिल्स लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
51	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लि.	69	एमटी	यूएसडॉ.
52	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लि.	120	एमटी	यूएसडॉ.
53	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	सिडला टेक्सटाइल्स (बांग्लादेश) लि.	69	एमटी	यूएसडॉ.
54	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	सिडला टेक्सटाइल्स लिमिटेड (बांग्लादेश)	120	एमटी	यूएसडॉ.
55	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	वहाब जूट मिल्स लिमिटेड	69	एमटी	यूएसडॉ.
56	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्र.सं. 1 से 55 में उल्लिखित को छोड़कर कोई भी	445	एमटी	यूएसडॉ.
57	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्र.सं. 1 से 55 में उल्लिखित को छोड़कर कोई भी	88	एमटी	यूएसडॉ.
58	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांगलादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्र.सं. 1 से 55 में उल्लिखित को छोड़कर कोई भी	283	एमटी	यूएसडॉ.
59	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बंगलादेश और नेपाल को छोड़कर कोई भी देश	बांग्लादेश	कोई	445	एमटी	यूएसडॉ.

अगोपनीय

60	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	बंगलादेश और नेपाल को छोड़कर कोई भी देश	बांग्लादेश	कोई	88	एमटी	यूएसडॉ.
61	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बंगलादेश और नेपाल को छोड़कर कोई भी देश	बांग्लादेश	कोई	283	एमटी	यूएसडॉ.
62	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	अरिहंत मल्टी-फाइबर लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
63	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	अरिहंत मल्टी-फाइबर लिमिटेड	56	एमटी	यूएसडॉ.
64	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	अरिहंत मल्टी-फाइबर लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
65	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
66	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड	56	एमटी	यूएसडॉ.
67	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
68	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	59	एमटी	यूएसडॉ.
69	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	64	एमटी	यूएसडॉ.

अगोपनीय

70	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	153	एमटी	यूएसडॉ.
71	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	32	एमटी	यूएसडॉ.
72	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	60	एमटी	यूएसडॉ.
73	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	45	एमटी	यूएसडॉ.
74	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	स्वस्तिक जूट मिल्स लिमिटेड (पी)	94	एमटी	यूएसडॉ.
75	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	स्वस्तिक जूट मिल्स लिमिटेड (पी)	132	एमटी	यूएसडॉ.
76	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	स्वस्तिक जूट मिल्स लिमिटेड (पी)	97	एमटी	यूएसडॉ.
77	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	उपर्युक्त क्र.सं. 62 से 76 में उल्लिखित को छोड़कर कोई भी	119	एमटी	यूएसडॉ.
78	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	उपर्युक्त क्र.सं. 62 से 76 में उल्लिखित को छोड़कर कोई भी	292	एमटी	यूएसडॉ.
79	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	नेपाल	नेपाल सहित कोई भी देश	उपर्युक्त क्र.सं. 62 से 76 में उल्लिखित को छोड़कर कोई भी	247	एमटी	यूएसडॉ.
80	-वही-	जूट यार्न/ट्विन	-वही-	बांग्लादेश और नेपाल को छोड़कर कोई भी देश	नेपाल	कोई	119	एमटी	यूएसडॉ.

अगोपनीय

81	-वही-	हेसियन फैब्रिक्स	-वही-	बांग्लादेश और नेपाल को छोड़कर कोई भी देश	नेपाल	कोई	292	एमटी	यूएसडॉ.
82	-वही-	सैकिंग बैग्स	-वही-	बांग्लादेश और नेपाल को छोड़कर कोई भी देश	नेपाल	कोई	247	एमटी	यूएसडॉ.

** जूट उत्पाद जिसमें जूट यार्न/ट्विन (कई गुना/केबल और एकल), हेसियन फैब्रिक्स और जूट सेकिंग बैग शामिल हैं।*

इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 7/3/2018-डीजीएडी, दिनांक 19 मार्च 2019 के अंतिम जांच परिणामों को ध्यान में रखते हुए, बांग्लादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जूट सैकिंग क्लाथ्स पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश करते हुए, और वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 18 जून, 2019 द्वारा आगे लगाया गया है। प्राधिकारी का यह मत है कि बांग्लादेश से जूट सैकिंग बैग्स के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क बंगलादेश से जूट सैकिंग क्लाथ्स के सभी निर्यातकों के लिए बांग्लादेश से "जूट सैकिंग क्लाथ्स " के आयातों पर भी लगाए जाने की आवश्यकता है। सिवाय उन उत्पादकों के जिन्हें उपरोक्त अधिसूचना में शुल्क के विस्तार से छूट दी गई थी।

1. मौना जूट मिल्स लिमिटेड
2. अर्नु जूट मिल्स लिमिटेड
3. रहमान जूट मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड
4. जमुना जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
5. सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
6. सिडला टेक्सटाइल्स (बांग्लादेश) लिमिटेड
7. पार्टेक्स जूट मिल्स लिमिटेड बांग्लादेश
8. आशा जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
9. नवाहाटा जूट मिल्स लिमिटेड
10. मयमनसिंह जूट मिल्स लिमिटेड

अगोपनीय

ध्यान दें - ऊपर बताए गए उत्पादकों के लिए तय अलग-अलग ड्यूटी दरों को लागू करने के लिए कस्टम अधिकारियों के सामने एक वैध कमर्शियल इनवॉइस पेश करना ज़रूरी होगा। इस इनवॉइस पर उसे जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी का नाम और पद बताते हुए, तारीख और हस्ताक्षर के साथ एक घोषणा लिखी होनी चाहिए, जिसका ड्राफ़्ट इस प्रकार हो:

> "मैं, नीचे हस्ताक्षर करने वाला, प्रमाणित करता हूँ कि इस इनवॉइस के तहत भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का निर्माण (देश का नाम) में (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता हूँ कि इस इनवॉइस में दी गई जानकारी पूरी और सही है।" यदि ऐसा कोई इनवॉइस पेश नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू होने वाली ड्यूटी ही लागू होगी। यह आवश्यकता लागू कस्टम कानूनों और नियमों के तहत कस्टम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर कोई असर नहीं डालती है।

ड. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

241. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 25-06-2026
21:38:22